खण्ड-246, अंक-8
गुरूवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(5 मार्च, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 246 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७०९–७१२
प्रश्नोत्तर	७१३–७५३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	७५३
कतिपय विषय	७५३
श्री रामपालसिंह यादव, मंत्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट)	७५३–७५८
म्योर मिल, कानपुर में तालाबन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	७५८
गल्ला व्यापारियों का जब्त गल्ला आदि विभागीय अधिकारियों द्वारा छोड़ने से चोर बाजारी होने के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य	७५८–७५९
१९६४–६५ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २५––नियोजन और समन्वय (स्वीकृत)	७५९–८०५
नत्थियां	८०६–८१७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मन्डप, लखनऊ, में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य--३३३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इंद्रासनसिंह, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवा नदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

रामर्मूति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश, आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन

**१--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित होने वाली "उत्तर प्रदेश--आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन" तथा इसी प्रकार की कई बुलेटिनों का छपना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि इन बुलेटिनों से विधान मण्डल के सदस्यों को जानकारी मिला करती थी, जो अब अवरुद्ध है ? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या था तथा क्या सरकार उसे इस बजट सत्र में ही पुनः प्रकाशित कराने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

"उत्तर प्रदेश--आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन" नामक बुलेटिन के अतिरिक्त अर्थ एवं संख्या निदेशालय के किसी और बुलेटिन या अन्य प्रकाशन को बन्द नहीं किया गया है। "आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन" को इस लिये बन्द किया गया है कि उसमें आंकड़ों को सही पृष्ठभूमि में रखने के लिए कोई टिप्पणियां या अन्य विवरण नहीं होता था। सदन के बजट सम्बन्धी वादविवाद में सहायता देने के लिये नियोजन विभाग द्वारा एक पुस्तिका "तीसरी पंचवर्षीय योजना--परियोजनायें और प्रगति" पिछले वर्ष से वितरित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सदन के सदस्य अर्थ एवं संख्या निदेशालय के दूसरे प्रकाशन भी मंगा सकते हैं। यह प्रकाशन सदन के पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं।

इस परिस्थिति में "आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन" नामक पुस्तक के पुनः प्रकाशन का प्रश्न नहीं उठता।

कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उत्तर में उन्होंने बताया कि सही पृष्ठभूमि में आंकड़े नहीं रखे जाते तो वह सही पृष्ठभूमि क्या है ? सरकारी स्टेटिस्टिक्स से मतलब है या और कुछ ?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, जो उसमें आंकड़े रहा करते थे उन आंकड़ों की परिभाषा जो है किस तरह से उसकी व्याख्या हो वे व्याख्यात्मक बातें उसमें लिखी नहीं रहती थीं। केवल आंकड़े रहते थे तो इस कार्यक्रम को करने के लिये एक मंथली बुलेटिन आफ स्टैटिस्टिक्स निकाला और जितने भी मेम्बर्स हैं वे इसके एन्टाइटिल्ड हैं और उसको फ्री मेल से मंगा सकते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो तृतीय पंचवर्षीय योजना है। जिस पुस्तिका के बारे में उसमें लिखा हुआ है (पुस्तिका दिखाते हुये) यह है वह बुलेटिन। इसमें केवल आंकड़े रहते हैं, टिप्पणियां नहीं रहतीं। आंकड़े अपनी रुचि के अनुसार जहां चाहें फिट कर सकते हैं और एक आंकड़े के देखने के लिये कम से कम १० पेज पढ़ने पड़ते हैं। एक झव्वा भूसे में से एक गेहूं निकल पाता है।

श्री अध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में मैं कुछ कह दूं। इस सम्बन्ध में कल-परसों प्रश्न हुआ था कि क्यों विभागीय पुस्तिकायें नहीं छपतीं, तो यह कहा गया कि यह पारसाल तय हो चुका था। ठीक है, पारसाल तय हो चुका था, एमरजेंसी थी, इसलिये तय हो चुका था। लेकिन जो बात तय हो जाती है कि संक्षेप में की जाय तो वह उसका संक्षिप्त रूप अति संक्षिप्त हो जाता है। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटरी वर्क में ऐसा हो, उचित नहीं है। अब जो हुआ वह हुआ, लेकिन भविष्य में नहीं होना चाहिये। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के २६० पृष्ठ को मैं पढ़े देता हूं ताकि सरकार उसका अनुकरण करने का यत्न करे और अपोजीशन के जो अधिकार हैं वह सुरक्षित रहें। वह इस प्रकार है:---

"Since the strength of modern party discipline makes a Ministry largely invulnerable to direct attack in the House of Commons, the criticism of the Opposition is primarily directed towards the Electorate. with a view to the next election, or with the aim of influencing Government policy through the pressure of public opinion."

What I want to particularly emphasize is as follows :

"The opposition has a recognised right to all the facilities needed for this purpose full information about every department of public affairs, adequate publicity through the daily publication of the reports of debates, and certain rights of initiative in the choice of subjects of criticism."

तो मैं चाहूंगा कि इस वर्ष जो हुआ वह हुआ, लेकिन भविष्य में हर विभाग की रिपोर्ट पूरे तरीके से लाये जाने का पूरा यत्न हो।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

कुंवर साहब को मैं बतलाना चाहती हूं कि स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट की मंथली बुलेटिन्स निकलती हैं और जो लोग चाहते हैं उनको फ्री मेलिंग लिस्ट में रखा जाता है। जितने लोग चाहें नाम भेज दें तो सबको फ्री हो जायगा। लायब्रेरी में भी रहता है उसी का संकलन वहां भी माननीय सदस्य चाहें तो देख सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स कम्पाइलेशन जरा टेक्निकल चीज है। उस दिन हाउस में सवाल पूछा गया था कि टाउन एरिया और म्युनिसिपल कारपोरेशन के नम्बर में अन्तर क्यों है ? यह इसलिये था कि मेथड आफ कम्पाइलेशन में डिफरेंस था। एक तरफ यह भी देखा गया कि बुकलेट छोटी हो जाती है इसलिये मंथली बुलेटिन ईश्यू करते हैं ताकि जितनी सारी बातें हैं उसमें वे अवेलेबिल हों।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

'चाहने' शब्द को निकाल कर "सब सदस्यों को भेजने की बात" रख दी जाय।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

ऐसी हालत में एक बात मैं और कह दूं कि इंफार्मेशन डिपार्टमेंट के बहुत से कागजात आते हैं, वे सब भेजे जाते हैं लेकिन सदस्यगण उनको पढ़ते भी नहीं। आप लोग इकोनामी चाहते हैं। जिनका आग्रह होगा उनको खुशी से भेजा जायगा। बाकी लोग लायब्रेरी में देख सकते हैं।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)---

इंफार्मेशन डिपार्टमेन्ट से बहुत-सी किस्म की इंफार्मेशन आती हैं तो क्या इंफार्मेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को यह आदेश दे दिये जायेंगे कि उनकी एक लिस्ट पिजन होल में रखवा दिया करें ताकि जिसको जरूरत हो उसे वहां से ले लिया करें ?

श्री अध्यक्ष--

यह बहस की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, यह अधिकार है इस आदरणीय सदन के सदस्यों का कि समस्त डिपार्टमेन्ट जितने भी सरकार के अधीन हैं उनके मुताल्लिक सूचनायें प्राप्त करते रहें। इस वर्ष जो कुछ भी हुआ वह हो गया, लेकिन इसके बाद इस साल की बात प्रिसिडेंस नहीं मानी जायगी। भविष्य के लिये मैं गवर्नमेन्ट से चाहूंगा कि प्रत्येक विभाग की पूरी सूचनायें इस आदरणीय सदन के सदस्यों को मिलती रहें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मंथली बुलेटिन लायब्रेरी में रहती हैं और उनको माननीय सदस्य देख सकते हैं ; लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि १९६०-६१ के बाद किसी भी विभाग के संकलन वहां उपलब्ध नहीं हैं। मैंने स्वयं आपसे शिकायत की थी और मुख्य मंत्री जी से भी आपके द्वारा कहा था कि आज भी वहां १९६०-६१ के बाद की कोई प्रतिलिपि नहीं है किसी भी विभाग की और उनको गलत इंफार्मेशन है और वह इंफार्मेशन मंगा कर देखें तो अच्छा होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह--

अध्यक्ष महोदय, इकोनामी का जहां तक सवाल है यह बुकलेट्स कतरनों पर छप सकती हैं। फिर यह हैंडी बड़ी होती हैं और पाकेट में रखी जा सकती हैं और कहीं भी जरूरत हो तो इन्हें निकाल कर देखा जा सकता है। मंथली बुलेटिन्स इससे बहुत बड़ी होती हैं। वे २ इंच चौड़ी और ३ इंच इससे ज्यादा लम्बी होती हैं और उनको केवल घर पर ही रख कर देख सकते हैं। यहां लाये तो बोझ हो जायगा इतनी मोटी वे होती हैं। यह एक ऐसी चीज छपती थी कि इसको हर वक्त इस्तेमाल किया जा सकता था। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप केवल इतना कह दें कि इसके छपने में न ज्यादा रुपया लगेगा .....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये तो सही। अब बहस शुरू हो गयी। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह गवर्नमेन्ट भी चुनी हुई है। आप लोगों की बात बिलकुल टाल देगी, ऐसा नहीं है। आप लोग कृपा कर के मिल लें और बातचीत कर लें। मुझको बीच में डाल कर कहें कि मैं ऐसा कह दूं, तो यह गलत है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

दौलतपुर केन पर्चेजिंग सेन्टर के क्रशर्स

*१--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पन्नी जी शुगर फैक्टरी, बुलन्दशहर के सुरक्षित क्षेत्र में जो दौलतपुर में केन परचेंजिंग सेंटर गलती से स्थापित कर दिया गया था उसको मुक्त क्षेत्र घोषित होने के पश्चात् क्यों वहां के कुछ पावर क्रशरों को सरकार की ओर से सील किया गया और कृषकों को हिदायत की गई कि वह अपने पावर क्रशर्स चलाने के पहले लाइसेंस प्राप्त करें जबकि वहां कृषक इनके क्रशर्स से अपना गन्ना पेर कर केवल गुड़ ही बनाते हैं और गुड़ बनाने के लिये मुक्त क्षेत्र में पावर क्रशर्स को चलाने पर कोई प्रतिबन्ध या लाइसेंस नहीं है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

प्राप्त सूचनानुसार पन्नी जी शुगर फैक्टरी, बुलन्दशहर के दौलतपुर केन परचेंजिंग सेंटर को मुक्त घोषित करने के पश्चात् कोई भी क्रशर जो उस क्षेत्र में गुड़ बना रहा था बन्द या सील नहीं किया गया और न उस क्षेत्र के कृषकों को विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई हिदायत ही दी गई कि वे अपने क्रशर को गुड़ बनाने के लिये बिना लाइसेंस लिये न चलायें ।

*२--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार ऐसे अधिकारियों से जो नियमों का दुरुपयोग करते हैं कोई जवाब तलब करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उपरोक्त उत्तर से स्पष्ट है कि नियमों का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया । अस्तु जवाब तलब करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

जो प्राप्त सूचना है उसकी तफसील मंत्री जी बता सकते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो सूचना है कि वहां जब से फ्री एरिया डिक्लेयर किया उसके बाद किसी को बन्द करने के लिये नहीं कहा गया । आपकी सूचना के लिये बता दूं कि एक श्री नसीर अहमद का क्रशर है जिन्होंने अपने आप उसको सील करवा दिया वह हमारे पास लिखा हुआ है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने यह दरख्वास्त दी है कि हमारे क्रशर को सील कर दिया जाय और क्या यह सही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

ऐसी तो एक ही दरख्वास्त है नसीर अहमद साहब की । उन्होंने कहा कि एहतियातन वह चाहते हैं कि सील कर दिया जाय ।

श्री मैनेजर्रसिंह (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि नसीर अहमद साहब का क्रशर अधिकारियों ने सील कर दिया था और जब माननीय मुमताज साहब ने प्रश्न किया उसके बाद उनसे लिखवा लिया गया दबाव दे कर ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

ऐसी बात नहीं है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मैं मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना गलत इंफार्मेशन देने के लिये देता हूं ।

घनसानी-चिरबठियां मार्ग पर पहाड़ खिसकने से मृत्युएं

*३--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सरकार को ज्ञात है कि टेहरी-गढ़वाल में टेहरी से २४ मील दूर सड़क बनाते हुये १० गरीब मजदूरों की, सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण मलबे में दब कर मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

कथित घटना का सही विवरण इस प्रकार है---दिनांक ३१ जनवरी, १९६४ को टेहरी से २४ मील दूर घनसाली और चिरबठियां के बीच मोटर मार्ग पर लगभग ८० मजदूर चट्टान को कटान का कार्य कर रहे थे । लगभग १२ १/२ बजे अचानक ऊपर से पहाड़ सरक जाने की वजह से ९ मजदूर मलबे के नीचे दब गये जिन्हें विभागीय अधिकारियों ने, जो पास ही मौजूद थे, तुरन्त मलबा हटवाकर निकलवाया । ६ मजदूर मर चुके थे और ३ जो कि काफी चोट खा गये थे, उनको उसी समय टेहरी अस्पताल में दाखिल कराया गया । इनमें से एक की मृत्यु हो गई । बाकी दो में एक पूर्ण स्वस्थ होकर ८ फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और दूसरा अभी अपस्ताल में ही है और उसकी हालत सुधर रही है ।

यह एक दैवी दुर्घटना थी जिसके लिये कोई सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ।

*४---श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मृतकों के परिवारों को तुरन्त क्या क्षतिपूर्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

क्षतिपूर्ति के कागजात "वर्कमैन्स कम्पेनसेशन ऐक्ट" के अन्तर्गत तैयार करके २४,५०० रु० के चेक सहित जिलाधीश टिहरी को स्वीकृति तथा भुगतान हेतु भेजे जा चुके हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पहाड़ गिरा वह जिस चट्टान को वे लोग काट रहे थे उससे ऊपर वाला ही गिरा या कोई और पहाड़ सरक कर उनके ऊपर गिरा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

सूचना तो यह है कि यह लोग एक चट्टान को काट रहे थे और ऐसा मालूम पड़ता है कि अचानक ऊपर से यह स्लिप हो गया और उससे ये लोग मर गये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस चट्टान के काटने से पहले वहां कौन कौन इंजीनियर थे और उन्होंने क्या जांच कर ली थी कि जो चट्टान काट रहे हैं वह सुरक्षित है या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

चट्टान पहाड़ों पर अक्सर मजदूर काटा करते हैं और उस समय इंजीनियर का वहां रहना संभव नहीं है और रहते भी नहीं है । पहाड़ों पर इसी तरह से काम होता है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मजदूर डी० जी० वी० आर० के थे या पी० डब्ल्यू० डी० के थे और किस किस जिले के रहने वाले थे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

यू० पी० सरकार ने जो काम लगा रखा था उसके ये मजदूर थे और कश्मीर के थे ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

श्रीमन्, मैंने भी इस दुर्घटना के संबंध में ४ फरवरी को प्रश्न पूछा था और मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो काम सुपुर्द किया गया था इसकी किसी इंजीनियर ने जांच पड़ताल कर ली थी कि जो चटटान टूटेगी वह कारतूस और पाउडर के जरिये टूटेगी या ऐसे ही टूटेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

जब भी चट्टान काटने का काम किया जाता है....

श्री अध्यक्ष---

इसमें रियल प्वाइंट यह है कि इंजीनियरों ने इस बात को नहीं देखा कि ऊपर की चट्टान गिर जायगी और लोग चोट खा जायेंगे। इसे एक्सप्लेन कर सकते हों तो कर दीजिये।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

खान लोग हमेशा से ऐसा काम करते आये हैं।

श्री अध्यक्ष---

उनके कहने का मतलब यह है कि इंजीनियर्स फोरसी नहीं कर सके।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २४,५०० रुपये का चेक जिलाधीश ने कब भेजा और क्या वह मजदूरों के परिवारों को कम्पेन्सेशन के रूप में प्राप्त हो गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

चेक के पहुंचने से पहले वे लोग काश्मीर चले गये थे इसलिये वह रुपया काश्मीर गवर्नमेंट के पास उनके वारिसों को देने के लिये भेज दिया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी उस रुपये को उन मजदूरों के घरों के पते से भेजने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

वह रुपया तो काश्मीर गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सरकार को ज्ञात है कि फलां-फलां मजदूर मरे तो उनके पते से क्यों नहीं कंपेंसेशन का पैसा भेजा गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मजदूरों का पता है लेकिन उनके लीगल एअर्स कौन हैं इस बात का पता नहीं कर सकते। उनको लिख कर भेज दिया गया कि उनके लीगल एअर्स को दे दिया जाय।

श्री झारखण्डेराय--

क्या सरकार बतायेगी कि जो मजदूर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क काटते हुये मर जाते हैं या ऐसे घायल हो जाते हैं कि किसी काम लायक नहीं रहते या काफी घायल हो जाते हैं उनके बारे में सरकार का मुआवजा देने का कोई नियम है या अलग-अलग केसेज में देखा जाता है, क्या पोजीशन है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वर्कर्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट के अनुसार कम्पेन्सेशन दिया जाता है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--

मेरे प्रश्न का उत्तर पूरा अभी तक नहीं मिला है । पहले तो मैं बतला देना चाहता हूं कि यह साधारण घटना नहीं है । दस आदमियों की मृत्यु हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बात की जांच की है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है, कौन इंजीनियर था, किसके चार्ज में था, यह काम ठेके से किया जा रहा था या अमानगी के तौर से किया जा रहा था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह पहाड़ की कटाई का काम जैसा कि मुकुन्दीलाल जी खास तौर से जानते होंगे कि यह एक स्पेशल लोग हैं, खान लोग जो इस काम को किया करते हैं । सैकड़ों वर्षों से यह लोग किया करते हैं । इस दुर्घटना के बाद सचमुच हम लोगों का ध्यान गया क्योंकि बड़ी भारी दुर्घटना थी । तो हम अपनी तरफ से यह आदेश दे रहे हैं कि आगे जब कभी चट्टान काटने का काम हो तो हमारे इंजीनियर्स यह देख लें कि कोई संभावना दुर्घटना होने की है या नहीं, पहाड़ कोई लूज है या नहीं । हम को दुख है कि ऐसी घटना हुई, होनी नहीं चाहिये थी । लेकिन दैवी दुर्घटना थी जिसका पहले अन्दाजा नहीं था ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो २४ हजार ५ सौ का मुआवजे का चेक भेजा है, उनमें दो व्यक्ति, जिनकी हालत सुधर रही है, क्या उनका मुआवजा भी शामिल है ? अगर है तो कितना ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इनका इसमें नहीं है, एक जिस की डेथ हो गयी है, उसके लिये ३० रुपया महीना पेंशन, स्वीकार कर दी गयी है । दो अस्पताल में हैं । उनका बाद में देखा जायगा ।

श्री राजनारायण मिश्र--

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को चेक कश्मीर सरकार के पास भेजा गया ? और क्या उन्होंने जानने की कोशिश की कि काश्मीर सरकार ने वह रुपया उनके लीगल एअर्स को पहुंचा दिया जा या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मेरे पास टेहरी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सूचना है कि उन्होंने कश्मीर गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचा दिया । यह अभी तक सूचना नहीं है कि यह रुपया उनको मिल गया या नहीं । तारीख नहीं है मेरे पास कि किस तारीख को भेजा लेकिन उन्होंने भेज दिया है यह सूचना है ।

महोली चीनी मिल के लिये गन्ने की खरीद

*५--श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महोली चीनी मिल, सीतापुर, बेहटी, जिला खीरी तथा बबौना, जिला सीतापुर से गन्ना बिना गन्ना सोसाइटी बनाये खरीद रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*६--श्री अवधेशकुमार सिनहा--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उपरोक्त मिल का यूनियन सेक्रेटरी बिना सोसाइटी बनाये गन्ना खरीद करवा कर मिल मालिकों को लाखों रुपयों का मुनाफा कराकर गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन दयनीय बना रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*७--श्री अवधेशकुमार सिनहा--

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ५ फरवरी, १९६४ को किसी माननीय सदस्य विधान सभा ने माननीय गन्ना मन्त्री को महोली मिल, सीतापुर के किन्हीं डाइरेक्टर गन्ना यूनियन के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गन्ना के किसान न होते हुये भी गन्ने का गलत सट्टा कर प्राप्त पर्चियों का तथा यूनियन से डनलप सेट इत्यादि लेकर दुरुपयोग करने के आरोप लगाये थे ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है और अमुक डाइरेक्टर के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां । आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है जिसके पूरा होते ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अवधेशकुमार सिनहा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो सूचना एकत्र की है उस पर वह किसी नतीजे पर पहुंच सके हैं ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसमें काफी गड़बड़ है इस वजह से इसकी जांच पूर्णरूपेण की जा रही है ।

श्री अवधेशकुमार सिनहा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक माह तो हो गया है जांच होते हुए, अब कितना समय लगेगा ?

डाक्टर सीताराम--

१५ दिन के अन्दर ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गन्ने की खरीद हो रही है सोसाइटी की तरफ से उसका कमीशन सोसाइटी के फंड में जमा हो रहा है या सेक्रेटरी खुद प्राइवेट तरीके से खरीद और बिक्री कर रहा है ?

डाक्टर सीताराम---

इन्हीं सब बातों की तो जांच की जा रही है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मेरा सवाल स्पष्ट यह है कि वहां पर एक केन यूनियन है .....

श्री अध्यक्ष---

पहले यह बता दीजिए कि आपका प्रश्न किस प्रश्न से सम्बन्धित है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

छठे प्रश्न से सम्बन्धित है । उसमें यह है कि गन्ना खरीद करवा कर मिल मालिकों को लाखों रुपयों का मुनाफा कराकर गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन दयनीय बना रहा है, तो यह जो है इसमें यूनियन सेक्रेटरी के ऊपर यह चार्ज है । मेरा कहना यह है कि जब वहां पर एक केन यूनियन है और उसका एक सेक्रेटरी है तो श्रीमन्, कायदे से यूनियन को कमीशन मिलना चाहिए और सेक्रेटरी खुद मिल मालिकों से मिलकर गन्ना खरीद करके मिलों को दे रहा है, तो मैं स्पष्टतया मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कमीशन जो आ रहा है गन्ने की खरीद का वह कमीशन सोसाइटी को जा रहा है या सेक्रेटरी के पर्सनल फंड में जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

देखिये, माननीय अवधेश कुमार सिनहा चाहते हैं कि अगर इसकी सूचना एकत्र नहीं हुई है तो फिर यह प्रश्न आये और अगर आप यह चाहते हैं कि फिर से जवाब न आये, तो मैं पूंछ लूं ?

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१---श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

[६ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बाराबंकी जिले में हरिजनों को अनुदान

*२---श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)---

क्या समाज कल्याण मंत्री २५ सितम्बर, १९६३ के प्रश्न संख्या ४७ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई है उनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको रुपया तो दिया गया है, किन्तु इन्होंने कार्य किया ही नहीं और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नाम से रुपया दिया गया, परन्तु किन्हीं अन्य लोगों ने उनके नाम से रुपया ले लिया है और सही व्यक्तियों को सूचना भी नहीं है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

बाराबंकी जिले में मार्च, १९५७ से मार्च १९६२ तक जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई है उन सभी लोगों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है और कई कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं। सही व्यक्तियों की जगह अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुदान लिये जाने की कोई शिकायत शासन को नहीं मिली है।

श्री नत्थाराम रावत--

जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई है उनके नाम और पते क्या हैं तथा किस कार्य के लिये उनको सहायता दी गई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह सूची बहुत लम्बी है और ४ मदों में अनुदान दिया गया है—गृह निर्माण, कूप-निर्माण, कृषि एवं कुटीर उद्योग धन्धे।

श्री नत्थाराम रावत--

मान्यवर, यही तो इसमें गड़बड़ घोटाला है। जब नाम का पता नहीं लगेगा तो असलियत का भी पता नहीं चलेगा कि किन लोगों को दिया गया है और किसने गड़बड़घोटाला किया है। तो क्या माननीय मंत्री जी जिनको सहायता दी गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यदि किन्हीं नामों के ऊपर कोई शिकायत माननीय सदस्य को प्राप्त हुई हो तो वह नाम लिख कर दे दें।

श्री अध्यक्ष--

यह सूची आप उनको दिखला देंगीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह सूची जिला स्तर पर बनायी जाती है। वहीं से अनुदान दिया जाता है। सरकार ने तो केवल उतनी सूचना एकत्रित की है जिस सूचना को माननीय सदस्य ने चाहा था।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अक्सर इस प्रकार की जो सहायतायें दी जाती हैं इनमें फर्जी दरख्वास्तें देकर लोग रुपया वसूल कर लिया करते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी, जैसा कि अभी सदस्य महोदय ने कहा, इसकी सूची विस्तृत जानकारी के लिये रख देंगीं जिससे कि हम उसकी जांच करके फिर उनको सूचना दें सकें कि अमुक व्यक्ति को रुपया नहीं मिला है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

माननीय सदस्य तो जिला परिषदों के सदस्य हैं। यह सूची या किसी विशेष नाम की सूचना यदि वह जिला परिषदों में मांगें तो अधिक अच्छा हो।

श्री नत्थाराम रावत---

अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि सूची बड़ी लम्बी है। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको सूची सदन की मेज पर रखने में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना यह बिलकुल ठीक है कि जो चीज आपकी जिला परिषदों में मिल सकती है उसको आपको यहां नहीं मांगना चाहिये ।

श्री नत्थाराम रावत---

मैं यह मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब तक सदन के सामने वह सूची नहीं आती है तब तक उसकी असलियत का पता नहीं चलता है । अगर वह सूची मिल जाय तभी वह पता लग सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

इसको आप वहां परिषद् में देख लीजियेगा ।

श्री नत्थाराम रावत---

उनको सूची देने में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष---

वह उन्होंने बतला दिया ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

प्रश्नकर्ता का जहां तक संबंध है उनको यह सूचना है कि उस व्यक्ति को कोई अनुदान नहीं दिया गया और न कोई सहायता दी गई तो क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगीं दोबारा कि जो चीज पेश की गई वह फर्जी है और फर्जी ही सूची बनाई गई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जो सूचना मांगी गई थी उसको जिलाधीश ने भेजा जैसा कि मैंने पूर्व कहा, जिला परिषद् के द्वारा क्षेत्रीय समितियों को यह अनुदान दिया जाता है । क्षेत्रीय समितियों के माननीय सदस्य स्वयं सदस्य रहते हैं । जिला परिशद् क्षेत्रीय समितियों से आवेदन पत्र लेती हैं और वही अनुदान देने का निर्णय करती हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

यह तो कोई जवाब नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपाकर नियम २९ को देख लें । उसमें यह स्पष्ट दिया हुआ है कि जो बातें स्वशासन के निकायों से संबंधित हैं वह उनसे आपको प्राप्त हो सकती हैं उनको वहां पर प्राप्त कीजिये । यहां पर कोई नीति की बात हो तो आप पूछ सकते हैं ।

कानपुर जिले में थानों की इमारतें

*३---श्री हमीद खां (जिला कानपुर)---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर देहाती क्षेत्र में कौन कौन से पुलिस स्टेशन की इमारत पुरानी है ? क्या किसी पुलिस स्टेशन की इमारत का निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होना है ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४--श्री हमीद खां--

क्या मूसानगर पुलिस स्टेशन, जिला कानपुर के भवन निर्माण के लिये जगह नियत की जा चुकी है ? यदि हां, तो इसके निर्माण-कार्य में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ? क्या सरकार शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर देगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हमीद खां--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक आ जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

यह प्रश्न इतना लम्बा चौड़ा है कि कानपुर के थाने कब के बने हुये हैं, वह कितने पुराने हैं और वह कब फिर बनेंगे जिसकी वजह से इसमें देर लगेगी ।

श्री अध्यक्ष--

यह बतला दीजिये कि यह सूचना कब मिल जायगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह सूचना हमारे डिपार्टमेंट से नहीं मिलेगी। यह सूचना तो पी० डब्ल्यू० डी० से मिलेगी। उनसे मांगी गई है। वह आयेगी तो सदन में पेश कर देंगे ।

श्री राजनारायण मिश्र--

श्रीमन्, इस प्रश्न के अन्दर मूसानगर पुलिस स्टेशन स्पेसिफिक रूप से दिया हुआ है। इसके साथ ही यह प्रश्न ६-२-६४ को स्थगित भी हो चुका है तब भी इसके लिये सूचना एकत्रित की जा रही है। जब स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन के बारे में यह सूचना मांगी गई है जो कि एक महीना पूर्व स्थगित किया जा चुका है तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसके लिये कितना समय और लिया जायगा और यदि आज तक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है तो वह क्यों नहीं प्राप्त हो सकी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह प्रश्न भी उन सभी प्रश्नों के साथ सम्मिलित था इसको भी उनको भेजा गया था ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो सम्मानित सदस्य यहां पर प्रश्न पूछते हैं वह सरकार से पूछा जाता है या विभाग से पूछा जाता है ? विभाग से हमारा क्या संबंध है ? मैं उनसे यह निवेदन करूंगी कि आइन्दा इस बात का ध्यान रखा जाय कि हम किसी विभाग से जवाब नहीं मांगते हैं बल्कि सरकार से मांग रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपत्ति बिलकुल ठीक है। यहां प्रश्न गवर्नमेंट से पूछे जाते हैं। कोई वजह नहीं मालूम होती है कि इस तरह से कहा जाय कि यह प्रश्न फलां जगह से पूछना चाहिये या मंगाने का प्रयत्न हो रहा है :

*५---श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

[२ मार्च, १९६४ को प्रश्न १ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

गाजीपुर जिले में शीशा व साबुन के कारखाने खोलने का सुझाव

*६---श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के मरदह, बिरनो और जखनियां ब्लाकों के क्षेत्रों में सज्जी ज्यादा होने के कारण शीशा और साबुन का कारखाना आसानी से खोला जा सकता है ? यदि हां, तब क्या सरकार इस क्षेत्र में शीशा और साबुन का कारखाना खोलने पर विचार करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी नहीं । जिला गाजीपुर के मरदह, बिरनों और जखनिया ब्लाकों के क्षेत्रों में जो सज्जी उपलब्ध है वह शीशा व अच्छी किस्म का सावुन बनाने के उपयुक्त नहीं है । अतः उक्त क्षेत्रों में शीशा और साबुन का कारखाना खोले जाने की सम्भावना नहीं है ।

श्री झिलमिटराम---

क्या सरकार को जानकारी है कि मरदह, बिरनो और जखनियां ब्लाकों से सज्जी बाहर भेजी जाती है? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी सज्जी बाहर भेजी जाती है और उस सज्जी से कौन-कौन सा सामान तैयार किया जाता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

कितनी सज्जी बाहर भेजी जाती है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन यह सूचना है कि मरदह ब्लाक में १० हजार मन, बिरनो ब्लाक में १०,००० मन और जखनियां ब्लाक में २,७०० मन सज्जी उपलब्ध है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या मंत्री जी को पता है कि पूर्वी जिलों के पटेल जांच कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गाजीपुर के इस क्षेत्र में काफी सज्जी होती है और इस कारण वहां शीशे का कारखाना खुल सकता है और इसलिये सरकारी क्षेत्र में वहां जो शीशे का कारखाना खुलने की सिफारिश उस कमीशन की है उसे सरकार मानेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह सज्जी खराब क्वालिटी की है । वह घटिया साबुन बनाने के काम आती है । उससे सोडा ऐश भी घटिया क्वालिटी का बनेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग उत्तर सुनिये ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जो सज्जी उस एरिया में उपलब्ध है वह घटिया क्वालिटी की है, ऐसी रिपोर्ट हमारे पास है । उसमें ४० परसेंट सोडियम कार्बोनेट मिला हुआ है, वह ठीक किया जा सकता है लेकिन उससे सोडा ऐश भी घटिया क्वालिटी का बनेगा और साबुन भी घटिया क्वालिटी का बनेगा । काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में साबुन बनाया जाय तो इसको काम में लाया जा सकता है । ग्लास फैक्ट्री में जो सोडा ऐश लगता है वह इस सज्जी से नहीं तैयार किया जा सकता, ऐसी सूचना मेरे पास है ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

क्या मंत्री जी बतलान की कृपा करेंगे कि किस विशेषज्ञ द्वारा आपने इस प्रकार की जांच करायी है कि जिसकी रिपोर्ट है कि वहां की सज्जी घटिया किस्म की है ? वहां की सज्जी, क्या यह सही है कि कानपुर, छपरा और मुंगेर और पटना के बड़े-बड़े व्यापारी आ कर ले जाते हैं नावों में भर कर और वही सज्जी कानपुर में सोने के दाम पर बिकती है और वे व्यापारी बड़ा मुनाफा कमाते हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इस प्रश्न के दो अंग हैं। पहला तो यह कि जो सज्जी वहां प्राप्त है वह इस्तेमाल हो सकती है या नहीं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि वह इस्तेमाल नहीं की जा सकती। वह इस्तेमाल की जा सकती है लेकिन घटिया किस्म का साबुन बनाने में ही वह इस्तेमाल की जा सकती है। सोडा ऐश इस से घटिया क्वालिटी का बनेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उत्तर उनका यह है कि यह बात ठीक है कि वहां से वह ले जायी जाती है और इस्तेमाल में आती है, लेकिन सरकार को जो सूचना है वह यह है कि यद्यपि उस काम के लिये वह इस्तेमाल हो सकती है लेकिन उससे घटिया चीज ही पैदा होती है।

श्री रघुवीर--

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि किस विशेषज्ञ द्वारा यह जांच करायी गयी ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे बेचने ही कलकत्ता और कानपुर के तमाम व्यापारी ले जाते हैं तो इस परिस्थिति को देखते हुए जहां तक काटेज और दूसरी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने का प्रश्न है, वहां सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वह इस सिलसिले में जांच कराये और उन संभावनाओं पर विचार करे कि जो इस्तेमाल इस सज्जी का कानपुर और कलकत्ता में होता है वही इस्तेमाल इस क्षेत्र में भी काटेज इंडस्ट्री में हो ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

प्रश्न यह था कि पब्लिक सेक्टर में कारखाना सरकार खोलेगी या नहीं। यह चीज स्माल स्केल इंडस्ट्री की है जो कि प्राइवेट ओनर्स के लिये है, वह स्वयं करना चाहें तो करें। सरकार तो उनको नियमानुसार लोन और रॉमैटिरियल दे सकती है, लेकिन छोटे काम पब्लिक सेक्टर में सरकार नहीं करती।

श्री कृष्णानन्द राय--

अगर मैं सरकार के सामने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स की और डायरेक्टर्स जो मुकर्रर हुए उनकी रिपोर्ट रख दूं जिसमें उन्होंने कहा है कि गाजीपुर की सज्जी और शोरे से एक कारखाना स्थापित हो सकता है, तो क्या उद्योग मंत्री जी पुनः विचार करके एक फैक्टरी वहां कायम करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें क्या दिक्कत हो सकती है ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किस आधार पर यह जांच कराय। गयी और रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत की गयी जबकि माननीय सदस्य वहां के यह कहते हैं कि यहां पर कारखाना खुल सकता है ? तो यह जो सकेंड रेट की चीज बतायी गयी यह किस आधार पर किसकी सूचना पर बताई गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, अधिकारी का नाम तो पता नहीं है ।

सेण्ट्रल रिजर्व पुलिस में कमान्डेन्ट

*७—श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस के कमाडेंट की पोस्ट पर इस समय उत्तर प्रदेश सरकार से भेजे हुए कोई अफसर काम कर रहे हैं ? क्या इस पोस्ट के लिये नियमानुसार इन शर्तों को, कि वह व्यक्ति, जो इस पोस्ट पर भेजा जाय, इण्डियन पुलिस सर्विस का हो और १५ वर्ष का मुलाजमती अनुभव रखता हो या आरमी सर्विस का हो और कम से कम लेफ्टिनेंट करनल के रैंक का हो, उपरोक्त अफसर पूरा करते हैं ? यदि नहीं करते, तो उनको किसकी सिफारिशी रिपोर्ट पर और किस आधार पर वहां नियुक्त कराया गया है और नियमों और शर्तों के इस तरह उल्लंघन करने का कौन जिम्मेदार है तथा सरकार इसक खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नलिखित तीन पुलिस अफसर इस समय सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस में कमान्डेन्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं :—

(१) श्री एम० ई० डेकुन्हा, आई पी० एस०

(२) श्री राजेन्द्र नाथ शिवपुरी, आई० पी० एस०

(३) श्री जगदीश प्रसाद बाजपेयी, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक ।

सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस के कमान्डेन्ट के पदों के लिये अफसरों का चुनाव तथा नियुक्ति भारत सरकार करती है । इस पद के लिये आई० पी० एस० के अफसर तथा प्रदेश पुलिस सर्विस के स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक या समान स्तर के पद पर नियुक्त पुलिस अफसर पात्र (eligible) होते हैं । भारत सरकार द्वारा नाम मांगे जाने पर राज्य सरकार प्रदेश के उपर्युक्त प्रकार के अफसरों में से नाम भारत सरकार के विचारार्थ भेजती है । प्रथम दो अफसर इंडियन पुलिस सर्विस के हैं तथा तीसरा अफसर इंडियन पुलिस सर्विस के सीनियर स्केल में स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक हैं । चूंकि अफसरों का चुनाव भारत सरकार स्वयं करती है, नियुक्ति करने में राज्य सरकार का हाथ नहीं रहता, अतः प्रश्न के अंतिम भाग का सवाल ही नहीं उठता ।

*८—श्री हलीमुद्दीन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त अफसर यानी कमांडेंट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने बाकायदा नियमों के अनुसार मुरादाबाद और माउन्ट आबू में पुलिस ट्रेनिंग ली है ? यदि हां, तो किन-किन वर्षों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्री डेकुन्हा ने, जो वार सर्विस केन्डीडेट (war service candidate) थे, पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में ३१-५-४७ से २२-९-४७ तक तथा श्री शिवपुरी ने १५-९-४८ से १५-९-४९ तक माउन्ट आबू में ट्रेनिंग प्राप्त की।

श्री बाजपेयी की नियुक्ति २१-११-४७ को पी० ए० सी० में कमान्डेन्ट के पद पर कार्य करने के लिये हुयी थी। उस समय उनको ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री हलीमुद्दीन--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि श्री जगदीशप्रसाद को आपने जब स्थानापन्न पुलिस अधिकारी लिखा है और जवाब में नीचे कह रहे हैं कि आई०पी०एस० के सीनियर स्केल में हैं, तो इंडियन पुलिस सर्विस में कब से आ गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

९-११-५५ को कन्फर्म हो गये थे डी० वाई० एस० पी० के पद पर, उसके बाद आफिशिएट करने लगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जगदीशप्रसाद जी बाकायदा आई० पी० एस० हैं या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

वह तो स्थानापन्न काम कर रहे हैं।

श्री हलीमुद्दीन--

जब यह अन्ट्रेन्ड हैं तो क्या कभी कोई डिपार्टमेंटल आदेश उनको इस प्रकार के दिये गये कि वे ट्रेनिंग लें और फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने बताया कि उनका सेलेक्शन तो केन्द्रीय सरकार ने किया। इसमें यू० पी० की सरकार का कोई हाथ नहीं था, उन्होंने जिसको ठीक समझा एप्वाइन्ट कर दिया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

लिस्ट तो आदमियों की यू० पी० सरकार ने भेजी थी, उसमें इनका नाम भेजने का क्या कारण था जब कि और सीनियर लोग थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

चूंकि उनको मिलिट्री का एक्सपीरियन्स था उनका नाम भेजा गया और केन्द्रीय सरकार ने उसको स्वीकार किया।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या यही तीन नाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिकमेन्ड करके भेजे थे या और भी कोई व्यक्ति थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी सूचना नहीं है।

श्री हलीमुद्दीन --

मेरा प्रश्न यह था कि जब यह अनट्रेन्ड थे तो क्या कभी ऐसे आर्डर्स हुये उनके लिये कि वे ट्रेनिंग प्राप्त करें, और वह ट्रेनिंग उन्होंने ली या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसके लिये सूचना चाहिये, लेकिन चूंकि उनको मिलिट्री का एक्सपीरिअन्स था, इसलिये शायद ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

इनको कितने साल का मिलिटरी एक्सपीरिअन्स था और किस किस पद का और क्या उनसे अधिक एक्सपीरिअन्स का कोई आफिसर हमारे यहां नहीं था ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे नहीं उठता। उनका उत्तर स्पष्ट है कि कमान्डेन्ट के पद पर काम करन क कारण उनका नाम भेजा गया और केन्द्रीय सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया।

पुलिस अधीक्षक, गोंडा को भूमिहीनों का सुरक्षा संबंधी प्रार्थना-पत्र

*९--श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--

क्या गृह मंत्री को पता है कि मौजा गेलन ग्रांट, परगना महादेवा, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में भूदान समिति की तरफ से तारीख १ मार्च, १९६१ को जिन २५ भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा दिया गया है उन्होंने अपनी सुरक्षा हेतु थाना बजीरगंज में कई रिपोर्ट्स लिखायीं और कप्तान पुलिस को भी अनेक प्रार्थना-पत्र दिये, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों और वे कौन हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मौजा गैलन ग्रान्ट, परगना महादेवा तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में जिन भूमिहीन व्यक्तियों को भूदान समिति की तरफ से पट्टा दिया गया था उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस अधीक्षक को उक्त आशय का एक आवेदन-पत्र दिया तथा एक व्यक्ति ने थाना बजीरगंज में धारा ४२६/५०६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई। विवेचना के उपरान्त दिनांक २८ जून, १९६३ को धारा १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही विरोधी पार्टी के २४ व्यक्तियों के विरुद्ध की गई। मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*१०--विष्णुप्रतापसिंह--

क्या गृह मंत्री इस बात की जांच किसी सी० आई० डी० के उच्च अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त २५ व्यक्तियों को जिन्हें पट्टा दिया गया उनके जान व माल का खतरा है और उस मौजे के प्रधान व अन्य पुराने बाशिन्दगान उन २५ असहाय व्यक्तियों को सता रहे हैं और हमेशा उनकी जोती व बोयी फसल काट लिया करते हैं ?

*११--क्या गृह मंत्री तुरन्त इस जांच के बाद उन २५ असहाय व्यक्तियों के जान व माल की रक्षा की व्यवस्था करेंगे ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस संबंध में जांच के उपरान्त उन विरोधी व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनसे अशांति की आशंका पाई गई धारा १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। स्थानीय पुलिस सतर्क है। सी० आई० डी० द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री विष्णुप्रतापसिंह—

पुलिस की सतर्कता के बावजूद भी अब भी फसल काट ली जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिये क्या माननीय मंत्री जी कोई कदम उठायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसी सूचना तो कोई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता होगा तो उसे देखा जायेगा।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

जिन २५ भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे दिये गये उनमें से २ वहां के आतंक से उजड़कर डरकर भाग गये और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उसमें बड़ी दिक्कत इस वजह से आ गई है कि जब उनको जमीनें दी गईं तो कुछ आदमियों के नाम कागजात में आये और कुछ के नहीं आये। जब उसकी चकबन्दी हुई तो जिनके नाम कागजात में थे उन्हीं के चक बने। जिनके नाम नहीं थे उनके नाम चक बन भी नहीं सकते थे। लिहाजा वे मुकदमा लड़े और उसमें नाकामयाब रहे और अब दीवानी में लड़ रहे हैं। तो वे शायद वैसे ही लोग रहे होंगे जिनका नाम नहीं रहा होगा। जिनको चक मिल गये हैं और जिनके नाम कागजात में नहीं थे परन्तु कब्जा मिल गया था, इन दोनों में यह लड़ाई चल रही है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

जिन्होंने चक मिल जाने पर भी कब्जा कर लिया उनके नाम क्या हैं और अदालत से फैसला होने तक पुलिस ने उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हमारी दिक्कत यह है कि जिनके नाम चक नहीं थे उनको.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय गृह मंत्री से जो सवाल पूछा जाता है उसे वह ठीक से नहीं समझते हैं और घुमाफिरा कर जवाब देते हैं। आप इसके लिये उन्हें तम्बीह करें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

हमारी दिक्कत यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं—हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके आधार पर कह रहा हूं—जिनके नाम दर्ज नहीं हैं लेकिन खेत पर उनका कब्जा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम दर्ज हैं लेकिन खेत पर कब्जा नहीं है। चूंकि सब लोग डिफरेन्ट अदालतों में मुकदमा लड़ रहे हैं, तो दौरान मुकदमा हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मंत्रीजी ने उत्तर में शायद शब्द का इस्तेमाल किया है। शायद माने है संदिग्ध। अगर उन्हें निश्चित मालूम नहीं है तो कह दें कि मालूम नहीं है। क्या वह शायद कहकर उत्तर देने के अधिकारी हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गंगाप्रसाद--

जब चकबन्दी हुई और चक काटे गये तो जिन काश्तकारों को चक मिले उन्हें वहीं पर चक का कब्जा दिला दिया गया और जब वे खेत जोते-बोये तो जो जमींदार और ताल्लुकदार हैं उन्होंने उनके खेतों को कटवा लिया, क्या यह मंत्रीजी को मालूम है ?

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि मुकदमा चल रहा है। आप बतलाइये कि चल रहा है या नहीं ?

श्री गंगाप्रसाद--

वह तो खत्म हो गया है।

श्री शान्तिचन्द्र शक्ल (जिला गोंडा)--

४२६/५०६ की रिपोर्ट पर कार्यवाही १०७/११७ की क्यों हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह नान-कागनिजेबिल आफेंस है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मंत्री जी के उत्तर से मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कानून का ज्ञान कम है क्योंकि कन्सालिडेशन को कार्यवाही पजेशन के आधार पर, रेकार्ड के आधार पर, होकर फैसला हो जाता है और उस आधार पर कब्जा दिया जाता है। पहली बात तो यह है कि कंसालिडेशन के केस का सिविल सूट बार्ड है। अगर किसी ने उलझाने के लिये सिविल सूट दायर भी कर दिया तो १४५ को कार्यवाही क्यों नहीं की गई कि जब्त कर लिया जाय और जिसके फेवर में अदालत से फैसला हो उसे दे दिया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

कन्सालिडेशन खत्म हो गया। जिसके नाम कन्सालिडेशन हुआ, मान लिया कि उसका एरिया १ एकड़ था और चूंकि उसका नाम ज्यादा पर चढ़ा हुआ था तो १० एकड़ उनका कंसालिडेशन हो गया। अब ९ एकड़ पर जो पहले से काबिज थे जिनके नाम कंसालिडेशन नहीं हुआ, जिनको जमीन नहीं मिली, वे मुकदमा लड़ रहे हैं कि इसमें हमारा भी हक है। १४५ के बाद भी तो मुकदमे से ही तय होगा। इसलिये १४५ की जरूरत नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह ठीक मालूम होती है कि माननीय मंत्रीजी ने कनसोलिडेशन के नियमों को देखा नहीं है, नहीं तो वे ऐसा उत्तर न देते। उन नियमों के अनुसार जो कब्जा मिलता है वह फाइनल मिलता है। यह कहां का कायदा है कि गरीब आदमी फसल बोते हैं और दूसरे काट लेते हैं और मुकदमा दसियों बरस तक लड़ा जाता रहेगा। कोई भी चीज इसमें बाधक नहीं है कि १४५ के अनुसार उन लोगों को कब्जा दिलाया जाकर फसल उनको दिला दी जाय या सुपुर्दगीदार के सुपुर्द कर दी जाय। ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

१४५ की कार्यवाही होने के बाद यही तो हो सकता है कि एक पार्टी का उसके ऊपर कब्जा हो जाय और दूसरे से कहा जाय कि तुम सिविल कोर्ट में जाओ और वहां से फैसला करा लो। लेकिन चूंकि वे लोग मुकदमा लड़ रहे हैं इसलिये उसको अटैच कर लेना ऐसी हालत में ठीक न होगा।

नोट--तारांकित प्रश्न ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

हरिजन कल्याण विभाग के कर्मचारियों की कथित शिकायतें

*१२--श्री गंगाप्रसाद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५८ में संचालक, हरिजन कल्याण विभाग में कितने ही कर्मचारियों से छुट्टी पर से लौटने पर कार्यभार ग्रहण करने का पत्र लिया गया परन्तु आज तक उन्हें न काम पर लगाया गया और न उनका बकाया वेतन दिया गया और न सेवाओं से अलग होने की नोटिस ही दी गयी ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इस पर अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं । ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है ।

*१३--श्री गंगाप्रसाद--

क्या यह सही है कि उपरोक्त विभाग के कर्मचारियों ने बकाया वेतन के हेतु लगातार प्रार्थना-पत्र दिये ? यदि हां, तो उनको वेतन न देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम--

प्रश्न नहीं उठता ।

*१४--श्री गंगाप्रसाद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं, वे किस पद पर कार्य करते थे और उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम--

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलों में कमेटियों की मीटिंग संबंधी आदेश

*१५--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या यह सत्य है कि सरकार के ऐसे आदेश होते हुये भी कि विधान सभा चले तब जिलों में सरकारी कमेटियों की मीटिंग न की जावे, फिर भी उस आज्ञा की अवहेलना करके मीटिंग की जाती है और बहुत सी जरूरी मीटिंगों में विधायक भाग नहीं ले पाते है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अब तक इनके अवहेलना की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

कान्तीपुर ग्रामवासियों की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*१६--श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कांतीपुर, थाना रौनापुर, जिला आजमगढ़ के निवासियों ने १८ जनवरी, १९६३ को उन्हें एवं पुलिस कप्तान, आजमगढ़ को थानेदार तथा पुलिस कर्मचरियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि अकारण मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है तथा १२० रुपया घूस लिया गया है ? यदि हां तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी और क्या दरख्वास्त देने वालों से भी बयान, साक्ष्य आदि लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोबिन्द सिंह—

थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम कान्तीपुर तथा कुछ अन्य ग्रामों के कुछ व्यक्तियों का इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १८-१-६३ का प्राप्त हुआ था। इस प्रार्थना पत्र की जांच उप-पुलिस अधीक्षक (परिवाद), वाराणसी रेंज ने की थी। जिन प्रार्थियों के बयान व साक्ष्य आवश्यक समझे गये और जो उपलब्ध हो सके उनके बयान साक्ष्य आदि लिये गये थे। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

*१७—श्री बंशीलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिया गया।]

आगरा जिले में अवैध रूप से पत्थर बेचने की जांच

*१८—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९६० में ग्राम डावर, परगना किरावली, जिला आगरा में कृषि योग्य भूमि में पत्थर की खान खोदने के लिए उस ग्राम के ग्राम प्रधान को तत्कालीन परगनाधीश द्वारा कोई Declaration दिया गया ? यदि हां, तो वह किस आधार पर दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*१९—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या Declaration की सहायता से उसे ग्राम प्रधान ने लगभग १० लाख रुपये मूल्य का पत्थर उन कृषि योग्य भूमि में से निकाल कर बेंच दिया और राज्य सरकार को एक नया पैसा भी रायल्टी नहीं दी गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*२०—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या जब कुछ नागरिकों ने उक्त मामले में राज्य सरकार को प्रार्थनापत्र भेज कर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है, यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। इस संबंध में आवश्यक जांच की जा रही है।

[५ फरवरी, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राइफल क्लब

*१—श्री दलजीतसिंह तथा श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राइफल क्लब कब से खोले गये हैं जो कारतूसों का वितरण करते हैं ?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

पुलिस विभाग की वैज्ञानिक प्रयोगशाला

*२--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि यू० पी० पुलिस के अधीन जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसमें कितने अभियोगों की वैज्ञानिक जांच हर साल होती है ? क्या इस मुहकमे से सरकार को कोई आर्थिक फायदा भी होता है ? यदि हां, तो सालाना कितना ?

श्री हरगोबिन्द सिंह--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि यह सही है कि इस विभाग में एक मुकदमे की वैज्ञानिक परीक्षा में एक साल या उससे भी ज्यादा लग जाता है ?

श्री हरगोबिन्दसिंह--

वांछित सूचन एकत्रित की जा रही है ।

*४--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि यू० पी० पुलिस कमीशन ने जिस क्राइम डिक्टेशन लेबोरेटरी के स्थापित करने की सिफारिश की थी, वह स्थापित हो गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां ।

स्वतंत्रता संग्राम इतिहास लिखने के संबंध में सुझाव

*५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के स्वतंत्रता संग्राम व उसके सेनानियों, सैनिकों के इतिहास वृत्त लिखने का कार्य उन सूचना विभाग के सरकारी अधिकारियों को दिया गया है जिन्होंने न तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और न उक्त महत्वपूर्ण इतिहास में लिखने में अभिरुचि ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में वहीं के स्वतंत्रता संग्राम के किसी योग्य सैनिक या सैनानी को उचित वेतन पर उक्त इतिहास की सामग्री जुटाने व लिखने के लिये नियुक्त करेगी और प्रत्येक सरकारी अधिकारी को उपयुक्त सूचना अविलम्ब उसे देने के लिये उचित आदेश निकालेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना मंत्री (श्री बनारसी दास)--

जी नहीं । स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की संक्षिप्त जीवनी "हू इज हू" लिखने का कार्य सूचना विभाग के एक अधिकारी द्वारा किया जा रहा है जो २५ वर्ष से अधिक समय तक यूनाइटेड प्रेस आफ इंडिया लिमिटेड न्यूज एजेंसी के एडीटर इंचार्ज रह चुके हैं और वे १९३१-३२ के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में दो बार जेल भी गये थे । "हू इज हू" के लिये मूल सामग्री जिला स्तर पर बनाई गई समितियों के तत्वावधान में एकत्रित की जा रही है जिसमें सरकारी तथा असरकारी दोनों प्रकार के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त है । अतः जिलों में अलग से वेतन पर किसी नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है ।

*६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार सूचना विभाग द्वारा लिखे गये उक्त इतिहास की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

अभी केवल झांसी डिवीजन का इतिहास हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है जिसकी एक-एक† प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

मधुवन थाने की पुलिस के खिलाफ शिकायत

*७—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बस्ती थाना मधुवन, जिला आजमगढ़ के कुछ व्यक्तियों का १८ दिसम्बर, १९६३ का लिखित आवेदन-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा २६ दिसम्बर, १९६३ को लिखे गये पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें स्थानीय पुलिस तथा कुछ व्यक्तियों की शिकायत झूठी शहादत न देने एवं गलत मुकदमे में फंसाने एवं मारने आदि की की गई है ? यदि हां, तो शिकायत की जांच किस अधिकारी से कराई गई और परिणाम क्या निकला और क्या शिकायत करने वालों के बयान लिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कुछ व्यक्तियों का तो नहीं किन्तु केवल श्री शीतल प्रसाद वर्मा, ग्राम बस्ती, थाना मधुबन जिला आजमगढ़ का इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १८-१२-६३, प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक २६-१२-६३ के साथ प्राप्त हुआ था । उसकी जांच सर्किल इन्सपेक्टर मऊ ने की थी तथा जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । जांच अधिकारी ने प्रार्थी का बयान लिया था ।

अस्थायी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

१७ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे जुडीशियल मैजिस्ट्रेट कुल कितने हैं और किस-किस जिले में हैं, जिनको काम की व आचरण की खराबी के कारण कन्फर्म नहीं किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पांच हैं जो इस समय बदायूं, आजमगढ़, मैनपुरी, जौनपुर, तथा कानपुर में तैनात हैं।

केन कमिश्नर के विचाराधीन अपीलें

*९—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त कुल कितनी अपीलें केन कमिश्नर के यहां पेंडिंग हैं जो गन्ना क्रेशर वाले गन्ना पेराई टैक्स की गलत टैक्सेशन के बारे में की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गुड़, राब तथा खंडसारी इकाई के स्वामियों द्वारा गन्ना क्रय-कर अवधारण के विरुद्ध प्रेषित ७११ अपीलें इस समय (१४-२-६४) तक पेंडिंग हैं।

इन अपीलों से संबंधित अपीलकर्ताओं की संख्या ३२५ है ।

---

†छापी नहीं गई।

*१०—श्री अहमद बख्श—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इनमें कितनी दो साल से ज्यादा की हैं और कितनी एक साल की और कितनों का टैक्स पूरा वसूल हो चुका है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

एक साल या उससे अधिक समय की केवल एक अपील पेंडिंग है ।

पेंडिंग अपीलों के अपीलकर्ताओं में से ४७ ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स की पूरी रकम जमा कर दी है ।

फतेहपुर जिले का थाना किशुनपुर

*११—श्री दीपनारायण सिंह—

क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला फतेहपुर के अन्तर्गत स्थित थाना किशुनपुर को हटाकर विजईपुर या किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव या विचार सरकार के सामने है ? यदि हां, तो क्या वे गत ६ वर्षों के अन्दर आज तक किशुनपुर टाउन एरिया में होने वाली दिन दहाड़े व रात की कतलों, बलवों, चोरियों आदि की घटनाओं की संक्षिप्त रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त किशुनपुर टाउन एरिया की जनता की जानमाल की रक्षा के लिये उनकी क्या योजना है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

*१२—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त थाना किशुनपुर के अपनी जगह से न हटाये जाने के संबंध में किशुनपुर टाउन एरिया के सम्मानित नागरिक श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल के द्वारा जनवरी सन् १९६३ में भेजी गई कोई लिखित प्रार्थना जिसमें प्रश्नकर्ता की भी सिफारिश लिखी है, उन्हें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी नहीं ।

बाराबंकी जिले में अपराध

*१३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में हर थाने में कितनी-कितनी चोरियों और डकैतियों की रिपोर्ट अप्रैल, सन् १९६३ से जनवरी, १९६४ तक दर्ज हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०६ पर)

*१४—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

जिन थानेदारों के काम की अच्छाई के कारण उनके सर्किल में वारदातें कम हुयीं, क्या उन्हें सरकार स्पेशल प्रोमोशन देने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

सब-इन्स्पेक्टर को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति प्रादेशिक आधार पर दी जाती है । इस हेतु उसकी वरिष्ठता तथा उसके द्वारा सब इन्स्पेक्टर के पद पर किये गये सम्पूर्ण कार्य को ध्यान में रखा जाता है । अतः किसी विशेष जिले के सब इन्स्पेक्टरों को किसी विशेष वर्ष में अच्छा कार्य करने के परिणाम स्वरूप पदोन्नति दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१५—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त अवधि में किन-किन थानेदारों के ट्रांसफर जिले से बाहर किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०६ पर)

झांसी जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स

*१६—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की मऊ-गरोठ, झांसी, मोठ, ललितपुर, महरौनी तहसीलों में जून, १९६२ से १५ दिसम्बर, १९६३ तक प्रत्येक तहसील में अलग अलग कितने लाइसेंस बन्दूकों व रिवाल्वरों के दिये गये और किन-किन व्यक्तियों को किन-किन तारीखों में ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मांगी गई सूचना संलग्न† तालिका में दी हुई है।

बलिया जिले में डकैतियां व कत्ल

*१७—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया में सन् १९६१ में जनवरी माह से लेकर सितम्बर, १९६३ के अन्त तक पृथक-पृथक वर्षों में सालाना प्रत्येक पुलिस थाने के अन्तर्गत कितनी-कितनी डकैतियां और कत्ल हुये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

सूचना संलग्न †तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८०७–८०८ पर)

मधुवन थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित ३१ अक्तूबर, १९६२ का कोई उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ ८ प्रार्थना-पत्र नत्थी थे और जिसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें थाना मधुवन पुलिस चौकी दुवारी, आजमगढ़ के कर्मचारियों के विरुद्ध मारने, घूस लेने आदि तरह-तरह की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई और क्या प्रार्थियों से भी बयान, साक्ष्य आदि लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। उसकी जांच सर्किल इन्सपेक्टर मऊ ने की थी। ६ प्रार्थियों के बयान लिये गये। दो प्रार्थी नहीं मिले।

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हसनपुर, थाना मधुवन, जिला आजमगढ़ के निवासियों का १ नवम्बर, १९६३ का लिखित प्रार्थना-पत्र उन्हें और जिलाधीश एवं पुलिस कप्तान, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसमें स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध पक्षपात करने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई और प्रार्थियों से भी बयान एवं साक्ष्य लिये गये कि नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम हसनपुर, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के निवासी श्री बाल गोविन्द का ऐसा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १-११-६३ को प्राप्त हुआ था। उसकी जांच सर्किल इन्सपेक्टर, मऊ ने की थी और उन्होंने प्रार्थी का बयान तथा साक्ष्य लिया था।

संयुक्त संचालन उद्योग विभाग, वाराणसी के शिक्षकों का बकाया

*२०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री १९ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर में दी गई सूचना के क्रम-संख्या ४ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि १,२४९ रु० ५२ न० पै० का भुगतान श्री राम अवतार वर्मा को कब किया गया तथा पूर्ण भुगतान की रसीद लिखा ली गई है और क्या टी० ए० का भी भुगतान हो गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री राम अवतार वर्मा को १,२४९ रु० ५२ न० पैसे का भुगतान १३ सितम्बर, १९६३ को कर दिया गया है तथा पूर्ण भुगतान की रसीद भी उनसे उसी दिन ले ली गई है। संबंधित टी० ए० बिल का भुगतान अभी नहीं हुआ है।

रेलवे आफिस, मुरादाबाद से साइकिलों की चोरी

*२१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि नार्दर्न रेलवे के डिवीजनल आफिस, मुरादाबाद से १९६३ में कितनी साइकिलें चोरी गईं और उनमें से कितनी पुलिस वालों ने पुनः प्राप्त करके उनके मालिकों को वापस कर दी और कितने आदमियों को इस संबंध में सजायें हुयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

नार्दर्न रेलवे के डिवीजनल आफिस मुरादाबाद से १९६३ में ९ साइकिलें चोरी गईं। इनम से ६ साइकिलें पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई। इन साइकिलों के नम्बर बिगड़े हुए होने के कारण ये मालिकों को अभी वापस नहीं की जा सकी है। इस संबंध में अभी तक किसी व्यक्ति को सजा नहीं हुई।

*२२—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या यह सही है कि इस आफिस के पास ही पुलिस चौकी है ? यदि हां, तो पुलिस ने साईकिलों की दैनिक चोरी रोकने के लिये कौन-कौन से उपाय किये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां ।

इस आफिस के पास ही पुलिस चौकी है । आफिस कम्पाउन्ड में स्थित साइकिल स्टैन्ड पर इस पुलिस चौकी का एक कांस्टेबिल साइकिलों की सुरक्षा के लिये तैनात कर दिया गया है । एक कांस्टेबुल साइकिल स्क्वाड से भी तैनात है ।

अनुसूचित जातियों के उत्थान पर व्यय

*२३—श्री मंगल देव (जिला आजमगढ़)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक अनुसूचित जाति के उत्थान पर कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? उसमें केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि मिल चुकी है ?

डाक्टर सीताराम—

अनुसूचित जाति के उत्थान पर तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में जनवरी, १९६४ तक ५३४.५५६ लाख रु० व्यय हुआ ।

केन्द्रीय सरकार से १९६२–६३ तक प्राप्त हुई धनराशि १८९.०० लाख रु० है जिसमें विमुक्त जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिये देय धन भी सम्मिलित है । १९६३–६४ के विषय में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

देहरादून रेलवे स्टेशन पर विस्फोट

*२४—श्री गंगाप्रसादसिंह—

क्या यह सही है कि ७ जनवरी, १९६४ को सांयकाल देहरादून स्टेशन पर बम विस्फोट हुआ था ? यदि हां, तो इस विस्फोट मे कितनी क्षति हुई ?

श्री हर गोविन्दसिंह—

७ जनवरी, १९६४ को सांयकाल देहरादून रेलवे स्टेशन पर कोई बम विस्फोट नहीं हुआ था बल्कि स्टेशन पर खड़े हुये मालगाड़ी के एक डिब्बे में रखे हुये गन पाउडर के २ बक्सों में विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट से ५१११६ रु० की आर्थिक क्षति हुई तथा ३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

परिगणित जातीय जिलाधीश

*२५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

विधान सभा के ३१ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १८ के क्रम में सरकार क्या कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि भविष्य में पिछड़ी हुई जाति के भी जिलाधीश हुआ करें और जो परिगणित जाति के तीन जिलाधीश है वे किस-किस जिले में हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जो परिगणित व पिछड़ी जाति के लोग आई० ए० एस० में आ जाते हैं वे जिलाधीश बन सकते हैं । इस समय जो तीन जिलाधीश परिगणित जाति के हैं और वे जिले जिनमें वे तैनात हैं नीचे दिये हुये हैं:—

१—श्री राम दास सोनकर—मैनपुरी
२—श्री दांगली प्रसाद वरुण—हमीरपुर
३—श्री प्रतापसिंह—शाहजहांपुर

आगरा में भारी उद्योग स्थापित करने की मांग

*२६—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार का ध्यान ८ दिसम्बर, १९६३ के आगरा के दैनिक "अमर उजाला" में छपे, केन्द्रीय सरकार के भारी उद्योग तथा इस्पात विभाग के उप-मंत्री के उस आश्वासन की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि उत्तर प्रदेश की सरकार मांग करे तो आगरा में भारी उद्योग की स्थापना की जा सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरे में भारी उद्योग की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से मांग करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। आगरा के दैनिक "अमर उजाला" में छपे समाचार के अनुसार केन्द्रीय उपमंत्री ने यह कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार मांग करे और साधन उपलब्ध करे तथा कोई तकनीकी अड़चन न हो तो आगरा में किसी भारी उद्योग की स्थापना की जा सकती है और केन्द्रीय सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। उनका यह कथन अवचनबद्ध (Non-Committal) है।

राज्य सरकार ने आगरा में एक हैवी कम्प्रेसर फैक्ट्री तथा मोटर कार फैक्ट्री स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से मांग की है। मोटरकार फैक्ट्री की योजना कदाचित भारत सरकार ने कुछ समय के लिये स्थगित कर दी है। हैवी कम्प्रेसर फैक्ट्री की मांग केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

*२७-२८—श्री बालोजी अग्रवाल—

[वापस ले लिये गये।]

झांसी जिले में चलती बस पर डकैती

*२९—श्री गंगाप्रसादसिंह—

क्या यह सही है कि जनवरी, १९६४ के प्रथम सप्ताह में जिला झांसी में चलती बस पर दस्युओं ने छापा मारा है ? यदि हां, तो उसमें क्या क्षति हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, दिनांक २-१-६४ को झांसी जिले में दस्युओं ने २ चलती बसों पर हमला किया जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा १,७४९ रुपए की क्षति हुई।

जौनपुर में वकील की मृत्यु की जांच

*३०—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १७ मई, १९६३ ई० को जौनपुर शहर के जहांगीराबाद मुहल्ले में किसी वकील की मृत्यु जहर दे देने के कारण हुई ? इस विषय में सरकार ने अपराधियों का पता लगाने व उन्हें दण्डित करने में क्या पग उठाया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक १७-५-६३ को सदर अस्पताल जौनपुर में जहांगीराबाद मुहल्ले के एक वकील की मृत्यु हुई थी जिन्हें पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के अनुसार जहर देने का संदेह था परन्तु रासायनिक परीक्षण से किसी भी वस्तु में जहर नहीं पाया गया। जांच से भी किसी व्यक्ति द्वारा जहर देना नहीं पाया गया। अतः किसी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

*३१--श्री जगन्नाथ राव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उपरोक्त काण्ड किसी नियोजित षड्यन्त्र का परिणाम है, जिस कारण पूरे परिवार के पांच व्यक्तियों जो जहर देकर मार डालने का प्रयत्न किया गया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं ।

स्विटजरलैंड में मथुरा संग्रहालय की बुद्ध प्रतिमा

*३२--श्री गणेशचन्द्र काछी--

१९ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के उत्तर के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा म्युजियम से जो बुद्ध की मूर्ति गैर-कानूनी रूप से स्विटजरलैण्ड ले जाई गयी है वह किस चीज की बनी हुई है और उसके वापस आने की आशा कब तक है ?

डाक्टर सीताराम---

मूर्ति लाल पत्थर (Red Sand stone) की बनी हुई है । केन्द्रीय सरकार द्वारा स्विस न्यायालय में आवश्यक मुकदमा मूर्ति को हासिल करने के लिए दायर करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है । तत्पश्चात् आशा है इसे शीघ्र भारत वापस ले आया जा सकेगा।

राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

*३३--श्री मंगलदेव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी समिति द्वारा प्रतिवेदन तैयार करने में सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

समिति द्वारा प्रतिवेदन तैयार करने में कुल ७,७१६ रुपया १५ न० पै० खर्च हुआ ।

*३४--श्री मंगलदेव--

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त समिति ने सरकार को कब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और सरकार ने कब उसे प्रकाशित किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन को सरकार को अगस्त १९६० में पेश किया । सरकार ने उसकी सिफारिशों का सारांश अप्रैल, १९६१ में सदन की मेज पर रखा । प्रतिवेदन की प्रतिलिपियों का प्रकाशन १९६२ में हुआ ।

बरेली जिले में भुता थाने का रजिस्टर खो जाना

*३५--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि थाना भुता, जिला बरेली का रजिस्टर नं० ८ और उसका भाग १ जो अत्यन्त महत्वपूर्ण रिकार्ड है, खो गया है ? यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३६--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या यह सही है कि उपरोक्त रजिस्टर अन्तिम बार चकबन्दी अधिकारी द्वितीय, फरीदपुर बरेली, की अदालत में ग्राम रिछा के "गेंदन सिंह बनाम वीरावती" नामक मुकदमे में पेश हुआ था जिसमें इस रजिस्टर को पन्ना बदल कर पेश करने की शिकायत की गयी थी और तभी से यह रजिस्टर खोया हुआ बताया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी आवश्यक जांच करके अपराधियों को दण्ड देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

देवरिया जिले में गन्ना विकास परिषदें

*३७--श्री कैलाश (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के हर एक मिल में गन्ना विकास कौंसिल के कौन-कौन चेयरमैन हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

देवरिया जिले की चीनी मिलों से संलग्न गन्ना विकास परिषदों के चेयरमैनों के नाम संलग्न तालिका में दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पष्ठ ८०९ पर)

*३८--श्री कैलाश--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना कौंसिल के चेयरमैन के कुछ मिल मालिक हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गन्ने की काश्त नहीं करते हैं ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति जो गन्ने की काश्त नहीं करते किस नियम या उपनियम के मातहत नामजद हुये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, कानूनन कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि ऐसे व्यक्ति, जो गन्ने की काश्त करते हों, उन्हीं को केवल गन्ना विकास परिषदों का चेयरमैन नियुक्त किया जाय। जिनसे भी विशेषज्ञ की राय (Expert opinion) प्राप्त हो सकती है उन्हें इसमें चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है ।

झांसी-कानपुर सड़क पर बसों पर हमले

*३९--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक ३ जनवरी, १९६४ को झांसी-कानपुर रोड पर पेशामुजीद ग्रामों के पास किसी बस में एक सेठ की हत्या गोली मार कर की गयी व अन्य बसों को पूरी तरह लूटा गया ? यदि यह सत्य है, तो सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये जिससे राहगीरों की इस प्रकार हत्या व लूटमार न हो सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

३-१-६४ को नहीं बल्कि २-१-६४ को झांसी-कानपुर रोड पर बसों पर हमलों की दो घटनायें हुईं जिसके फलस्वरूप एक बस में एक यात्री, श्री पंखी लाल लोहिया, की मृत्यु हो गई । तथा दूसरी बस से १,७४९ रु० का सामान यात्रियों से लूट लिया गया । जनता की सुरक्षा के लिये उक्त घटना-स्थल पर तथा मार्ग पर सशस्त्र पुलिस द्वारा गश्त का समुचित प्रबन्ध किया गया है ।

झांसी जिले में अपराध

*४०--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया यह बतायग कि १ जनवरी, १९६१ से ४ जनवरी, १९६४ तक बुन्देलखण्ड में कितनी हत्यायें, डकैती तथा कितनी राहजनी और कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया, सरकार द्वारा कितने मुकदमे अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये गये व कितनों में सरकार कामयाब हो सकी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८१०-८११ पर)

*४१--श्री लखपतराम शर्मा--

[हटा दिया गया ।]

पीलीभीत में इन्डस्ट्रीज आफिस बिल्डिंग

*४२--श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पीलीभीत में इन्डस्ट्रीज आफिस किस इमारत में है, उसका कितने रुपया माहवार सरकार किराया देती है और क्या यह सही है कि कई साल से मालिक मकान को किराया नहीं दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

पीलीभीत में इन्डस्ट्रीज आफिस मुहल्ला मस्जिद पठानी में स्थित है । इस बिल्डिंग का किराया ७० रु० प्रति मास है । यह किराया दिसम्बर, १९६२ से नहीं दिया गया ।

*४३--श्री रियासत हुसेन तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या उपरोक्त विषय में मालिक मकान ने कोई दरख्वास्त डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज और सरकार को भेजी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*४४-४५--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

[४ मार्च, १९६४ के प्रश्न ५८-५९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

फैजाबाद जिले में अपराध

*४६--श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फैजाबाद के प्रत्येक थाने में १९६२-६३ में कितनी डकैतियां, चोरी, बलवे, कत्ल, राहजनी, नकब (सेंध) के मामले हुये और कितने पर मुकदमा चलाया गया और कितने मुकदमे छूटे और कितने मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८१२-८१३ पर)

पुलिस सब-इंस्पेक्टरों का चुनाव

*४७--श्री सुखरामदास--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में १९६३ में कुल कितने पुलिस सब-इन्सपेक्टरों का चुनाव (सेलेक्शन) हुआ और उनमें से कितने हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जरवल चीनी मिल पर बकाया

*४८--श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच) तथा श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जरवल रोड चीनी मिल, जिला बहराइच पर इस समय कृषकों के गन्ने का मूल्य सरकार का टैक्स व गन्ना समितियों का कमीशन कितना अवशेष है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

३१ जनवरी, १९६४ तक इस मिल पर गन्ने के मूल्य कमीशन व सेस पर्चेज टैक्स की मद के अन्तर्गत जो रकम बकाया थी उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८१४ पर)

*४९--श्री रामअधार कनौजिया तथा श्री होरीलाल यादव--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जरवल रोड शुगर फैक्टरी का शुगर स्टाक गत सीजन में "अटैच" कर लिया गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां ।

*५०--श्री रामअधार कनौजिया तथा श्री होरीलाल यादव--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गन्ने के मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन-सी सुनियोजित व्यवस्था की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७ (१) में आवश्यक संशोधन इस आशय से किया गया है कि इसके अधीन बने हुए नियमों में गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जा सके । आवश्यक नियम भी शीघ्र विज्ञापित किये जा रहे हैं ।

बुलन्दशहर में छात्र की हत्या

*५१--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६३ के दूसरे सप्ताह में बुलन्दशहर में किसी छात्र का गला काट के हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा आगे क्या और कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

दिनांक ७-१२-६३ को एक छात्र की लाश पाई गई जिसकी हत्या चाकू से गला काट कर की गई थी। इस सम्बन्ध में पुलिस ने ६ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामले में तफतीश जारी है।

बरेली जिले में लाइसेन्स असलहा लेने के संबंध में शिकायत

*५२--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सच है कि जिला बरेली में असलहाजात के लाइसेंस के नवीनीकरण करते समय लाइसेंस होल्डर्स को मजबूर किया जाता है कि बरेली राइफल क्लब की सदस्यता का चन्दा भी जमा करे और क्या बगैर राइफल क्लब की सदस्यता के चन्दे के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह सत्य नहीं है।

*५३--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में कितने असलहाजात के लाइसेंस होल्डर्स ऐसे हैं जो बरेली राइफल क्लब के सदस्य नहीं हैं और कितने व्यक्तियों के असलहाजात के लाइसेंसेज का नवीनीकरण सन् १९६४ के लिए बगैर उनकी राइफल क्लब की सदस्यता को देखे हुए किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जिला बरेली में १,६०१ लाइसेंस होल्डर्स ऐसे हैं जो बरेली राइफल क्लब के सदस्य नहीं हैं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बिसवां थाने में चोरियां

*५४--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां नगर के अन्तर्गत थाना बिसवां, जिला सीतापुर में पिछले १ जनवरी, १९६३ से १४ जनवरी, १९६४ तक कितनी चोरी की घटना ये रजिस्टर हुयीं तथा इनमें से कितनी चोरियां वर्क आउट हुयीं तथा माल बरामद हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

४१ चोरियां रजिस्टर हुंई जिनमें से ५ वर्कआऊट हुई, ४ में माल बरामद हुआ।

श्री नित्यानन्द स्वामी एडवोकेट द्वारा देहरादून के कोतवाल की शिकायत

*५५--श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९६३ में जिलाधीश, देहरादून के माध्यम से श्री नित्यानन्द स्वामी एडवोकेट, देहरादून, का कोई शिकायती-पत्र दिनांक २५-२६ अक्तूबर, १९६३ का पुलिस द्वारा लाठी चार्ज आदि देहरादून में करने तथा अन्य उनके अवैधानिक कार्य के सम्बन्ध में शहर कोतवाली के विरुद्ध सरकार को मिला है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां।

*५६--श्री शारदाभक्तसिंह--

यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि उक्त पत्र की मांगों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्री नित्यानन्द स्वामी के प्रार्थना-पत्र की प्रति संलग्न† है, चूंकि इस पत्र से सम्बन्धित मामला न्यायालय के विचाराधीन है, अतः इस बारे में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

सौरिख थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*५७--श्री होरीलाल यादव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सौरिख, जिला फर्रुखाबाद क थाना इंचार्ज तथा कांस्टेबिलों के विरुद्ध १ सितम्बर, सन् १९६३ से ३१ दिसम्बर, सन् १९६३ तक भ्रष्टाचार वगैरह की कितनी शिकायतें जिलाधिकारियों तथा आई० जी०, पुलिस को मिली हैं और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

उक्त अवधि में थाना सौरिख, जिला फर्रुखाबाद के थाना इन्चार्ज तथा कांसटेबुलों के विरुद्ध ४ शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद को तथा १ प्रधान पुलिस निरीक्षक को प्राप्त हुए। जांच से इन शिकायती-पत्रों में अंकित आरोप निराधार पाये गये । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी जिला संयुक्त जांच समिति प्रतिवेदन

*५८-श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया), श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर), श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर) तथा श्री झारखण्डेराय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिला जांच संयुक्त आयोग (पटेल आयोग) ने अपनी जांच की रपट सरकार को दे दी है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर अमल कब से प्रारम्भ हो जावेगा ? इस आयोग की रपट के अनुसार अमल करने पर कुल कितना व्यय पड़ेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

पूर्वी जिला संयुक्त जांच समिति ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट १५ जनवरी, १९६४ को दे दी थी और अब प्रदेशीय सरकार को भी उसकी एक प्रति प्राप्त हो गई है । समिति ने देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास, विशेषकर कृषि उत्पादन के लिये कई कदम उठाने की सिफारिश की है । उस रिपोर्ट को माननीय सदस्य मेरे कमरे में देख लेने की कृपा करें ।

जब योजना आयोग और प्रदेशीय सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार कर लेंगे तभी उन पर अमल करने की बात सोची जायगी ।

समिति की सिफारिशों के अनुसार चार जिले देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में जिनमें जांच की गई थी, आयोजनागत व्यय के लिये तृतीय योजनावधि में ४०·४४ करोड़ रुपये (तृतीय योजना में पहले से निर्धारित धनराशि को मिला कर) और चतुर्थ योजनावधि में ७४·६४ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

---

†छापी नहीं गयी ।

*५९-६०--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

[हटा दिये गये।]

किछा चीनी मिल चलाने का आयोजन

*६१--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शुगर फैक्टरी, किछा इस वर्ष न चलाने का कारण क्या है ? क्या इस फैक्टरी को बनाने के लिए किसी व्यक्ति को ६० लाख रुपया भी दिया गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

राज्य सरकार नें इस मिल को लगाने के लिये विस्ट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन को रु० ४०.०० लाख ऋण के रूप में दिया था। इस मिल को चलाने के लिये प्लांट व मशीनरी का प्रबन्ध हो गया है किन्तु इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन से लगभग १ करोड़ रुपये का ऋण अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है जिससे इस वर्ष इस मिल का चालू होना सम्भव नहीं प्रतीत होता। आशा है यह मिल १९६४-६५ सीजन में चालू हो जायगी।

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी का उत्पादन तथा व्यय

*६२--श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चुर्क सीमेंट फैक्टरी उत्पादन को दूना करने की योजना, जो गत वर्ष प्रारम्भ की गयी थी, वह पूरी हो गयी। यदि हां तो फैक्टरी के गत तीन वर्षों का उत्पादन एवं उस पर किये गये व्यय का विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

राजकीय सीमेंट फैक्ट्री में उत्पादन को दूना करने की योजना अब पूरी हो गई है। फैक्ट्री में गत तीन वर्षों का उत्पादन निम्नलिखित है :

वर्ष	उत्पादन सीमेंट मैट्रिक टन में	व्यय रुपये में
१९६०-६१	२,४४,१३१	१,७६,७४,१९७
१९६१-६२	२,१८,२९०	१,९३,१६,३८८
१९६२-६३	३,२८,९६५	२,७५,६५,९०१

*६३--श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या उद्योग मंत्री उपर्युक्त फैक्ट्री में नियुक्त कर्मचारियों की सूची और उन पर होने वाले व्यय की एक तुलनात्मक सूची दूना करने के पहले और उपरान्त भी सदन की मेंज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

वांछित सूची संलग्न सूची में दी गई है ।

सीमेंट के उत्पादन को दूना करने के पहले के व्यय में अब ५० (पचास) प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८१५ पर)

हरदोई व काकोरी में हवालाती, असगर अली व कालिका की मृत्यु

*६४---श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई कोतवाली में १५ जनवरी, १९६४ को असगर अली नामक व्यक्ति की तथा काकोरी थाना लखनऊ में कालका की जो गांव मुबारकपुर का रहने वाला था १६ जनवरी, १९६४ को हिरासत में मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मृत्यु का कारण क्या है ? क्या इन दोनों व्यक्तियों का पोस्ट-मार्टम भी हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

पुलिस की हिरासत में असगर अली की मृत्यु १५ जनवरी, १९६४ को जूडीशियल लाक, अप के सामने कोर्ट कंपाउंड में और कालका की मृत्यु काकोरी थाने की हवालात में १६ जनवरी, १९६४ को हुई । जांच से पता लगा है कि कालका मुबारकपुर नहीं बल्कि ग्राम अमौसी का निवासी था । दोनों की लाशों का पोस्ट-मार्टम हुआ जिसके अनुसार असगर की मृत्यु का कारण फेफड़े की बीमारी, गिरा हुआ स्वास्थ्य और चोटों के फलस्वरूप मानसिक आघात था तथा कालका की मृत्यु चोटों के कारण हुई । असगर अली को चोटें गिरफ्तारी के सिलसिले में आई थीं तथा कालका को गांव वालों ने पकड़ते समय चोट पहुंचाई थी ।

रिहन्द बांध गुप्तचर कर्मचारी

*६५---श्री झिलमिटराम---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध गुप्तचर विभाग के कितने कर्मचारी एक स्थान पर १० वर्ष से ज्यादा दिनों से नियुक्त हैं और उसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

आवश्यक सूचना दिया जाना जनहित म न होगा ।

परगनाधीश, भोगांव की अदालत में फौजदारी व लाइसेन्स संबंधी मामले

*६६---श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भोगांव, तहसील (मैनपुरी) के वर्तमान हाकिम परगना के स्थानान्तर के आदेश पहुंचने तक बन्दूकों के लाइसेंस तथा विभिन्न मुकदमों की पृथक्-पृथक् कितनी फाइलें उनके कार्यालय में पेंडिंग पड़ी थीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उनके इस प्रकार पड़े 'पेंडिंग' कार्य की जांच करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

३२६ बन्दूक के लाइसेंस की दरख्वातें तथा १४३ माल व ६४ फौजदारी की पत्रावलियां पेंडिंग थीं । इसका कारण लाइसेंस के प्रार्थियों के चरित्र के विषय में मांगी रिपोर्टों की प्रतीक्षा तथा माल व फौजदारी के मामलों में सुनवाई पूरी न होना था । इन सब पर कार्यवाही जारी है ।

कानपुर अदालत में सरकार बनाम गोपालदास अभियोग

*६७--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह सत्य है कि सरकार बनाम श्री गोपाल दास इत्यादि-इत्यादि के विरुद्ध धारा ४०९, ४२०, ४७१, ४७७ इत्यादि में जे० एम० सिटी, कानपुर की अदालत में झांसी नगरपालिका से संबंधित मुकदमा कब से विचाराधीन है ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त मुकदमे की फाइल एक बार सेशन जजी, कानपर से गायब भी हो चुकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिनांक ५-१२-५७ के आदेशानुसार सरकार बनाम गोपाल दास इत्यादि के विरुद्ध धारा ४०९, ४२०, ४७१ आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमे को जिला कानपुर में निपटारे (disposal) के लिये स्थानान्तरित किया गया था। प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में अभी जांच की जा रही है।

उन्नाव जिले में हरिजन कूप-निर्माण अनुदान

*६८--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री प्रश्न संख्या १८ व १९, दिनांक १९ सितम्बर, १९६२ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के कुयें पूरे बन गये हैं उनको पूरा अनुदान अब तक दे दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६९--श्री भीखालाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री उन लोगों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि जिन्हें पूरा रुपया अब तक नहीं दिया गया और यह भी बतायेंगे कि उन्होंने कार्य के पूरा होने की सूचना जिला हरिजन कल्याण अधिकारी को कब दी ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७०--श्री भीखालाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र, दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ उन्हें प्राप्त हुआ था। यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

१-३--श्री अहमद बख्श--

[१९ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[हटा दिया गया।]

घोसी थाने से चलाया गया कथित फर्जी मुकदमा

५––श्री उमाशंकर––

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के थाना घोसी में, पिछले वर्ष स्टेट बनाम शिव पूजन, स्टेट बनाम अमरजीत, स्टेट बनाम सज्जन पर भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत घोसी थाने के अन्तर्गत पुलिस ने कोई मुकदमा चलाया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६३ में वह मुकदमा माननीय न्यायालय ने यह लिखते हुए छोड़ा कि मुकदमा फर्जी बनाया गया है, नजरी नक्शा फर्जी बनाया गया है और फर्जी अंगूठे का निशान बनाया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह––

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

६––श्री उमाशंकर––

क्या मन्त्रीजी यह बता सकते हैं कि किस कर्मचारी के विरुद्ध यह आरोप माननीय न्यायालय ने लगाया है और सरकार ने कौन-सी विभागीय कार्यवाही उसके विरुद्ध की ?

श्री हरगोविन्दसिंह––

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

महाराजगंज थाने के विरुद्ध आरोप

७––श्री उमाशंकर––

क्या गृह मंत्री को अगस्त, सन् १९६३ म प्रश्नकर्त्ता द्वारा आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र मिला था और उस आरोप-पत्र तथा जो और आरोप थे उसकी जांच डी० आई० जी०, बनारस रेंज ने की थी ? यदि हां, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री हरगोविन्दसिंह––

अगस्त सन् १९६३ में महाराजगंज थाने के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता के आरोप-पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया गया । प्रश्नकर्त्ता का उक्त आशय का दिनांक ४–१०–६३ का आरोप-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच डी० आई० जी०, वाराणसी रेंज ने की थी और उनकी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये ।

हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों का वेतन

८––श्री रामआधार कनौजिया––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को यह जानकारी है कि हरिजन कल्याण सुपर-वाइजरों का वेतन ३०–३–४५ रु० है ? यदि हां, तो इन कम वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके जिलों में क्यों नहीं रखा जाता है ?

डाक्टर सीताराम––

हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों की दूसरी श्रेणी का वेतन क्रम ३०–३–४५–द० रो०–३–६० है ।

बहुधा उन्हें इनके आसपास के ही जिलों में रखा जाता है । विशेष परिस्थितियों में किसी-किसी को उन्हीं के जिलों में भी रख दिया जाता है ।

उन्हें सामान्यतया अपने जिले में ही नियुक्त करना प्रशासकीय दृष्टि से उचित नहीं समझा जाता । इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें दूसरे जिले में रहने से उनके द्वारा उनकी सरकारी हैसियत के दुरुपयोग की संभावनायें कम रहती है ।

जिला सूचनाधिकारियों का वेतन

९--श्री मंगलदेव--

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला सूचनाधिकारियों का वेतन-क्रम २५०-५०० रु० तक करने का उन्होंने निश्चय किया है ? यदि हां, तो वे उसको लागू कब से करने जा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--

जी नहीं ।

१०--श्री मंगलदेव--

क्या यह सही है कि जिला सचनाधिकारी द्वितीय श्रेणी के आफिसर मान लिये गये हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री बनारसीदास--

जी नहीं ।

आजमगढ़ जिले में हरिजन-कल्याण व्यय

११--श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जहानागंज, जिला आजमगढ़ के रानीपुर और परदहा ब्लाकों में सन् १९६१ से जुलाई, सन् १९६३ तक हरिजन बस्ती एवं पानी पीने के लिये कुल कितना धन दिया गया है ? उसमें से कितना धन खर्च हुआ और किस-किस गांव में बस्ती एवं कुयें बनाये गये और कितना धन खर्च नहीं हुआ और क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

सचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८१६-८१७ पर)

जाति प्रमाण-पत्र

१२--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि परिगणित जाति के विद्यार्थियों या नौकरी में जाने वाले परिगणित जाति के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण-पत्र जिलाधीश से प्राप्त करने के लिए क्या नियम बनाये गये हैं और किन-किन गैर-सरकारी पदों के सम्मानित व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र देना उचित ठहराया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

परिगणित जाति के विद्यार्थियों को सहायता दिए जाने के लिए जाति प्रमाण पत्र संसद-सदस्य, विधान मंडल सदस्य, नगरपालिका कमिश्नर या जिला परिषद् के सदस्य या कोई भी राज-पत्रित (gazetted) अधिकारी दे सकते हैं ।

नौकरी में जाने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र जिलाधीश अथवा अन्य जिलाधिकारियों से ही लेना पड़ता है ।

सेवायोजन कार्यालयों (Employment Exchanges) म नाम लिखवाने के लिये विधायकों द्वारा दिए गए जाति-प्रमाण-पत्र भी मान्य हैं ।

१३--श्री मुरलीधर कुरील--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि परिगणित जाति के प्रमाण-पत्र जिलाधीश द्वारा देने में जो प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारियों को दिये जाते हैं उनमें कोर्ट स्टाम्प लगाने के आदेश सरकार ने किये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो जिन जिलों में यह प्रथा चलायी गयी है उसे शीघ्र बन्द करने के आदेश दिये जावेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जाति प्रमाण-पत्रों के लिए जिलाधिकारियों को दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों पर कोर्ट स्टाम्प कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० की धारा ३५ के अन्तर्गत लगाना पड़ता था जो कि संपूर्ण प्रदेश में लागू था, पर अब अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये इससे माफी दे दी गयी है ।

सहारनपुर जिले में उद्योगों के लिये सहायता

१४--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग ने क्या जिला बुलन्दशहर में ऐसे ग्रामों की खोज की है जहां कि पुराने जमाने से कोई विशेष गृह उद्योग चले आ रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उन ग्रामों के कारीगरों को उन उद्योगों को चलाने के लिए क्या-क्या सहायता और सुविधा प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से ग्राम हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। जिला बुलन्दशहर के निम्नलिखित ग्रामों में उनके सन्मुख दिये गये विशेष उद्योग पुराने जमाने से चल रहे हैं:--

सराय छबीला	कांच की चूड़ियां
अमरपुर, दौलतपुर, मोहम्मदपुर बरवाला	चाकू बनाना
नेथला	चर्म शोधन
ऊंची दनकौर	शोधित शोरा

इन उद्योगों में संलग्न कारीगरों को अपने काम को सुचारु रूप से चलाने के लिये उद्योग विभाग की ओर से ऋण और अनुदान, कच्चे माल एवं प्राविधिक जानकारी के रूप में उचित सहायता प्रदान करने का प्रबन्ध किया गया है ।

बुलन्दशहर जिले में जाटवों को सहायता देने की प्रार्थना

१५--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या समाज कल्याण मन्त्री प्रश्नकर्त्ता के पत्र , दिनांक १७ जुलाई, सन् १९६३ ई० के संबंध में जो कि ग्राम फरीदा, परगना अहार, जिला बुलन्दशहर के जाटवों के विषय में लिखा गया था बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने उस ग्राम के जाटवों के घरों की दशा का किसी उच्च अधिकारी से निरीक्षण करवाया और जानकारी प्राप्त की कि वर्षा के पानी के कटाव के कारण वे कितने खतरे में जीवन बिता रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

पत्र में सुझाव दिया गया था कि भूमि का कटाव रोकने की व्यवस्था की जाय या हरिजनों के लिये दूसरी जगह मकान बनवाये जायं । इनमें से किसी भी सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये हरिजन सहायक विभाग में चालू वित्तीय वर्ष में आर्थिक प्राविधान नहीं है । अतः इस विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई संभव नहीं हो सकी ।

१६--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालू वर्ष म हरिजन गृह निर्माण के मद म कोई प्राविधान है या नहीं ? यदि नहीं है, तो क्या सन् १९६४-६५ में कोई इस प्रकार की मद रखेंगे जिससे कि ग्राम फरीदा के जाटवों को गृह निर्माण हेतु सहायता देनी संभव हो सके ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों के गृह निर्माण के लिये प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का द्वितीय पूरक अनुपूरक) विधेयक, १९६४, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १२ फरवरी, १९६४ को बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २० फरवरी, १९६४ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २८ फरवरी, १९६४ को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

कतिपय विषय

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उस दिन आपने इस सदन में यह डायरेक्शन दिया था गोरखपुर के डिप्टी कमिश्नर के संबंध में माननीया मुख्य मंत्री को कि वे उसके विरुद्ध कार्यवाही करें। लेकिन पत्रों में यह छपा है कि माननीया मुख्य मंत्री उस संबंध में जांच करेंगी और जांच करने के बाद कार्यवाही करेंगी। यह स्पष्ट आपके आदेशों की अवहेलना है। आपकी व्यवस्था के विरुद्ध कदम है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा था कि इस पत्रावली को मैं उनके पास भेज दूंगा और लिखूंगा कि व उस संबंध में कार्यवाही करें। पत्रावली में अभी नोट तैयार नहीं हुआ है इसलिये नहीं भेजी गयी है।

श्री नेकराम शर्मा--

लेकिन ये तो दोनों बातें भिन्न हो गयीं ?

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं, दोनों एक ही बातें हैं।

श्री रामपालसिंह यादव, मंत्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय नित्यानन्द पांडेय जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है जो इस प्रकार है--

"मैं श्री रामपाल सिंह जी यादव, मंत्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं। इन्होंने एक छपा हुआ पर्चा इस आशय का निकाला और जनता में वितरित करवाया है कि मैंने विधान सभा में ऐसा भाषण दिया है

[श्री अध्यक्ष]

जो जनहित के विरुद्ध है और यह मेरी काली करतूत है तथा छपे पच के मध्यम से श्री रामपाल सिंह जो यादव ने मुझे जनता में बदनाम करने का प्रयास किया है ।

मेरे विधान सभा के कर्त्तव्यों एवं विधायी कार्यों, स्वतंत्र भाषण के अधिकारों में हस्तक्षेप किया और यह प्रयास किया कि मैं स्वतंत्रता-पूर्वक विधान सभा में अपने विचारों को व्यक्त न कर सकूं । यह स्पष्टतः एक विधायक के विशेषाधिकार की अवहेलना है । अस्तु, उचित कार्य-वाही के लिये यह सूचना छपे पर्चों के साथ भेज रहा हूं ।"

इसके साथ एक छपा हुआ पर्चा भी है जो इस तरह से है--

'डेरापुर क्षेत्र के कांग्रेसी एम०एल० ए०, श्री नित्यानन्द पांडेय, की विधान सभा में काली करतूत ।"

"किसी पर किसी तरह का नया टैक्स न लगाया जाये इस आशय के एक गैर सरकारी प्रस्ताव का जोरदार विरोध करते हुए श्री नित्यानन्द पांडेय ने असेम्बली में कहा कि:--

आज जो यह कहा जाता है कि योजना असफल हुई वह गलत है ।

यह भी कहा जाता है कि किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी, यह गलत है ।

आज गांवों की ओर चल कर देखिये, आज गांवों का नक्शा बदलता हुआ नजर आयेगा । आज गांवों में भी जहां कहीं पहिले किसानों के यहां कच्चे झोपड़े थे वहां आज कुल लाल ईंटें दिखाई देती हैं । आज खरंजे भी लगे दिखाई पड़ते हैं।

जन-साधारण आज टैक्स देने से नहीं घबराता है । जनता टैक्स देने से परेशान नहीं है ।

मैं समझता हूं कि जनता इस बात से परेशान नहीं है कि उसे टैक्स देना पड़ेगा ।"

दैनिक विश्वमित्र, २७ सितम्बर, १९६२ ।

भाइयों,

"पिछले दिनों जब प्रदेश कांग्रेस सरकार ने विधान सभा में जनता पर तमाम प्रकार के टैक्स और भूमि-कर (सवाये लगान) का प्रस्ताव पेश किया, तब अपने क्षेत्र के एम०एल०ए०, श्री नित्यानन्द पांडेय ने विधान सभा में उपरोक्त साजिशपूर्ण भाषण करके क्षेत्र की जनता के पेट में छुरा भोंका ।"

"जनता के पेट में छुरा भोंका" ये शब्द ऐसे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य को आजादी से यहां पर अपने विचार प्रकट करने में बाधा डालने की क्षमता रखते हैं । अतः प्राग्दर्शन में इसे मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समझता हूं और इसे विशेषाधिकार कमेटी में भेज रहा हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, इसको विशेषाधिकार समिति में भेजने के पहले इसके सम्बन्ध में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं । आपने इस विषय में अपनी बात कहने का मुझे मौका दिया इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मुझे दिक्कत यह है कि उसे आपने विशेषाधिकार समिति में भेजने का निर्णय भी पहले ही दे दिया । मैं यह अर्ज करना चाहता था कि इस आदरणीय सदन का हर माननीय सदस्य जो कुछ भी यहां भाषण करता है या कहता है, जैसा कि अभी आपने गेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से एक उद्धरण देते हुए यह कहा....

श्री अध्यक्ष--

आप चाहते क्या हैं ?

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं यह जरूर चाहता हूं कि आप उसमें से वह अंश पढ़ कर सुनायें जिसको प्राग्दर्शन के अनुसार विशेषाधिकार समिति में भेजने के लिये आप अनुकूल समझते हों ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो मैंने पढ़ दिया ।

श्री कल्पनाथसिंह--

यह ऐसा नहीं है । केवल एक बात जो इसमें कही गयी है कि "विधान सभा में इनके काले कारनामे" इस तरह की कोई शब्दावली आपने कही--वह तो बात हो सकती है और उस परचे में काले कारनामों के जो तथ्य दिये गये हैं १,२,३ करके, अगर ये तथ्य सही हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना के कांग्रेस के वे सभी सदस्य जिन्होंने २५ प्रतिशत लगान बढ़ाने के डिवीजन में खिलाफ वोट किया था, दोषी हैं और भूमि और भवन कर....

श्री अध्यक्ष--

हो गया, बस अब....

श्री कल्पनाथसिंह--

मेरी बात यह है कि कौन सी ऐसी बात उस नोटिस में मंत्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी, कानपुर ने लिखी है जिस के आधार पर प्राइमाफेसी आप इसे विशेषाधिकार समिति को भेज रहे हैं ? कौन सी ऐसी बात है जिस से हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होता है और वह प्राग्दर्शन का कौन सा अंश है ?

श्री अध्यक्ष--

जहां तक विशेषाधिकार के प्रश्नों का संबंध है, वह मैं अपने चेम्बर में तय कर सकता हूं कि उस को समिति में भेजा जाय या नहीं, लेकिन अगर मैं कोई बहस सुनना चाहूं कि प्राग्दर्शन में कोई केस विशेषाधिकार की अवहेलना का बनता है या नहीं तो मैं सुन भी सकता हूं । लेकिन बगैर सुने हुये भी मैं निश्चय कर सकता हूं । तो मैं इस को प्राग्दर्शन में ही उचित समझ कर विशेषाधिकार समिति में भेज रहा हूं । इसलिये इस पर अब कोई बहस नहीं होगी । जब वहां से प्रतिवेदन आयेगा तब आप विचार कर सकते हैं ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

तो सुनाने को भी यहां जरूरत नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष--

जब समिति से रिपोर्ट आयेगी तो वह या तो यह आयेगी कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता या आयेगी कि अवहेलना हुई है, तो दोनों सूरतों में सदन को अधिकार होगा कि वह उस पर विचार करे, मेरे निर्णय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी जो व्यवस्था हो चुकी है वह तो शिरोधार्य है लेकिन इस सदन में आज पहली बार ही आप ऐसा निर्णय दे रहे हैं, अभी तक आप ने किसी भी विशेषाधिकार के

[श्री राधेश्याम शर्मा]

प्रश्न पर ऐसा निर्णय नहीं दिया है लेकिन इस में क्या आप सोशलिस्ट पार्टी से किसी व्यक्तिगत कारण से जलकर ऐसा कर रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष--

यह बात बिल्कुल गलत है और ऐसा कहना सदन का अवमान है और वह अवमानसूचक बात है । मुझे अधिकार है जिस को मैं प्राग्दर्शन में ठीक समझता हूं उसे मैं विशेषाधिकार समिति में भेज सकता हूं । आपका इस तरह से यहां कहना असंसदीय है, आप इन शब्दों को वापस लें ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

मैं ने तो आप से व्यवस्था मांगी है ।

श्री अध्यक्ष--

आप वापस लें उन शब्दों को कि मैं सोशलिस्ट पार्टी से व्यक्तिगत कारण से जल कर करता हूं ।

श्री उमाशंकर--

आप कांग्रेस पार्टी के हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

आप वापस लें ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

मैंने कहा था कि आप की मंशा क्या ऐसी है, मैं तो आप से पूछ रहा था .....

श्री अध्यक्ष--

पूछने का ऐसा तरीका नहीं होता जिस तरह से आप पूछना चाहते हैं, यह तरीका बिल्कुल गलत है और आप ने जो शब्द इस्तेमाल किये हैं कि मैं सोशलिस्ट पार्टी से व्यक्तिगत कारण से जल कर ऐसा करता हूं ऐसा कहना सदन का अवमान है, इन शब्दों को आप वापस लें ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

ठीक है, पार्लियामेंटरी पद्धति में वापस लेना मैं कोई बुरी बात नहीं समझता ।

श्री अध्यक्ष--

चलिये हो गया ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप की इस व्यवस्था के प्रति पूरा आदर रखते हुये यह प्रार्थना करूंगा कि हर दशा में प्राइमाफेशी केस निर्णय करने के पहले सदन में राय लेना जरूरी होता है और उस के बाद आप को निर्णय करने का अधिकार है तो इस तरीके से माननीय राधेश्याम जी शर्मा के मुख से जो अचानक आघातपूर्ण शब्द निकल गये हैं .....

श्री अध्यक्ष---

वह तो अब वापस हो गये ।

श्री दीपनारायणसिंह--

तो आप सोचें कि इस में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना की बात नहीं है क्योंकि उस में कोई ऐसी बात माननीय नित्यानन्द क खिलाफ नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—

अब मेरी रूलिंग इस पर हो गई, अब यह विषय समाप्त ।

श्री दीपनारायणसिंह—

जनता सर्वोच्च है, वह सुप्रीमकोर्ट है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

आपने एक कमेटी को सुपुर्द कर दिया उस पर मुझे कुछ नहीं कहना । केवल एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं । जो कुछ हम यहां कहते हैं वह विचार स्वातंत्र्य के अनुसार कहते हैं और उसका हमको हक है । लेकिन हमारी कार्यवाहियों का उद्धरण बाहर भी हो सकता है, सब अखबार वाले करते हैं और इसी तरह से जनता में हमारे विचार पहुंचते है । तो अगर एक सदस्य ने यहां कुछ बात कही और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने वैसी ही छाप दी....

श्री अध्यक्ष—

आपने सुना नहीं । इसके ऊपर मैं भेज रहा हूं । श्री नित्यानन्द ने विधान सभा में साजिश पूर्ण भाषण करके क्षेत्र की जनता के पेट में छुरा भोंका ।

× × ×

श्री जे०पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी जो आपके सामने बैठी हुई है यह यूरोप की नेशनल डेमोक्रेट्स पार्टी का पार्ट अदा कर रही है हाउस के अन्दर और बाहर । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जिस किस्म की अनर्गल, असत्य और झूठी बातें इस सदन में कहते हैं और हम सदस्यों के खिलाफ बाहर कहते हैं उस के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, इस पर व्यवस्था दें ।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या अनर्गल शब्द संसदीय है ?

× × ×

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं बता दूं कि जो हरीश कुमार जी ने बातें कहीं उन्होंने बहुत तीखे शब्द प्रयोग किये हैं । उस को न लाते तो संसदीय कार्यवाही में बाधा न पड़ती लेकिन ऐसा है कि सरकार हमेशा 'इट इज इन दी डौक" वह काम करती है । वह काम चलाती है । विरोधी दल का अधिकार है कि वे कहें कि सरकार गलत काम कर रही है और कभी-कभी आवेश में आकर कह देते हैं कि सरकार छुरा भोंक रही है तो हमें वह सुनना है । अब रहा यह प्रश्न कि माननीय मिश्रा जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन्होंने जिन बातों को कहा है, वह संसदीय शब्दों के अन्तर्गत आते हैं । यद्यपि ये बहुत सख्त हैं और सख्त बातें न कहा करें तो बहुत अच्छा है ।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायणसिंह, आप कृपया बैठ जाइये ।

म्योर मिल, कानपुर में तालाबन्दी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास ३ सूचनायें आई हैं। एक तो कामरोको प्रस्ताव के रूप में माननीय झारखंडेराय की आयी है और नियम ५२ के अन्तर्गत एक श्री हरीश कुमार गंगवार, श्री रक्षपाल सिंह, श्री राजेंद्र सिंह की आई है । एक और आई है श्री विश्वनाथ सिंह की। कामरोको प्रस्ताव को मैं पढ़े देता हूं लेकिन मैंने उसको भी नियम ५२ के अन्तर्गत लिया है। वह इस प्रकार है :

"गत ४ मार्च से म्योर मिल, कानपुर के प्रबन्धकों ने मिल में अनिश्चित काल के लिये ताला बन्दी घोषित कर दी है, फलस्वरूप लगभग ६ हजार मजदूर बेकार हो हो गये हैं ।

इससे प्रदेश के सब से बड़े उद्योग-केंद्र में मजदूरों और साधारण जनता दोनों में घोर असंतोष, बेचैनी, घबराहट और आशंका व्याप्त हो गई है ।"

इन तीनों के मजमून एक समान हैं और माननीय मंत्री जी इस पर अपना वक्तव्य सोमवार को देंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, एक मेरा भी है ।

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय नरसिंहनारायण और माननीय काशीनाथ का भी है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

कानपुर यहां से बहुत ही निकट है । म्योर मिल में हड़ताल और तालाबन्दी हुयी है जिसके फलस्वरूप इतने मजदूरों की बेकारी की समस्या बड़ी विकट है तो जल्दी करें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

सोमवार को ही हम देंगे क्योंकि मैं खुद भी इससे वाकिफ हूं और मैं स्वयं देख रही हूं ।

गल्ला व्यापारियों का जब्त गल्ला आदि विभागीय अधिकारियों द्वारा छोड़ने से चोर बाजारी होने के संबंध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

२५ फरवरी, १९६४ को एक सूचना आर० एफ० सी० को प्राप्त हुई कि कलकत्ता से भेजा गया कुछ आटा, मैदा व सूजी कुछ व्यापारियों ने रिसीव किया है । मारकेटिंग स्टाफ को स्टेशन पर जाने के आदेश दिये गये यह जानने हेतु कि पार्टीज के क्या नाम हैं और क्या अन्य डिटेल्स हैं ? वहां जब पता चला कि इस तरह का कुछ माल आया है तो उसी रोज फूड ग्रेंस कंट्रोल, रिक्वीजीशन ऐंड डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर, ६३ के मुताबिक जो डी०आई० आर० के अन्तर्गत आता है सारे स्टाक को रिक्वीजीशन कर लिया । यह आर्डर २५ की शाम के बाद हुआ था और २६ को यह आर्डर उन पार्टीज पर सर्व कर दिया गया । उसी रोज यह भी आदेश दिया गया कि आटा, मैदा और सूजी को रिक्वीजीशन करके डी०एम० के एक नामिनी को दे दिया जाय। इसके बाद फिर होली की छुट्टियां आ गयीं। २ तारीख को फिर उसकी कीमत निर्धारित करके उनके नामिनीज को उठाने को कहा गया। वह माल किसी तरह से छोड़ा नहीं गया चोरबाजारी में जाने के लिये और निर्धारित कीमत पर उठाया जा रहा है ।

जहां तक बेकरीज को मैदा व आटा इत्यादि सप्लाई करने की बात है मैं यह पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने केवल प्राइस कंट्रोल की है । ओपिन मारकेट पर कोई कंट्रोल नहीं है । गेहूं, आटा, सूजी या मैदा कोई भी चीज वह ओपिन मारकेट में खरीद सकती है । या तो कंट्रोल हो जाय टोटल डिस्ट्रीब्यूशन पर तभी वह कह सकते थे कि चूंकि बाजार सारा बन्द कर दिया गया इसलिये मैदा, सूजी देना हमारा फर्ज हो जाता है । लेकिन जब फ्री मार्केट खुला है तो यह सवाल पैदा नहीं होता । गेहूं पर हमने प्राइस कंट्रोल की है । लिहाजा वह सब चीजें खुले बाजार में खरीद सकते हैं । यों थोड़ा बहुत मदद के तौर पर हम देते रहते हैं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कल्पनाथ सिंह जी के नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव पर आपने फैसला दे दिया है । आपको फैसला करने का अधिकार है लेकिन यह एक बहुत अहम सवाल है । माननीय मंत्री जी की कार से एक लड़का घायल हुआ इसको छिपाने से संदेह बढ़ता है । इसमें सरकार का तथा आपका गौरव भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

आपने सूचना को पढ़ा होता तो देखते कि उसमें यह लिखा है कहा जाता है कि वह किसी मिनिस्टर की कार थी । इतना अस्पष्ट सवाल है और कहते हैं कि नियम ५२ में ले लीजिये । अब यहां पर बहस छिड़ जाने से तो कोई लाभ नहीं है । आपने चूंकि एक बात कही इसलिये मैंने उसको बता दिया । उसमें यह लिखा है कि किसी मिनिस्टर की कार से वह दुर्घटना हुई ऐसा कहा जाता है । तो ऐसी बात तो अनिश्चित हो गयी । अब यह समाप्त हुआ ।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २५---नियोजन और समन्वय (क्रमागत)†

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सामुदायिक विकास मंत्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । किसी भी पिछड़े हुये देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास लाने के लिये योजनायें आरम्भ की जाती हैं । चूंकि अपना देश पिछड़ा हुआ था इसलिये अपनी सरकार ने योजनायें आरम्भ कीं । अब हमें यह देखना है कि हमारे देश एवं प्रदेश पर योजनागत क्या प्रभाव पड़ा ? इसके पहले कि मैं सरकार के कार्यकलापों का वर्णन करूं मैं माननीय चन्द्रजीत यादव ने, जो कल कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसके संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूं । यों तो वह बड़े योग्य और विद्वान हैं और यह भी मैं समझता हूं कि किसी भी बात को बहुत देखभाल कर वे कहते हैं परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने यह कह डाला कि सरकार ने दस अरब रुपया व्यर्थ नष्ट कर डाला, सभी योजनायें विफल हुईं । मेरी समझ में यह बात नहीं आती । यदि वे सन् १९५० से आज के आंकड़ों का मिलान कर के देखते और ठंडे दिल से सोचते तो मेरे खयाल में ऐसा कदापि नहीं कहते ।

अब मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सामाजिक विकास नहीं किया ? क्या सरकार राजनैतिक चेतना इस योजना काल में नहीं लाई ? इसके साथ साथ सरकार ने बड़े-बड़े डैम बनाये जिनके माध्यम से बिजली का उत्पादन किया । क्या उस बिजली से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को सहायता नहीं मिली ? क्या कुटीर उद्योग उससे नहीं पनप रहे हैं ? इसके साथ-साथ सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में हजारों प्राइमरी स्कूल खोले, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खड़ी कीं, बड़ी-बड़ी प्राविधिक संस्थायें स्थापित कीं ।

---

†४ मार्च, १९६४ की कार्यवाही से ।

[श्री रघुवीरसिंह]

जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में सैकड़ों अस्पताल बनाये, बहुत से मेडिकल स्कूल खोले। सैकड़ों मील लम्बी नहरें और हजारों ट्यूबवेल्स का निर्माण कर सिंचाई का प्रसार नहीं किया ? यातायात के प्रसार में सैकड़ों मील लम्बी नयी सड़कें बनायीं, पुरानी सड़कों का सुदृढीकरण किया, अनेक पुल बनाये जिससे यातायात को सुविधा मिली। क्या इन सब कामों में अरबों रुपया खर्च नहीं हुआ ? अगर माननीय यादव जी इसके ऊपर दृष्टिपात करते तो कदापि ऐसी बात नहीं कहते। यह निर्विवाद सत्य है कि कृषि के उत्पादन पर योजनागत कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। यह मान लेने की बात है और इसको मैं कहूंगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी। लेकिन इसके लिये मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल सरकार ही दोषी नहीं है। इसके अनेक और भी कारण हैं। आये दिन दैवी प्रकोप होते रहते हैं। कभी ओला पड़ता है, कभी पाला पड़ता है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी तरह-तरह के कीड़े-मकोड़े पैदा हो जाते हैं। इस तरह से अनेक दैवी आपदायें आती हैं जिससे किसान की फसल नष्ट हो जाती है और उसकी आय में घटी आती है। इसके लिये सरकार को दोषी ठहराना कहां तक बुद्धिमत्ता की बात है ? इसके अतिरिक्त खेती पर व्यक्तियों की संख्या हमारे प्रदेश में करीब ८५ प्रतिशत है। यह भी विचारणीय बात है कि जिस देश में जितनी ही ज्यादा प्रतिशत संख्या कृषकों की होगी यह स्वाभाविक है कि उतना ही वह देश पिछड़ा हुआ रहेगा। इसी कारण अपना प्रान्त अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। इसके लिये सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

अब मैं ऐसी बातें कहना चाहता हूं कि जिनसे किसानों की दैवी प्रकोपों से बरबादी होते हुये भी यथा सम्भव कृषि उद्योग में विकास लाया जा सके। मैं समझता हूं कि आयोजना का प्रारूप केन्द्र से बनकर आता है। योजना का प्रारूप नीचे से आना चाहिये। ब्लाक क्षेत्र से योजना का प्रारूप उस ब्लाक की परिस्थति के अनुसार बनाया जाय। फिर वह जिला परिषद् में आये, वहां से प्रदेशीय सरकार के पास आये और प्रदेशीय सरकार से केन्द्रीय सरकार के पास जाये। इस तरह से प्रारूप बनना चाहिये जिससे प्रत्येक क्षेत्र में उसकी परिस्थिति के अनुसार लाभ उठाया जा सके।

अब मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने हमारे प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया है। हमारे प्रदेश में सारे देश की १/८ भूमि कृषि के योग्य है तो जितना खेती के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोटा रखा है उसका १/८ हमारे प्रदेश को मिलना चाहिये था जो नहीं मिला और हमारे यहां की जनसंख्या समस्त भारत के लिये १/५ है। मैं समझता हूं कि उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार ने हमें कभी भी उतना अनुदान नहीं दिया जितना कि देना चाहिये। इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने भी कृषि उद्योग पर जिस पर प्रदेश के ८५ प्रतिशत लोग लगे हुये हैं, उतना रुपया नहीं लगाया जितना कि लगाना चाहिये। चौथी बात यह है कि कृषकों के अनुरूप योजना बनाई जाय। जिस देश में जिस उद्योग की जनसंख्या अधिक हो उसी के अनुसार प्लानिंग होनी चाहिये।

इसी तरह से श्रीमन्, बहुत से कारण हैं जिनसे किसान गरीब होते जा रहे हैं। अगर हम उचित कदम नहीं उठायेंगे तो गरीबी दूर नहीं होगी और हमारा पिछड़ापन दूर नहीं होगा। जब तक किसान का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक उसकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी और जब तक क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो औद्योगिक उत्पादन की खपत नहीं हो सकती है क्योंकि यह सर्वमान्य बात है कि ८५ प्रतिशत को छोड़ कर केवल १५ प्रतिशत लोग उद्योगों के उत्पादन की खपत नहीं कर सकते हैं। जिसके फलस्वरूप सारे उद्योग चौपट हो जायेंगे। इसलिये कृषि उत्पादन को अवश्य बढ़ाया जाय। किसानों को उसकी आवश्यकतानुसार बीज मिलना चाहिये क्योंकि चतुर किसान अपनी उपयोगिता से ज्यादा ले लेते हैं और सीधे किसान बिना बीज के रह जाते हैं। इसके अलावा सहकारी समिति से जो किसान कर्जा लेते हैं उसका भुगतान गल्ले से होता है। इससे किसानों को कठिनाई होती है। सरकार को ज्ञात है कि हमारे यहां छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं, इसलिये इतना गल्ला वे पैदा नहीं कर सकते हैं कि अपने खाने से बचाकर गल्ला बेचकर कर्जा

अदा कर सकें। इसलिये गल्ले के बजाय वह कैश क्राप और पशु-पालन वगैरह से कर्जा अदा करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि रुपये का कर्जा रुपये से ही देने के लिये कर दिया जाय नकि रुपये का कर्जा रुपये से न लेकर उसका गल्ला किसानों को देना पड़े। इसके साथ कुयें और रहट लगाने के लिये अब तक सरकार की योजना यह है कि एक ही किसान को देते हैं। छोटे-छोटे कई किसान अपनी होल्डिंग में मिल कर कुआं और रहट बना लेते हैं। इसलिये अगर मिलकर दो-चार किसानों का प्रार्थना-पत्र आये तो उनको भी पैसा मिलना चाहिये।

रासायनिक खाद के लिये किसानों को बाध्य न किया जाय। श्रीमन्, जब तक ८५ प्रतिशत जनता समृद्धिशाली नहीं होगी तब तक यह कहने का हक नहीं है कि जनता या देश समृद्धिशाली हो गया। आज हम देख रहे हैं कि केवल १५ फीसदी आदमी उत्तरोत्तर धनी होते जा रहे हैं और ८५ प्रतिशत आदमी निरन्तर गरीब होते जाते हैं। इसको समृद्धशाली देश नहीं कहा जा सकता।

इसके अलावा मैं किसान के एक संकट की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। किसान के सामने आज अपने बच्चों को पढ़ाने की समस्या है। उसकी इतनी आमदनी नहीं है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा सके। इसके लिये छोटे-छोटे किसानों को श्रेणीबद्ध किया जाय और उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलायी जाय। सरकार आज जानती है कि उसकी ऐसी क्षमता नहीं है कि आज की वह खर्चीली शिक्षा दे सके। देहात में ८० फीसदी आदमी ऐसा है जो बिना पढ़ा-लिखा रह जाता है। उनकी पढ़ाई और किताबों का खर्चा सरकार को स्वयं वहन करना चाहिये अन्यथा वह अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं। प्लानिंग एक बात बड़ा कास्टली बिजिनेस हो गया है। इसमें बराबर पैसों का इन्फ्लेशन होता जा रहा है। परन्तु छोटे-छोटे किसानों के लिये जिनके लिये प्लान की रूपरेखा तैयार की गयी है उससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि अस्पताल खोले गये। पर जहां पर अस्पताल हैं वहां दवायें नहीं हैं, जहां दवायें हैं वहां डाक्टर नहीं है, जहां डाक्टर है वहां बिल्डिंग नहीं है। यह प्लान की रूपरेखा है जिसका बड़ा यशगान करते हैं। पिछले फाइव ईयर प्लान से कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे यहां प्रदेशों में जो प्लान लागू किये जाते हैं, यह सेंटर से लादे जाते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में ऐसी बात नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में स्टेट्स को अपना प्लान बनाने का स्वयं अधिकार होना चाहिये। इसी लादने के कारण यहां पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बड़ा आघात पहुंचा है। आज सर्विसेज में इनफ्लेशन होता जाता है। बड़े-बड़े लोग जो पहले गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, श्री राम स्वरूप मेहरा, एक्स डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि सरकार यदि एक-चौथाई स्टाफ कर दें तो भी आपका काम अच्छा चल सकता है। आप वर्क लोड को नहीं बढ़ाना चाहते। जिस काम में कमी हो सकती है उसे आप करते नहीं हैं। यह आपके प्लान की विशेषता रही है। मान्यवर, मेरा यह अटैक सरकार पर नहीं है। लेकिन मजबूरी इसलिये है सरकार की कि इनकी ब्यूरोक्रेसी पनपने नहीं देती। इन पर आपका कोई कब्जा नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि आगे चलकर हर एक पहलू पर आपको इनसे लड़ना पड़ेगा। इसके लिये एक बड़ी स्ट्रांग पोलिटिकल पार्टी की जरूरत है। यह ठीक है कि आप इनके काम को देखते हैं आपकी पार्टी भी बड़ी है लेकिन आप जब आपस में ही लड़ते हैं तो ब्यूरोक्रेसी पर आप कैसे हावी हो सकेंगे?

यह कहा जाता है कि स्वतंत्र पार्टी प्लान का विरोध करती है। मान्यवर, यह पार्टी जो विरोध करती है, वह विरोध इसलिये समझा जाता है कि हम आलोचना करते हैं, वही उनका भ्रम है। हम आपके सिस्टम आफ प्लानिंग का विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। इसका विरोध करते हुये हम बताते हैं कि आप देश और प्रदेश पर ज्यादती कर रहे हैं। आज इस प्लानिंग के नाम पर जो कुछ किया जाता है, वह आप सभी जानते हैं जहां जिसकी जरूरत है, वह नहीं होने पाता। जैसे खेती का प्रोडक्शन बढ़ाने की तो चर्चा बहुत होती है उस तक

[श्री विजय सिंह]

आपको प्लानिंग का फायदा नहीं पहुंच रहा है। मान्यवर, प्लान के नाम पर यह अवश्य हुआ जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि बड़े-बड़े मिलमालिकों और कैपिटलिस्ट्स को फायदा हुआ यदि ऐसा है तो यह वही जानें। आज प्लानिंग बोर्ड का खर्चा जो सेंटर का हो रहा है वह १ करोड़ रुपये का है जो बहुत अधिक है और जो इनका लक्ष्य तैयार किया गया था कि निश्चित लक्ष्य तक वह सफलता प्राप्त करे पर वह रिजल्ट्स आज तक हासिल नहीं हुये। डिस्पैरिटी इनकम की और वेल्थ की बराबर बढ़ती रही, इनको चेक नहीं कर सके, फ्री और ईक्वल सोसाइटी आज तक कायम नहीं कर सके। और संसार के अन्य देशों में भी प्लानिंग को छोटी-छोटी तथा थोड़ी-सी रूपरेखा अवश्य है और वह भी उसको थोड़े समय तक ही चला रहे हैं। लेकिन उसकी रूपरेखा दूसरी है। भारतवर्ष में सब से ज्यादा व्यय इस प्लानिंग पर हो रहा है और बड़ी लांग टाइम रूप-रेखा तैयार कर दी गई है।

यू० एस० ए० में जो इतना बड़ा कन्ट्री है आज वहां पर प्लान को वह बहुत छोटे-छोटे रूप में ले आये हैं। उनका प्लान हमारे यहां के प्लान से बिल्कुल विपरीत तरह का है। मान्यवर, वहां ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग का जो काम किया जाता है वह यह कि एक स्माल प्लानिंग बोर्ड यानी एक छोटा बोर्ड बनाया जाता है जहां किसी शार्ट टर्म प्रोग्राम के ऊपर, जो कि डेफिनिट प्रेक्टिकल प्रोग्राम हो, उसी पर कार्य किया जाता है। उस कार्य को पूरा करने के बाद उस बोर्ड को भी वह खत्म कर देते हैं। भारतवर्ष की तरह उनके पास ऐसा कोई बोर्ड नहीं है कि जो पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष तक कायम रहे और उस पर इतना खर्चा किया जाय। इसी प्रकार इंग्लैन्ड में जहां कि यह कहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके का एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है जिसको सोशलिस्टिक पैटर्न पर लाने के लिये एक रूपरेखा बनाई गयी १९४५ में जबकि वहां लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इस प्लानिंग की रूप-रेखा का स्वीकार नहीं किया जो कि भारतवर्ष में कायम हो रही है। वहां पर नेशनल एकोनामिक डेवलपमेंट कौंसिल है जिसमें ८० मेम्बर हैं और वह किसी प्लान को चाक आउट करते हैं और वह भी किसी स्पेशल आइटम को लेकर और फिर वह लेजिस्लेचर की स्वीकृति लेकर तब उसको लागू करते हैं। मान्यवर, डेमोक्रेटिक तरीका है और भारतवर्ष में हर जगह यही झगड़ा रहता है कि सेंटर सारा प्लान ऊपर से लाद देता है और स्टेट उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार फ्रांस में भी है कि जरूरत पर छोटे-छोटे प्लानिंग बोर्ड बनते हैं। वहां पर सन् ४७ और ५१ में सिंगिल मैन प्लान बना जिसे मोनिट प्लान तथा हिश्च प्लान कहते हैं। एक आदमी ने प्लान तैयार किया उसके लिये ऐडवाइजरी बोर्ड बन गया और एक सब्जेक्ट पर जैसे कि जब कोई आपत्ति आयी, कोई बात नई तैयार करनी हुई तो उसके लिये उन्होंने एक बोर्ड बना दिया और उस बोर्ड ने उस प्लान को लागू करके काम को आगे को बढ़ाया।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

आप अपनी बात काट रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं ?

श्री विजयसिंह---

मैं यह बता रहा हूं कि यहां की प्लानिंग का रूप क्या है और कैसे दूसरी जगह प्लानिंग का काम होता है। आपका प्लानिंग का सिस्टम गलत है। आप अपने यहां कितना खर्च इस प्लानिंग पर करते हैं ? आपने जैसे रूस के प्लानिंग की नकल की, रूस में प्लान फेल हुआ। गल्ला उनको अमेरिका से मंगाना पड़ा। इसी प्रकार आपका भी प्लान फेल हो गया और इसे आपसे बड़े लोगों ने स्वीकार भी किया है। कुछ मुख्य-मुख्य कारण हैं जिससे आपका प्लान फेल हुआ। इसमें आप इतना खर्चा कर रहे हैं और, देश में छोटी-छोटी कमेटी या बोर्ड प्लान का काम पूरा करने को बनाते हैं और उसमें इतना खर्चा नहीं होता। लेकिन आप अपनी आर्थिक परिस्थिति न देखकर लोगों को दूसरे रूप में, प्लान लादते हैं, कुनबापरस्ती करते हैं। एक रोजी के रूप में सरकार पार्टी के लोगों को सब देते चले जा रहे हैं, और वही अयोग्य लोग आपके प्लान को फेल कर रहे हैं। यह मैं आपके सामने बता रहा हूं कि इस प्लानिंग बोर्ड के सदस्यों के सात पुश्त में भी खेती नहीं हुई और वह उसका प्लान बनायें। उसमें कैसे सफलता मिलेगी यह विचार करने की बात है। मान्यवर, मैं यह बतला रहा था कि और जगहों पर जहां पर

प्लानिंग इस रूप में लागू किया गया है कि वह बिलकुल छोटे-छोटे रूप में लागू किया है उन पर कम खर्चा होता है और एक सबजेक्ट को लेकर वह चलते हैं। इस रूप में उसको वह अपने यहां लागू नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप यहां पर कर रहे हैं और उसको लेकर यहां पर एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे देते हैं। और जगह छोटी-छोटी कमेटीज बनी हुई हैं और उन पर बहुत अधिक खर्चा नहीं किया जाता है। यहां पर अधिक खर्चा किया जाता है। जो प्लानिंग कमीशन यहां पर बनाया गया है वह पोलिटिकल आइडियालाजी को लेकर बनाया गया है जिसको सोशलिज्म का नाम दिया गया है। इसी आधार पर उसकी रचना की गई है और किसी देश में इस तरह का नहीं है। इस तरह की पोलिटिकल पार्टी के आधार पर अगर कहीं कोई कमीशन बना हो तो मंत्री जी बतलायें।

मान्यवर, इस प्लानिंग के सिलसिले में बुन्देलखंड के बारे में यह कहा गया था कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्वी इलाके की तरह से बुन्देलखंड के लिये भी कमीशन बनाया जायगा और उसको भी प्राथमिकता दी जायगी। आज तक बुन्देलखंड की इस कार्य के लिये उपेक्षा की जा रही है। बुन्देलखंड के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं परन्तु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। इस बात की आवश्यकता थी कि जिस प्रकार से पूर्वी जिलों के लिये कमीशन बना, जिस प्रकार से पच्छिमी जिलों के लिये कमीशन बना, उस प्रकार से बुन्देलखंड के लिये नहीं बनाया गया और उसकी उपेक्षा की गई है। उसके लिये आज तक कोई भी कमीशन नहीं बनाया गया है जो यह देखे कि कौन-सी इंडस्ट्री वहां पर कायम हो सकती है और वहां पर क्या काम हो सकता है और किस प्रकार से वहां के व्यक्ति, वहां के किसान उन्नति कर सकते हैं।

जालौन जिले में दो नदियां बड़ी-बड़ी पड़ती हैं जिनके बीच में बड़े भारी रेवाइन्स पड़ते हैं। बेतवा और चम्बल नदियों के बीच में इस तरह का बीहड़ इलाका है जहां पर डकैत बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां पर कोई भी आवागमन का साधन नहीं है। सरकार की प्लानिंग होने पर भी अभी तक कोई वहां पर आवागमन का साधन नहीं उपलब्ध हो सका है। वहां पर यदि आवागमन का साधन हो जाय तो आसानी से लोग वहां पर आ जा सकते हैं। वहां पर एक ब्लाक जो कायम होता है उसमें भी सही रूप से काम नहीं हो पाता है। बुन्देलखंड पिछड़ा हुआ इलाका है। सरकार यहां से उसके लिये स्कीम बना कर भेजती है लेकिन डाइरेक्टर वहां पर कोई नहीं पहुंचता है। जो ब्लाक के काम करने वाले हैं उन पर भी कोई असर नहीं होता है। मैंने कौंच तहसील के अपने गांव भेंड में जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां पर से ३० हजार रुपये की एक बिल्डिंग अस्पताल के लिये दी। वह जमींदारी टाइम की बिल्डिंग है जो अस्पताल के लिये दी गई। वहां पर मेडिकल अफसर के क्वार्टर के लिये ८ हजार रुपया मंजूर किया गया लेकिन इमरजेन्सी की वजह से उसको बनाना बन्द कर दिया गया। इमरजेंसी की वजह से उसको खत्म कर दिया गया। और जगह इमारतें बनी हैं लेकिन वहां पर उस इमारत को नहीं बनाया गया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर १०-१० मील तक कोई अस्पताल नहीं है। इस कारण वहां पर मेडिकल अफसर के क्वार्टर के लिये प्राविजन अवश्य करें और विशेष रूप से वहां पर उस अस्पताल के लिये मेडिकल अफसर के रहने का प्रबन्ध किया जाय ताकि वहां पर वह बन सके। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राजनारायणसिंह (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने के लिये आज्ञा दी। जो अनुदान प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके खिलाफ बोलना चाहता हूं। श्रीमन्, जब कटौती के प्रस्ताव पेश करने वाले महोदय ने प्रस्ताव पेश किया तो अपना व्याख्यान इस तरह से शुरू किया और कहा कि मंत्री महोदय का व्याख्यान बिलकुल नीरस है और निर्जीव है और यह भी कहा कि इस बजट में उनको जीव नहीं मालूम पड़ता है। श्रीमन्, मुझे ताज्जुब हुआ कि ऐसे योग्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायणसिंह]

आदमी जिनकी मैं बहुत हृदय से प्रशंसा करता हूं जिनकी योग्यता की मैं सराहना करता हूं उन्होंने कैसे कह दिया कि इस अनुदान में उनको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी और इससे देश का फायदा नहीं होता। श्रीमन्, जब मैंने उस बात पर गौर किया तो मुझे पता चला कि वाकई में उनका दृष्टिकोण भौतिकवादी है। वह चाहते हैं कि जहां १०० रुपया खर्चा किया जाय उसके स्थान पर उतने ही फल की प्राप्ति भी हो। लेकिन हमारे सामने जन-समुदाय में चेतना पैदा करने का भी प्रश्न है ताकि वह स्वयं अपना दायित्व समझ कर उन कामों को करने का प्रयत्न करें। यह हमारा ध्येय है। इसी विचार से योजनायें बनायी जाती हैं और उन पर यह रुपया खर्च किया जाता है अन्यथा हो सकता है कि हम और कुछ तेजी से चल सकते। रूस में योजना पर दूसरे तरीके से काम किया गया लेकिन यहां प्रजातंत्रीय पद्धति के अनुसार काम किया जा रहा है। किसी समाज, देश, प्रदेश की उन्नति तभी हो सकती है कि जब उसकी आर्थिक दशा सुधरे। उसके लिये ही हमारी योजना है और हम चाहते हैं कि हम अपने देशवासियों की आर्थिक दशा को समृद्धशाली बनायें। मुझे बड़े हर्ष के साथ कहना है कि हम पिछली दो योजनाओं में निरंतर इस ओर बढ़े हैं और उनके कारण देहात में एक नयी चेतना आयी है। हाल ही में जो जिला परिषद् आदि के कानून कायदे बने हैं उन से भी लोगों में जागृति आयी है और लोग स्वावलंबी हुए और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है।

हमारे पंडित जवाहरलालजी ने इन योजनाओं को बड़ी प्राथमिकता दी है और उन्होंने कहा है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम इस देश में एक ऐसे समाज की रचना कर रहे हैं जो स्वयं अपने उत्तरदायित्व को समझने में समर्थ हो रहा है और अपने पैरों पर खड़ा हो कर काम को स्वयं करने की चेतना अपने में पैदा कर रहा है। जिस तरह से बंदूक के बल पर काम करा कर रूस ने अपनी उन्नति की, उस तरह से उतनी जल्दी हम अपनी उन्नति नहीं कर सके हैं और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हमारे यादव जी को यदि यहां की योजना में कोई तत्व नहीं दिखाई पड़ता तो यह अन्तर हमारे और उनके दृष्टिकोण का है। वैसे वे विद्वान व्यक्ति हैं।

इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी ने कल अपनी स्पीच में देहात में तरक्की करने के लिये जो सुझाव दिये थे वे आवश्यक हैं और उनसे खेती बढ़ सकती है। उन्होंने दो आदर्श ब्लाक बनाने की बात भी कही थी। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि सीखर परगना, किरियात ब्लाक ऐसा है कि जहां के लोग सामाजिक तरीके से बहुत आगे बढ़े हुये हैं। वहां कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां दो-चार ग्रेजुयेट्स, वकील और डाक्टर न हों। वहां लोगों में आपस में संगठन है और वे सच्चाई के साथ अपना काम करते हैं और उसे आदर्श ब्लाक बनाया जा सकता है और मैं चाहूंगा कि अगर आप उसको अपनी लिस्ट में लें तो वहां की जनता अक्षरशः तत्परता और संगठन के साथ उसको पूरा करने में समर्थ होगी। श्रीमन्, अभी हाल में वहां के लोग अमरीका गये और रिटर्न होकर आये। वहां के काश्तकार रशिया गये और वहां जाकर रशियन लड़की से शादी की, इतने फारवर्ड हैं। यू० पी० के अन्दर पहली मिसाल है कि वहां का एक ऐडवोकेट डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जज बन गया है हाई कोर्ट में। तो ऐसे फारवर्ड जहां के किसान और गांव के रहने वाले हों और वहां के लिये सिंचाई का कोई जरिया न दिया जाय तो यह हम लोगों के लिये बहुत अनुचित बात होगी। गंगा के बायें किनारे स्थित होने से वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है, लोग लिखे पढ़े हैं, सामाजिक तरीके से बहुत आगे बढ़े हुये हैं, यह सब होते हुये अगर सिंचाई के साधन भी हों तो खेती का उत्पादन दुगना या तिगुना हम कर सकते हैं। वहां दो-तीन ट्यूबवेल बने हैं और बनारस के जरिये से बिजली भी पहुंच गयी है तो बिजली आसानी से दी जा सकती है।

मिर्जापुर में इंजीनियर्स का फ्रेंस हुई। उसमें मैंने जो त्रुटियां सरकारी ट्यूबवेल्स में पायी जाती हैं, जिनकी वजह से वह फेल होते हैं, उनको पेश किया। उसमें कई कारण हैं—अव्वलन तो जितनी दूर तक नाली बनानी चाहिये उतनी नहीं बनती। इसके अलावा जो आपरेटर होते हैं उनके पास जो शिकायतें की जाती हैं वह इंजीनियर्स तक नहीं पहुंचतीं। मैं चाहता हूं कि २०-२० एकड़ पर एक-एक प्राइवेट ट्यूबवेल बनाये जायं और उनको सब्सीडी अनुदान, और लोन देकर प्रोत्साहन दिया जाय। साथ ही सरकारी ट्यूबवेल की जो शिकायतें हैं वह दूर हो जायेंगी तो जितनी लोग आबपाशी करना चाहेंगे उतनी कर सकेंगे। काश्तकारों की कोआपरेटिव

सोसाइटीज बनायी जा सकती हैं और उनके जरिये भी लोन दिया जा सकता है, सब्सीडी दी जा सकती है। इस तरीके से प्राइवेट ट्यूबवेल बनाने में सफलता मिल सकती है। अगर एक ब्लाक में प्राइवेट ट्यूबवेल बनाये जायं तो जितना अन्न पैदा हो सकता है उससे ज्यदा पैदा किया जा सकता है।

एक बहुत जरूरी और आवश्यक बात है जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे परगना भुइली में वाटर लागिंग ३० गांवों में होती है और मैं १५ वर्ष से बराबर कोशिश करता हूं कि गड़ई नदी के जरिये से वाटर लागिंग की समस्या हल कर दी जाय। यह कितना आसान काम है, लेकिन २-३ गांव वाराणसी के पड़ते हैं और वहां एक रेगुलेटर है, उसके तोड़ देने से ३० गांव वाटरलागिंग में रहते हैं। इसके लिये रुपया भी मंजूर किया गया, लेकिन चूंकि ३ गांवों को जो ३० गांवों को डुबाकर पानी लेते हैं और सिंचाई-कर भी उनको नहीं देना पड़ता इसके होते हुये हम नहीं समझते कि बनारस के कर्मचारी लोग इस मामले में क्यों उदासीन हैं। जो हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं वह उस जगह के रहने वाले हैं और वहां की समस्याओं को वे अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस वाटर लागिंग की समस्या को हल करने के लिये वे सख्त कार्यवाही करें जिससे वहां पर काफी पैदावार की जा सके। आज इसके कारण, न वहां पर खरीफ की फसल हो पाती है न रबी की हो पाती है। अगर यह थोड़ा-सा काम हो जाये तो इससे बहुत बड़ा लाभ इस प्रदेश का होगा। अब तक कई वर्ष के निरन्तर प्रयास के बावजूद भी अभी तक असफलता ही रही है, इसलिये माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने के लिये जो अवसर दिया उसके लिये मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय चन्द्रजीत जी द्वारा, पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अपने प्रदेश में आज जो विकास का काम जिस रूप से हम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे बढ़ते जा रहे हैं और इस कारण आज उन लोगों को, जो विकास के विरोधी हैं, जो हमारी सुनियोजित योजनाओं में विश्वास नहीं रखते, हमारी योजनाओं को क्रिटीसाइज करने का मौका मिलता है। श्रीमन्, जब मैं यह कहता हूं तो मेरे सामने अपने प्रदेश का ही नहीं, पूरे प्रदेश का नक्शा खिंच आता है। श्रीमन्, आज अगर हम अपनी सारी योजनाओं की ओर दृष्टिपात करें तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी कोई योजना सुनियोजित नहीं है, वह ऊपर से लाद दी गई है, उसका गांव से या नीचे से कोई तारतम्य नहीं है, उसका जिले से, ब्लाक से कोई तारतम्य नहीं है और यही कारण है कि उन योजनाओं के द्वारा हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते थे, वह नहीं कर पाये और उसमें निरन्तर फेल होते जा रहे हैं।

श्रीमन्, चीन को हमसे दो साल बाद आजादी मिली, लेकिन उसने अपनी एक सुनियोजित योजना बनायी और वह यह थी कि उसके सामने सारे गांव का नक्शा था। कितने परिवार ऐसे हैं जिनको इम्प्लायमेंट मिलना चाहिये, कितने ऐसे हैं जिनको शिक्षा मिलनी चाहिये, कहां काटेज इन्डस्ट्री की जरूरत है, कहां उनको बढ़ाया जा सकता है, किस क्षेत्र में उन्नति की जा सकती है, यह सब नक्शा उनके सामने था। कितना उनके पास इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियल है, उसको वे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यह उनके सामने था। किन्तु हम जब अपनी योजनाओं को बनाते हैं तो यह सारी चीजें हमारे सामने नहीं होतीं, हम इन पर विचार नहीं करते।

श्रीमन्, जहां तक आज फूड का सवाल है, आज फूड क्राइसेज मची हुई है। हमारा देश जो गंगा जमुना का दोआब कहा जाता है, जहां एक जमाना था जब इस प्रदेश को खेती में सबसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

आगे माना जाता था, आज उस उत्तर प्रदेश की यह स्थिति है कि यहां लोग भूखों मर रहे हैं और कन्ट्रोल जैसे अभिशाप को यहां लगाना पड़ रहा है क्योंकि आज यहां चीजों की कमी है। लेकिन ऐसी स्थिति आज यहां क्यों पैदा हो गयी है, इस पर हमें चिन्तन की आवश्यकता है और हमें अपनी प्लानिंग को उस ओर ले जाने की आवश्यकता है जो हमें हमारे सोशलिस्ट गोल की ओर ले जा सके।

हमारी सरकार ने जिस समय योजनायें बनायीं उस समय या तो उसको यह एक्सपीरियंस न था कि उनको किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर हम इन एक्सपीरियेंस्ड थे तो फिर हमने टेक्नीकल लोगों की राय क्यों नहीं ली अथवा उन लोगों से लाभ क्यों नहीं उठाया जिन्होंने सोशलिस्ट अदर गवर्नमेंट्स प्राप्त किये हैं। रूस की प्लानिंग माननीय मंत्री जी के लिये विषाक्त हो सकती है लेकिन क्योंकि उन लोगों ने एक सुनियोजित योजनायें बनायीं, उनमें सफलता प्राप्त की, अतः मेरी राय में उनकी अच्छाइयों को हमें अवश्य लेना चाहिये। उनके एक्सपीरियेंस से हमें अवश्य लाभ उठाना चाहिये। चीन ने भी सुनियोजित योजनायें बनायीं और ये शेल्टर हाउसेज उन्होंने यतीमखानों की तरह से नहीं बनाये, उनको वहां सोने के लिये भी स्थान दिया गया और काम भी दिया गया। हर एक चीज में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, उनमें जो बुराई मालूम पड़ती है राममूर्ति जी उस पर दृष्टिपात न करें और जो उनमें अच्छी बातें हैं उनके अनुसार अपनी योजनाओं में सुधार कर लें। आज आपकी योजनाओं की हालत यह कि सिंचाई किसी के पास है तो बीज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी के पास है, तो अनुदान देना किसी तीसरे के ही हाथ में है। मतलब यह है कि आपकी योजनायें सुनियोजित नहीं हैं। उनमें आपको आमूल परिवर्तन करना होगा, एक दूसरे कामों का तालमेल आपको ठीक करना होगा।

पहले लोगों में भावना थी, वे लोग गांवों में जाते थे और वहां जाकर देखते थे कि वहां का एग्रीकल्चर पोटेंशियल किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार नीचे से काम होता था। गांव की लेबिल पर, ब्लाक की लेबिल पर, तहसील और जिले की लेविल पर और फिर सूबे की लेविल पर नक्शे तैयार किये जाते थे तब हमें मालूम होता था कि इन्डस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, तथा एम्प्लायमेंट का कितना पोटेंशियल हम बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से। लेकिन मुझे दुख है कि आज तो योजनायें ऊपर से लादने की कोशिश की जाती है। उसको पोलीटिकल कलर दिया जाता है, और भी बहुत से कंसीडरेशन्स होते हैं। राममूर्ति जी यहां हैं तो उनके यहां सिंचाई के काम अधिक होंगे लेकिन किसी अपोजीशन के मेम्बर के यहां आवश्यकता हो तो वहां नहीं होगा, नहीं तो ५ साल के बाद फिर वह चुन कर आ सकता है। इस प्रकार से आप अपनी योजनाओं को बनाते हैं इसलिये वे सुनियोजित ढंग से नहीं बन पातीं। आप वहां पर पोलिटिकल तरीके से प्रिफरेंस देते हैं और इसका नतीजा होता है कि जो हमारी योजनायें हैं वे सुनियोजित ढंग की नहीं हो पातीं और उसी का नतीजा है कि आज हम इस भुखमरी के शिकार होते हैं, अनइम्पलायमेंट के शिकार होते हैं। इसीलिये हम इस सदन में आपकी सारी योजनाओं के खिलाफ हैं और उनकी टीका-टिप्पणी करते हैं।

माननीय राममूर्ति जी, चूंकि आपने योजना और विकास का काम अपने हाथ में लिया है, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि विकास हो, उत्पादन बढ़े लेकिन जरा आप पिछले १० वर्षों की योजनाओं पर भी दृष्टिपात कीजिये कि उसकी वजह से आज क्या हालत है। किसी क्षेत्र को भी आप देखें, कोई उत्पादन बढ़ा नहीं है। मेरे पास ६१ तक के आंकड़े सामने हैं, ५९ के भी आंकड़े हैं जिनको मैं पेश कर सकता हूं लेकिन ६३–६४ का नक्शा आपके सामने नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि प्रदेश में सुनियोजित ढंग की योजना के लिये जरूरी है कि उसका ओवरहालिंग हो, रिआर्गनाइजेशन हो, जब तक इस तरफ आप कदम नहीं उठायेंगे तब तक आप कितना भी पैसा योजनाओं पर खर्च करें, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है।

आज तक राप्ती, घाघरा, कुआनो, गंडक की कोई योजना नहीं बन सकी। अंग्रेजों ने अपनी जमींदारी के जमाने में गोरखपुर जिले में जो कैनाल बनायी तथा हमारे माननीय सदस्य माथो प्रसाद जी त्रिपाठी के बस्ती जिले के इलाके में जो सारी कैनाल व गूलें बनीं, वे बर्बाद हो गयीं और उनको आप मेन्टेन तक नहीं कर पा रहे हैं। यह चीज हमारे लिये बड़े ही अफसोस व शर्म की है कि जो चीज हमें अंग्रेजों से धरोहर के रूप में मिली थी उसे भी हम नहीं कर पाये। यह कहा गया कि पूर्वी जिलों के लिये एक फर्टिलाइजर कारपोरेशन दे दिया है जिससे वहां का अनइम्प्लायमेंट खतम होकर वहां के लोगों को इम्प्लायमेंट मिले। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा कि वहां की क्या हालत है। आज वहां इम्पलायमेंट की यह स्थिति है कि गोरखपुर जिले के फर्टिलाइजर कारपोरेशन में उत्तर प्रदेश के लोगों को नान टेक्निकल पोस्ट व की पोस्ट पर नहीं रखा जा रहा है। वहां पर पंजाब व नांगल से लोगों को बुला-बुला कर इम्पलायमेंट दिया जा रहा है और सारी की सारी पोस्ट्स पर उन्हीं बाहर के लोगों को रखा जा रहा है। एक तरह से आपने हमें सफेद हाथी दे दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां नानटेक्निकल पोस्ट व की पोस्ट्स पर नहीं रखा जा रहा है।

(श्री बेचनराम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी खड़ा हुआ था लेकिन मुझे समय नहीं मिला, तो आप कृपया उठने के पहले जरूर हुक्म देते जांय कि उपाध्यक्ष महोदय मुझे जरूर समय दें क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र की करुण कहानी कहनी है।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—

श्रीमन्, मैंने कई बार प्रार्थना की और आपको लिख कर भी दिया कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय। पिछली बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया था लेकिन अब की बार आपने मुझे बिलकुल मौका नहीं दिया। मैं समझता हूं कि यह चीज हमारे लिये घातक सिद्ध हो सकती है।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत जो अनुदान पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

जरा एक मिनट रुकें। कांग्रेस के जो माननीय सदस्य हैं उनको चाहिये कि अपने ह्विप से कुछ तो कह दिया करें कि वे बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं ताकि मुझे भी सुविधा हुआ करे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—'

आखिर हम लोग जो कई बार खड़े होते हैं उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि जिन महानुभावों के नाम किसी भी पार्टी की तरफ से आते हैं वह महानुभाव सम्बन्धित विषय में तैयार हो कर आये हैं। मुझे आश्चर्य है कि विरोधी दलों से जिनका नाम आता है वे ही खड़े होते हैं और कोई नहीं। कांग्रेस से जो नाम आते हैं, मैं समझता हूं कि सरकारी पार्टी के ह्विप जानते हैं, कि कौन आदमी इस विषय पर बोलने को तैयार है, ऐसी मेरी भावना होती है, तो यह नेचुरल है कि उन ही के ऊपर नजर जाय।

*श्री बेचनराम—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत अनुदान प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जो उस पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। हमारे माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने अपने बड़े गम्भीर और विद्वतापूर्ण भाषण में योजनाओं के संबंध में बहुत-सी बातें कही हैं। उन सभी के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे माननीय यादव जी ने एक बात कही कि हमें योजनाओं को तोलना पड़ेगा कि वे किस दिशा में जा रही हैं। उन्होंने सारी असफलताओं का जिक्र किया कि योजनायें सारी असफल रही हैं और उन से कोई प्राप्ति नहीं हुई है, उन को चलाने वाले अयोग्य हैं, जो योजनाओं का यन्त्र है वह कुशल नहीं है, वह जर्जर है—इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कहीं लेकिन मैं एक बात निवेदन करूंगा कि जब उन्होंने कहा कि हमें उन्हें तोलना पड़ेगा तो हमें उस के साथ-साथ जिन के लिये योजना बनाई गई हैं, जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं, वे जिस देश के लिये और जिस प्रदेश के लिये व उसके जिस अंचल के लिये बनी हैं वहां की क्या समस्यायें हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या वहां की जनता के संस्कार हैं उन सब को भी हमें साथ में तोलना पड़ेगा। उन के आर्थिक संस्कार क्या हैं, उन के सामाजिक संस्कार क्या हैं, उन के रूढ़िवादी संस्कार क्या हैं इन सब को हमें तोलना होगा।

मुझे भी गांवों की योजनाओं के संबंध में काफी अनुभव है और मैं छोटी-छोटी बातें किसानों के संबंध में समझता हूं। कहा गया कि किसानों की पैदावार घटी है और हमारी सरकारी किताबों से भी सिद्ध है कि वह घटी है और आंकड़े भी दिये गये हैं कि उत्पादन घटा है। लेकिन हमें देखना होगा कि क्या वह योजनाओं के आने के कारण घटी है? सरकार ने योजनायें बनाईं, चलाईं, उन को सारे प्रदेश में फैलाया, अपने कुशल और योग्य व्यक्तियों को उस में लगाया, अपनी एक मशीनरी रखी, प्लानर्स रखे, तो क्या इस का यह फल हुआ कि पैदावार घट गई? उन कारणों के बीच में न जाना जिनसे कि पैदावार घटी और योजना के नाम पर ही बात कह देना कि इन्हीं के कारण पैदावार घट गई कहां की बात है।

माननीय त्रिकल जी ने कहा कि जहां हम पहले थे वहीं रह जाते तो गनीमत थी। यह सब कौन-सा तरीका है कि तथ्यों को नजरअंदाज करके बात कही जाये। डिबलर की बुआई की समस्या है, मलमूत्र से खाद बनाने की समस्या है जिस तरह कि चीन और जापान का काश्तकार खाद तैयार करता है, वहां की स्त्रियां यह सब काम करती हैं। इटली का किसान पौन एकड़ अपनी भूमि में अपने खर्च के लायक आलू पैदा कर लेता है। इस का कारण यह है कि वहां के किसान में टेक्निकल और साइन्टिफिक तरीकों को आत्मसात करने की शक्ति थी और वह आगे बढ़ा जो कि हमारे यहां अभी नहीं है। माननीय नरसिंहनारायण जी ने कहा कि लेबर वेस्ट हो रहा है। लेबर हरवाहों का, चरवाहों का या स्त्रियों का वेस्ट नहीं हो रहा है, लेबर वेस्ट हो रहा है सामन्तों का, उन की स्त्रियों का जो श्रमदान में स्वयं कुछ नहीं करते बल्कि मजदूरों से ही कहते रहते हैं कि 'खोदो खोदो'।

"लीडरों की धूम है, फालोअर कोई नहीं।
सब तो जनरल हैं यहां, आखिर सिपाही कौन है।"

ऐसे जनरल और सामन्त जो लोग हैं उन का लेबर वेस्ट हो रहा है जो स्वयं कुछ नहीं करते। माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा कि योजनाओं के बारे में बुनियादी प्रश्न है, सामन्तशाही का प्रश्न है, भूमि पर एकाधिकारवाद का प्रश्न है और सीलिंग जो हुई है उस का फल किसानों को नहीं मिला है। हमारी सरकार चाहती थी कि किसानों को जमीनें मिलतीं। देखना होगा कि इस देश में हमारी नीतियों और योजनाओं में बाधक कौन रहा है, वह सरकारी नीतियां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और योजनायें स्वयं बाधक नहीं हैं बल्कि वह हमारा समाज है, हमारी सामन्तशाही है जो हमेशा सरकार के आगे आते हैं।

श्रीमन्, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इतनी बड़ी फौज रख रखी है। अब आप बतायें कि जनतंत्र में आप १ हजार सवालों का जवाब मंगवाते हैं, जीवन से संबंधित हर बात के आंकड़े मंगवाते हैं तो क्या यह लेखपाल या चौकीदार ही भेज सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि केवल आंकड़े मंगवाने के लिये ही आपको हजारों कर्मचारी चाहिये। इतने वर्षों के बाद भी आज हमारा काश्तकार वैज्ञानिक सुविधाओं का लाभ खेती में नहीं लेने को तैयार हुआ है, अभी हजारों सालों की रूढ़ि वादिता उसके दिमाग से गयी नहीं। डिबलिंग से खेती करके, सनई से हरी खाद तैयार करना, सहकारी रूप से बीज एकत्रित करना यह संस्कार अभी उनके दिमाग में नहीं जम सके। क्यों नहीं राजनीतिक दल राजनीति के अलावा एक सोशल फ्रन्ट बनाते, जिसके द्वारा लोगों को इस ओर जागृत करें। हम अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की ट्रेनिंग दें जो सरकारी कर्मचारी करते हैं तो फिर राज कर्मचारियों की आवश्यकता ही न रहे। केवल बात करने से कोई समस्या हल नहीं होती, हमको प्रयास भी तो करना चाहिये उस दिशा में। अतः जो सफलता नहीं मिली उसके कारणों की ओर माननीय चन्द्रजीत यादव ने ध्यान नहीं दिया और उसका मुख्य कारण सामन्ती अवशेष है और जब तक यह रहेगा तब तक समस्या हल नहीं हो सकती। आज भी ऐसी जातियां हैं जिनके लोग जाति पाँति के नाम पर खेत नहीं जोतते, दूसरों से खेत जुतवाते हैं। यह फैक्ट्स ऐसे नोटोरियस हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले इन कारणों को मिटाना है। केवल पोलिटिकल स्टन्ट के लिये कहना कि सरकार की योजनायें असफल रही हैं ठीक नहीं है। आप उन कारणों को भी देखिये और उनको दूर करने के बारे में सुझाव दीजिये, अगर सुझावों पर अमल किया जा सकता है तो सरकार अवश्य उन पर अमल करेगी। हम लोग भी टीका करते हैं, लेकिन साथ-साथ सुझाव भी देते हैं। पर हमारा विरोधी दल सरकार के सब कामों में बुराई ही निकालना अपना कर्तव्य समझता है, वास्तव में अगर कोई अच्छी बात है तो उसको भी अच्छा नहीं कहता, यह गलत है।

मेरा निवेदन है कि जो बुनियादी और मूल भूत परिस्थितियां हैं उनको नजरअंदाज करके कोई बात रखेंगे तो कतई कामयाबी नहीं हो सकती। हमको चाहिये कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कोई उपाय निकालें तभी कुछ काम हो सकता है। हम पंचायतों के प्रधान और बी० डी० ओज० को दोष नहीं देते, उनको तो हम स्वयं सही रास्ते पर ला सकते हैं लेकिन इसके लिये हमको स्वयं ईमानदार होने की जरूरत है। और अगर हम ईमानदारी से काम करें तो कर्मचारियों को तो वैसे ही सही रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन हम तो जिम्मेंदार हैं जनता के प्रति। बी० डी० ओ० आदि ईमानदार हों या न हों लेकिन हमें ईमानदार रहना आवश्यक है। एक सुझाव मुझे देना है। अभी तो हमारे कर्मचारी हैं, ग्राम प्रमुख हैं, प्रधान हैं उन लोगों ने हरिया ब्लॉक में ग्रांट दी। उस ग्रांट का मिसयूज किया गया। इसका मतलब यह है कि जो चुने हुए लोग हैं या बी० डी० ओ० वगैरह हैं उनमें कहीं पर गड़बड़ी है। हमारे पंचायत के लोग और प्रमुख आदि जब तक अपनी जगह पर मजबूत नहीं होंगे, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता है। केवल यह कह देना कि पूरी की पूरी मशीनरी खराब है, पूरी बातें रद्दी हैं तो इन निराशाजनक बातों से कुछ नहीं हो सकता है।

मैं थोड़ा-सा पंचायत राज के भी बारे में कहना चाहता हूं। पिछले साल से पंचायत राज की ट्रेनिंग भी तोड़ दी गयी। मैं कहता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि पंचायत राज के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय और ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जायें जहां पर पंचायत के कर्मचारी, डेवलपमेंट के कर्मचारी और पंचायत सेक्रेटरी आदि का प्रशिक्षण होता रहे।

श्री अध्यक्ष—

अब समय समाप्त हो गया है। (माननीय राजेन्द्र सिंह के खड़े होने पर) माननीय राजेन्द्र सिंह, अब आप २ बजे बोलिये। अब हम उठते हैं।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ७ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द्रजीत जी यादव द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अर्थ व्यवस्था के लिये नियोजन की आवश्यकता तो है, उसके लिये एक आवश्यक धनराशि की भी आवश्यकता है लेकिन उसके साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि उस अर्थ व्यवस्था को विकसित करने के लिये हमारी ऐसी योजना होनी चाहिये जो हमारे प्रदेश के सामर्थ्य तथा साधनों के अनुकूल हो, लेकिन जो योजना इस समय चल रही है, उसका जो गठन है वह हमारे प्रदेश की जनता के सामर्थ्य तथा साधनों के विपरीत है। उसमें एक ओर तो जनता के ऊपर इतना भार लादा गया है जिसे सहन करने में वह असमर्थ है। दूसरी ओर जनता की उन असीम शक्तियों की ओर दुर्लक्ष्य किया गया है जिनको अगर विभाग ने योजना बनाते वक्त अच्छी तरह देखा होता तो उत्तर प्रदेश की यह तृतीय पंचवर्षीय योजना उसे समृद्ध बना सकती थी। इस तरह से प्रदेश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की मोटी पुस्तिका आपने सन् ६२ के प्रारम्भ में बांटी थी उसमें साफ लिखा हुआ था कि प्रदेश के सामर्थ्य को देखते हुये और आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न प्राथमिकताओं को और उद्देश्यों को तृतीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जायगा, किन्तु खेद इस बात का है कि इन प्राथमिकताओं पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के बनाते वक्त कतई ध्यान नहीं दिया गया है, न ठीक से उन पर कार्यान्वयन किया गया है। माननीय, उसमें साफ कहा गया है कि हमारी योजना किसी डाक्ट्रिन या डोगमा में बंधी हुई नहीं है। हम अपने प्रदेश की सामर्थ्य और आवश्यकतानुसार ही योजना बनायेंगे परन्तु आज समाजवाद का एक नारा लगा कर उसको एक सीमा में परिसीमित करते हुये हमारी सरकार और यह योजना विभाग उसे अग्रसर कर रहा है। इस प्रकार से उन प्राथमिकताओं की अवहेलना की गयी है और मूल रूप से यही कारण योजना की असफलता का है। योजना पर खर्च बहुत अधिक हो रहा है परन्तु हम यह नहीं आंक पा रहे हैं कि उस खर्च के बावजूद हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। इसको भी मंत्री जी को देखना चाहिये।

योजना में जो उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जीवन के स्तर को ऊंचा किया जायगा, गरीबी दूर की जायगी, परन्तु खेद है कि इस ओर एक प्रतिशत भी सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई है। आखिर सुनियोजित विकास है क्या जिससे हमको एक प्रतिशत भी सफलता नहीं मिली। आज अगर १ रुपया ४ आने प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है तो वैसे ही रुपये का मूल्य भी तो घटा है। इसके माने हैं कि कोई आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे प्रदेश में २५३ रुपये वार्षिक औसत आय प्रति व्यक्ति है जिसमें पूंजीपतियों की राशि भी शामिल है। आखिर हमारी प्रगति हुई कहां पर है? कृषि को प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना से देनी चाहिये थी जिसकी ओर दुर्लक्ष्य किया गया और फिर भूल को स्वीकार कर के इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी है, यह हर्ष का विषय है। परन्तु हमारे प्रदेश की आय कृषि के द्वारा ८९ प्रतिशत है जबकि उस पर योजना का केवल १७ प्रतिशत ही खर्च

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जाता है । इसको बढ़ाया जाना चाहिये । कृषि उत्पादन में यह देखना चाहिये कि ७ करोड़ रुपये जो हमने पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई साधनों पर खर्च किये उससे एक एकड़ भी सिंचित भूमि में वृद्धि नहीं हुई । वह धन कहां गया ?

नियोजन विभाग का जो कार्यान्वयन किया जा रहा है मेरी समझ में कोई रचनात्मक कार्य ब्लाक स्तर पर कम से कम नहीं हो रहा है । आज बी० डी० ओ० सिवाय जीप पर घूमने के और एक रुपया फी बोरी रिश्वत या किसी क्लब के नाम से चन्दा ले कर सीमेंट के परमिट काटने के और कुछ नहीं जानते । आज अगर आप उनसे अकस्मात पूछ लें कि तुम्हारे ब्लाक में कितनी ग्राम सभायें हैं और उनके कौन प्रधान हैं तो बिना लिस्ट देखे वे बता नहीं सकते । यह हाल है उनके जन सम्पर्क का । जब तक जन सम्पर्क नहीं होगा तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकती । जन सम्पर्क नहीं है इस बात का द्योतक यह है कि १९६३–६४ में ४० लाख एकड़ भूमि में हरी खाद का टार्गेट था जिसमें केवल २० लाख एकड़ भूमि में ही हरी खाद बोई जा सकी । यह एक छोटा-सा आसान काम है जो आधी हद तक पूरा हो सका है । गांवों के वास्तविक विकास के लिये मैं एक सुझाव देता हूं कि आप गांव स्तर की एजेंसी में परिवर्तन कीजिये । लेखपाल, अमीन, पंचायत मंत्री, ग्राम सेवक और पतरौल, इन पांचों को एक-एक हल्का बंटा हुआ है । आप एक आदमी एक गांव सभा के ऊपर नियुक्त करें जो इन पांचों आदमियों का काम करे और गांव सभा के विकास में अपने आपको जिम्मेदार समझे ।

कृषि उत्पादन के संबंध में मैं कहूंगा कि आप सहकारी खेती का नारा बन्द कीजिये । इससे किसानों को भूमि स्वामित्व के प्रति आशंका पैदा हो गई है और यह चर्चा हो रही है कि सरकार खेती भी नहीं छोड़ेगी । इसलिये गांव के लोग खेती छोड़कर शहर को भाग रहे हैं । अन्य देशों के आंकड़ों से भी यह साबित है कि सहकारी खेती से वृद्धि नहीं हुई है । इस लिये इस नारे को खत्म किया जाय । दूसरे योजना के नाम पर वोट मांगना बन्द कर दिया जाय । अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो विरोधी दल के लोग भी छानबीन करेंगे कि यह त्रुटि रही, वह त्रुटि रही ।

जहां तक नियोजन की कार्य क्षमता का प्रश्न है वह नहीं के बराबर है । जब कि विकास मंत्री जी कोई पत्र विकास आयुक्त को भेजें और वह खो जाय तो मैं नहीं समझ पाता कि जनता के सुझावों पर क्या कार्यवाही होती होगी । मैंने मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा था । उन्होंने मुझे जवाब दिया कि विकास आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही के लिये वह पत्र भेज दिया गया है । १८ अक्तूबर, १९६२ को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जवाब मिला कि माननीय सद य का पत्र विकास आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । जब मैंने उनको बताया तो जवाब आया कि उसमें कुछ फर्क है । आपकी तरफ से जो पत्र आया उसके मिसप्लेस हो जाने के कारण कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सका । अब उस पर जल्द कार्यवाही की जायगी । यह १९६२ का आश्वासन है और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और न कोई उत्तर प्राप्त हुआ है । यह नियोजन विभाग की एफिशियेन्सी की हालत है ।

मान्यवर, एटा जिले में दो नदियों के बीच में एक परगना है उसके विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत लें । उसकी समस्याओं को लेकर विकास करने की कोशिश करें । आप छोटे-छोटे उद्योगों को जो कृषि से संबंधित हैं उनको प्राथमिकता दें और उनके लिये लोगों को ट्रेनिंग दी जाय । आपने दो साल में १५६ सेंटर्स खोले हैं और उनमें से ६,१३८ लोगों को निकाला है । आप उनको देखिये कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग से कितना उत्पादन कार्य किया है ? अंत में मैं कहना चाहता हूं कि विभागों का डैटा सही रूप में आने के लिये स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट को बी० डी० ओ० से अलग कीजिये । वह बी० डी० ओ० की वजह से ठीक डैटा नहीं भेज रहा है । ब्लाक स्तर से लेकर स्टेट के स्तर तक यह जगह बी० डी० ओ० प्लानिंग आफिसर वगैरह से अलग होनी चाहिये जिससे सही आंकड़े मिल सकें ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान के संबंध में माननीय सामुदायिक विकास मंत्री और यादव जी के भाषणों को मैंने बड़े गौर से सुना। माननीय यादव जी ने उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के संबंध में कुछ तथ्य और आंकड़े रखे। श्रीमन्, उनसे इंकार नहीं किया जा सकता है। एक बार नहीं बल्कि अनेक बार विभिन्न अवसरों पर ये तथ्य और आंकड़े माननीय सदन में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। इसलिये मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अपने प्रदेश के पिछड़ेपन का जो पहलू है, बहुत गंभीर है। उसको मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश अपनी आय में वृद्धि के लिये जितना कृषि पर आधारित है उतना समस्त उद्योगों पर आधारित है, और समस्त भारत इतना नहीं है। यह इससे भी सिद्ध होता है कि दो पंचवर्षीय योजनाकाल में ७९ प्रतिशत आय कृषि की पैदावार की वृद्धि से हुई, जब कि शेष भारत वर्ष की आय में कृषि से वृद्धि केवल ३६ प्रतिशत हुई थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन दो पंचवर्षीय योजनाकाल में जो पिछड़ापन आया है वह कृषि की पैदावार में कमी से नहीं आया है, बल्कि कृषि की पैदावार ने इन दो पंचवर्षीय योजनाकाल में अपने लक्ष्यों को हमने हासिल किया है। उत्तर प्रदेश का आर्थिक पिछड़ापन इन दो पंचवर्षीय योजनाकाल में आया है। इस का कारण है कि उत्तर प्रदेश की आय के अन्य क्षेत्रों में जितनी वृद्धि होनी चाहिये थी उसकी वृद्धि में कमी हुई है। परन्तु श्रीमन्, तीसरी पंचवर्षीय योजना की तस्वीर आप देखें। वह बहुत ही चिन्ताजनक है। हम चाहते थे कि इन तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के अन्दर ३३ लाख टन गल्ले का अधिक उत्पादन होता परन्तु खेद की बात है कि बजाय ३३ लाख टन ज्यादा गल्ला पैदा होता इस साल २० लाख टन १९६०–६१ से कम गल्ला पैदा होने की संभावना है जबकि शेष भारत के अन्दर कृषि की पैदा वार घटी नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शेष भारत में तो पैदा-वार श्रीमन् बढ़ी है, दूसरे वर्ष के अन्दर कुछ घटी है और तीसरे वर्ष के अन्दर स्टेटिक रहने की सम्भावना है। कहने का तापर्त्य है कि इस कृषि के प्राइमरी सेक्टर में अगर इतना पिछड़ापन उत्तर प्रदेश में रहा तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जायगी। मान्यवर, इस पिछड़ेपन की गंभीर सम्भावनाओं को देखते हुये कई योजनाओं के अन्दर भगीरथ प्रयत्न करने के बावजूद भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पायेंगे। नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल ने हमारी योजना को सिविल डिफेंस योजना का इन्टीगरल पार्ट माना है। गिरानी आज तूफानी तरीके से बढ़ती जा रही है। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि उनको अपनी स्कीमों को पूरा करने के लिये क्या क्या वस्तुएं चाहिये। निश्चित मात्रा में goods और resources और Service Schemes को पूरा करना चाहिये और वह आज के दामों के आधार पर नहीं रखे गये हैं और अगर उन्होंने अपनी योजनाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है तो मुझे भारी शक है कि उन को अपने टारगेट को हासिल करने में कठिनाइयां होंगी। इन आर्गूमेंट्स के साथ मैं माननीय मंत्री जी के सामने इस सदन की एक साल पुरानी मांग पेश करता हूं जो बारबार दोहरायी गयी है कि वह कृपया शीघ्रातिशीघ्र अपने विभाग द्वारा एक तीसरी पंचवर्षीय योजना का मिडटर्म ऐप्रेजल तैयार करावें और उसके लिये एक मिडटर्म ऐप्रेजल कमीशन मुकर्रर करें। इस कमीशन की जो फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस हों उनको और मिडटर्म ऐप्रेजल को इस आदरणीय सदन के सामने अगले सेशन में पेश किया जाय और उस पर विचार विनिमय हो।

श्रीमन्, आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की प्लानिंग मशीनरी को पूरी तरह से नया बदल (reorient) किया जाय। मेरा तात्पर्य है कि इस प्रदेश के अन्दर एक प्लानिंग बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता है और उसके तहत में बहुत से विषयों पर एक्सपर्ट्स के पैनल विभिन्न विषयों के लिये स्थापित करने की भी आवश्यकता है। मान्यवर, मुझे इस सदन में सन् ५२ से रहने का सौभाग्य प्राप्त है। मेरे सामने इस प्रदेश की तीनों योजनायें बनीं और उनका कार्यान्वयन हुआ। उनका एवैलुयेशन भी हुआ। श्रीमन्, मेरा विचार यह है कि जिस सरकारी परसोनेल की योजना को कार्यान्वित करना होता है वही उसको तैयार करता है

या जो योजना तैयार करता है वही परसोनेल उद्योग इम्प्लीमेंट भी करता है। यहां तक कि वही Personnel उसका इवेलुयेशन भी करता है। श्रीमन्, योजना तैयार करने के जो सिद्धान्त हैं यह उसके बिलकुल विपरीत है। मैं जानता हूं माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव को मितव्ययिता के नाम पर छोड़ देंगे लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर वे इस प्रदेश में एक प्लानिंग बोर्ड स्थापित कर दें तो खर्च में कमी आयेगी। मैं उनकी खिदमत में केवल एक मिसाल पेश करना चाहता हूं कि पिछले डेढ़ वर्षों तक मैं और कृषि मंत्री जी ने बैठ कर अपने विभाग की सारी योजनाओं का अध्ययन किया और बहुत-सी योजनायें जो बिलकुल बेकार थीं उनको एक कलम काट दिया और लाखों रुपया इस तरह पर बचा लिया। मान्यवर, योजनायें प्रदेश में किस तरह से तैयार होती हैं। जो केन्द्र के एक्सपर्ट्स के पैनल होते हैं वह सैकड़ों योजनायें विभाग में तैयार करके रख देते हैं और यहां के जो विभागाध्यक्ष दिल्ली जाते हैं और जिस तरह से दूकानों में सौदे की खरीदारी होती है, जो रुचि होती है, जिस पर उनकी रुचि होती है उन योजनाओं को छांट लेते हैं और उन योजनाओं के जाल को इकट्ठा करके प्लानिंग कमीशन को दे देते हैं और प्लानिंग कमिश्नरेट उन तमाम योजनाओं को कंसालीडेट करके पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार कर देता है। मान्यवर, इस तरह से सरकारी Personnel द्वारा योजनाओं का तैयार होना और तैयार करने वाले परसोनेल से ही उनका इम्प्लीमेन्टेशन कराना और उनसे ही उनका इवेलुएशन कराना बुनियादी उसूल के विपरीत पड़ता है। योजना को तैयार करने वाले ही उसको चलायें और इवेलुएट करें यह उसूल के विपरीत है।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि इस विभाग के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी विशेष तौर से बढ़ायें। यों तो श्रीमन्, सारी सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी को बढ़ाने की जरूरत है परन्तु मैं इस विभाग के लिये विशेष रूप से समझता हूं। मैं इसके लिये कुछ मिसालें पेश करूं कि यह किस कदर ढीला हो गया है। पिछले डेवलपमेंट कमिश्नर के आदेश हुये कि कोआपरेटिव सुपरवाइजर कम से कम ५० फीसदी ग्राम उत्पादन कमेटी की मीटिंग अटेंड जरूर करें लेकिन मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश के अन्दर ५ फीसदी मीटिंग भी इन कोआपरेटिव सुपरवाइजरों ने अटैन्ड नहीं की और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। कल यहां पर माननीय मंत्री जी आंकड़े पेश कर रहे थे कि हमने अपने प्रदेश के अन्दर शेष प्रदेशों के मुकाबले में खर्चा बहुत ज्यादा करके दिखाया है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी हुआ है कि ब्लाक के अन्दर जो रुपया खर्च नहीं हो पाया है उसको जिले के प्लानिंग अफसरों ने जिले में पी० एल० ए० में डाल कर यह दिखाया है कि वह खर्च कर दिया गया। यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं बल्कि सरकारी रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं।

२६ दिसम्बर, १९६२ को इस प्रदेश की कैबिनेट की प्रोडक्शन सब-कमेटी की बैठक हुई थी। उस समय उसकी प्रोसीडिंग को अखबारों में शाया कर दिया गया था। वह कोई छिपी हुई चीज नहीं है। उसमें बहुत अहम फैसले हुये थे। उनमें यह कहा गया था कि प्लानिंग के कार्य जल्दी पूरे किये जायं परन्तु मुझे खेद है कि उनमें जो प्लानिंग डिपार्टमेंट को काम करने थे वे दिसम्बर, १९६३ तक भी एक साल की अवधि में पूरे नहीं किये गये। उस प्रोडक्शन सब-कमेटी ने यह भी तय किया था कि सिविल डिफेन्स के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी सीमेन्ट वितरण में माइनर इर्रीगेशन के कार्यों को दी जायगी परन्तु एक साल तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्रीमन्, यह भी आदेश था कि जो भी नाले एक मील से लम्बे पड़ते हों या एक से अधिक गांवों के बीच में पड़ते होंगे उनको श्रमदान से, मैनपावर से सिंचाई विभाग द्वारा पूरा किया जायगा लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है आज तक प्रदेश के अन्दर उसके संबंध में कोई आदेश यहां सेक्रेटरियट से जिलाधीशों को प्रसारित नहीं किया गया। इसी प्रकार के प्रोडेक्शन सब कमेटी के बहुत से आदेश है जिनको आज तक प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पूरा नहीं किया है। इस वजह से मैंने निवेदन किया कि आपको ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप को देखना चाहिये

[श्री शिवराज सिंह]

और उसकी एफिशियेन्सी को इम्प्रूव करने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि इस आदरणीय सदन को भी सरकार के ऊपर, एक्जिक्यूटिव के कार्य के ऊपर पूर्णतः नहीं पूछना चाहिये बल्कि हमको कोई व्यवस्था ऐसी कायम करनी चाहिये कि इस आदरणीय सदन का भी एक्जीक्यूटिव के ऊपर अधिकार बढ़े।

मान्यवर, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। आज अपने भारत में ही नहीं बल्कि स्केन्डीनेवियन कन्ट्रीज में, जहां पर बहुत पुरानी डेमोक्रेसी स्थापित है वहां पर भी श्रीमन्, Ombudsman इंस्टीट्यूशन कायम है जिसके द्वारा वहां पर एवजीक्यूटिव के ऊपर उनका अपना नियंत्रण रहता है। मान्यवर, ग्रेट ब्रिटेन के अन्दर भी पार्लियामेंटरी कमिश्नर मौजूद है जो एक्जीक्यूटिव के ऊपर सदन के बिहाफ अपना कंट्रोल रखता है और सरकार की एक्जीक्यूटिव के ऊपर अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है और सदन उस पर अपना विचार-विमर्श करता है। आज हमारा कंट्रोल एक्जीक्यूटिव के ऊपर महज प्रश्नों के द्वारा या ऐडजर्नमेंट मोशन के द्वारा ही है जो आज के समय में काम की व्यवस्था को देखते हुये नाकाफी है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के कंट्रोल को बेहतर करने के लिये इस आदरणीय सदन की एक कमेटी बिठायें। महाराष्ट्र में ऐडमिनिस्ट्रेशन रिआर्गनाइजेशन कमेटी बैठी हुई है। राजस्थान के अन्दर माननीय हरिश्चन्द्र माथुर की चेयरमैन-शिप में एक कमेटी बैठी है और उसने भी ऐडमिनिस्ट्रेशन में आमूल परिवर्तन करने की वहां रिपोर्ट पेश कर दी है। मान्यवर, मेरी मांग है कि आज की जरूरियात को देखते हुए माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के इस आदरणीय सदन की भी एक कमेटी बैठायें जो उत्तर प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को मजबूत करने के लिए सुझाव दे ताकि ज्यादा अच्छे नतीजे दे सकें। श्रीमन्, योजनायें और स्कीमें कितनी ही अच्छी हों, अगर उनका कार्यान्वयन ठीक रूप से नहीं होता तो उनसे वह नतीजे हासिल नहीं हो सकते। श्रीमन्, उन योजनाओं को ठीक रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उनको उन विषयों का ज्ञान होना चाहिये। मान्यवर, आज इतनी इम्फेसिस कृषि के ऊपर है लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितने हमारे बी० डी० ओज० प्रदेश के अन्दर हैं उनमें से अधिकांश कृषि के विषय को नहीं जानते हैं और न वह कृषि के स्नातक हैं। मिसाल के लिए में वीमेन बी० डी० ओज० को लेता हूं। आप उनसे कृषि के बारे में कोई भी बात पूछ लीजिये, जबाव सुन कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए आप अपने परसोनेल को बदलिए या जो परसोनेल है उसको इतनी प्रगाढ़ ट्रेनिंग दीजिये कि उसे पूरा ज्ञान कृषि का हो जाय।

इसके साथ ही साथ जो योजनायें आप बनायें वह वास्तविक होनी चाहिए। ऐसा न हो कि आपने कह दिया कि फार्मर टु फार्मर Family Plans तैयार किये जायं। वी० एल० डब्ल्यू० को यह आदेश प्राप्त होते ही वह हर किसान की फार्मिंग की योजना तैयार कर देता है जो वास्तविक नहीं होतीं। आपने लाल बत्ती कर दी है। केवल एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि उत्तर प्रदेश की कृषि की पैदावार जो घटती जा रही है उसका कारण उन्होंने और मंत्रियों की भांति यह बताया कि हमको प्राकृतिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, वैगरीज आफ नेचर, मानसून। यह बात सही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केवल यही एकमात्र कारण है? जो मुख्तलिफ नार्म्स आपने अपनी योजना के अन्दर कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिये रखे थे उनके अचीवमेंट्स क्या हैं? क्या यह सही नहीं है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के अन्दर जहां ८.०७ लाख टन अधिक पैदा करना चाहते थे उसमें से ५० परसेंट पैदावार ४.०७ लाख टन केवल फर्टिलाइजर्स के अतिरिक्त वितरण से करना चाहते थे। लेकिन मान्यवर, उसका अचीवमेंट क्या है—९ परसेंट। शार्ट फाल कितना है—९१ परसेंट। अगर योजना सही है तो ४५ परसेंट शार्टफाल प्रोडक्शन में केवल इस वजह से होना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स के डिस्ट्रिब्यूशन में इतना शार्टफाल करके हमने दिखाया। यही बात दूसरे वर्ष में हुई है जहां इसमें ८० परसेंट शार्टफाल हुआ है।

इसी प्रकार से माइनर इर्रीगेशन में आप देखें। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि रुपया हमने सब खर्च कर दिया। और यह बात सही है, ९७ परसेंट रुपया खर्च कर दिया है। लेकिन इस विभाग के Review में लिखा है--

"The progress in the utilisation of funds for the States as a whole under the Minor Irrigation was of the order of 97.1 percent. But the progress in respect of private works, generally speaking appeared to have lagged behind the schedule being less than 50 per cent."

और श्रीमन्, यहां तक कि लखनऊ के डिवीजन में इसी माइनर इर्रीगेशन में रिजल्ट हैं २३.८ परसेंट जहां तमाम कमिश्नरियां हैं। यह १९६१-६२ का बताया। यही ६२-६३ और ६३-६४ में हुआ, उसमें भी यही वजह है। किसी वर्ष में भी जो नार्म्स मुकर्रर हम करें, जो टार्गेट्स हम रखें उनको पूरा न कर पायें, यह बड़े दुख की बात है। यह बड़ी गम्भीर बात है कि हमारे अन्दर अपनी कमियों को पूरा करने की क्षमता नहीं है। तो मैं यह कहूं कि प्राकृतिक असहयोग ही एक मात्र कारण नहीं है हमारी खेती की पैदावार को घटाने का बल्कि हमारे जो नार्म्स थे, उनके जो टार्गेट्स थे, उनके अन्दर भी भारी शार्टफाल्स हैं जिनके कारण इस कदर हमारी पैदावार घट रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, नियोजन का उद्देश्य इस देश में और देशों के मुकाबले विशेष महत्व का रहा है। नियोजन की प्रणाली बढ़े हुए देश और आर्थिक दृष्टि से कुछ कमजोर देश, दोनों ही अपनाते हैं, लेकिन कमजोर देश के लिये एक रामवाण है। इससे वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है और अल्प साधनों में थोड़े समय में वह अपनी उन्नति करता है। श्रीमन्, दुनिया में दो किस्म की प्लानिंग चली। एक तो थी टोटेलिटेरियन प्लानिंग और दूसरी थी डेमोक्रेटिक। टोटैलिटेरियन प्लानिंग की शुरुआत रूस में हुई और उसने सप्तवर्षीय योजना अपने यहां उसके अन्तर्गत चालू की। उसमें जो खराबियां हैं उसके बावजूद उन्होंने थोड़े समय में ही बहुत उन्नति की और अपने पैरों पर वह खड़ा हो गया। यह एक अच्छाई थी। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली। लेकिन टोटेलिटेरियन प्लानिंग में जो कठिनाइयां और खराबियां हैं वह भी बहुत जल्द नुमायां हो गयीं और उसके साथ आपने यह भी देखा होगा कि रूस भी अपनी खाद्यान्न स्थिति को सम्हालने के लिये दूर के देशों, अमरीका आदि से, खाद्यान्न लेता रहा है। कारण क्या था? कारण था, उस प्लानिंग में जनता का सहयोग न होना। एक अधिनायकवादी तत्व उसमें काम कर रहा था--और जबरदस्ती के कारण उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ अवश्य कर ली, किन्तु जितना वह करना चाहते थे वह नहीं कर पाये।

दूसरी डेमोक्रेटिक प्लानिंग थी जिसको हमने अपनाया और वह इसलिये कि हमने अपने प्रियेम्बिल में ही कहा था कि कतार में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को, जो दरिद्र है, नंगा है, भूखा है, अपढ़ है, हम समृद्धशाली बनायेंगे, उसको भी हम मानव बनायेंगे और उसको सर ऊंचा करके चलने की जिम्मेदारी प्रदान करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि हमारी यह डेमोक्रेटिक प्लानिंग इस तरह से पीछे चलती रही कि बजाय डेमोक्रेटिक प्लानिंग के यह ब्योरोक्रेटिक प्लानिंग हो गयी। यह नौकरशाही के हाथ में चली गयी और आज नौकरशाही उसको कार्यान्वित करती है और वह उम्मीद करती है कि जनता उससे सहयोग करे, जब कि होना यह चाहिये था कि नौकरशाही जनता का सहयोग करती। ऐसी स्थिति इस देश में व्याप्त हो गयी है। इसका कारण यह है कि हमारी नौकरशाही में ह्वाइट कालर आउट-लुक अच्छी तरह से व्याप्त है। वह खेत में जायंगे लेकिन कोट, बूट, टाई और पैंट पहन कर। इससे वे किसान का विश्वास नहीं प्राप्त कर पाते और इस कारण वे जन-जीवन से दूर होते जा रहे हैं। आज ब्लाकों की स्थिति यह हो गयी है

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

कि नौकरशाही और जनता में एक संघर्ष चल रहा है। ताकत खींचने का संघर्ष चल रहा है और नतीजा यह है कि सारी प्लानिंग आइसोलेशन में पड़ गयी है। उसे जनता का सहारा नहीं प्राप्त हो रहा है। हमको आज सोचना पड़ेगा कि इस स्थिति को हम कैसे सुधारें। किस प्रकार हम जनजीवन को जागृत कर सकते हैं, उसे समृद्धिशाली बना सकते हैं, यह सोचना पड़ेगा। हमने अपने प्रदेश को ८८८ ब्लाकों में बांटा है जिसमें ५०० प्रथम प्रक्रम के हैं, ३२८ द्वितीय प्रक्रम के और ६० प्रथमोत्तर हैं। इन ब्लाकों में हम १२ लाख रुपया खर्च करते हैं और ५ लाख दूसरे स्टेज में, इस तरह से १७ लाख करते हैं। इसका हिसाब लगाया जाय तो प्रति व्यक्ति २ रुपया ५२ पैसे प्रति वर्ष पड़ते हैं। ३६५ दिन का साल होता है, मुश्किल से एक भी पैसा एक व्यक्ति पर नियोजन के नाम पर नहीं पड़ता है। जहां इस प्रकार की स्थिति हो वहां यह उम्मीद करना कि जनता इसका सहयोग करेगी, देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ायेगी, उत्पादन को बढ़ायेगी, यह असंभव है। यह कार्य उस समय और भी असंभव होता है जबकि हमारी नौकरशाही यह उम्मीद करती है कि जनता उनसे सहयोग करे और वह उनसे सहयोग करने के लिये तैयार न हों।

मैं आपका ध्यान अनुदान की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह अनुदान १४,५८,२९,००० का है जिसमें अधिकारी वर्ग की तनख्वाहों, भत्ते आदि पर ९,४०,४९,००० चला जाता है। इस प्रकार से सारा खर्चा नौकरशाही पर चला जा रहा है। आखिर विकास के लिये आप क्या देने जा रहे हैं? ऐसा मालूम होता है कि नौकरशाही इतने जबरदस्त तरीके से हावी है कि वह प्लान से, डेवपलमेंट से ज्यादा से ज्यादा खींचना चाहती है और किसान को अपनी किस्मत पर रोने के लिये छोड़ देना चाहती है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि गेट के सामने एक आदमी अनशन कर रहा है। वह ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए कि ६६६ बीघे परती जमीन पर जो कानपुर के किसी एरिया में पड़ी हुई है एक कोआपरेटिव फार्मिंग कर दी जाय जिससे भूमिहीन किसान अपना जीवन-निर्वाह कर सकें। आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं कि उसकी वेदना क्या है। एक माननीय सदस्य से मेरी बात हुई। कहने लगे कि यहां तो अनशन होते ही रहते हैं, यह तो "निगम-बोध" घाट हो गया है। शासक दल में यदि जनजीवन के प्रति ऐसी भावना है तो फिर काम कैसे चल सकता है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि पिछले दो नियोजनों के जो काम अधूरे हैं उनको पूरा किया जाय, लेकिन आज भी वह अधूरे पड़े हुये हैं, कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। दूसरे यह कि सेल्फ-सस्टेनिंग इकानोमी पैदा करें इसके लिये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, पावर, और स्टील वगैरह की इंडस्ट्रीज का सुनियोजित ढंग से खोलना अत्यावश्यक है। इन तीनों चीजों का हमारे प्रदेश में अभाव है, इनके बगैर हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। फिर प्लान के द्वारा जो उन्नति और समृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य है वह कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। ब्लाक की स्थिति यह है कि वह आपस में संघर्षशील हैं। मैं चाहता हूं कि ब्लाक को संभालने के लिये वहां पर योजनाओं को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने के लिये एस० डी० एम० को तहसील के हेडक्वार्टर पर प्रस्थापित किया जाय और उसके चार्ज में इन ब्लाकों को दे दिया जाय जिससे वह उसकी निगरानी कर सकें।

दूसरी चीज यह है कि वहां एक फौज है ४०-५० आदमियों की। इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हर एक को ५-५ गांव दे दिये जांय और उसको हिदायत कर दी जाय कि इन गांवों की निगरानी करना, अन्न का उत्पादन बढ़ाना उनका काम है। उसी के आधार पर उनके कैरेक्टर रोल की एंट्री की जाय और उन्हें उन्नति दी जाय। ब्लाक के हेडक्वार्टर गांव में किये जायं जिससे उनका जीवित संपर्क जन-जीवन से हो सके, कम से कम एक गांव का तो वह विकास कर सकें। शहरों के पास और कस्बों के पास रहने से वह चाय-खानों में ही पड़े रहते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं रहता है। राजनीतिक दृष्टि से भी वह पार्टीबन्दी में पड़ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि काम सफर करता है और वह स्वयं बरबाद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे आपके द्वारा माननीय नियोजन मंत्री से यह

निवेदन करना है कि वे प्रदेश में किसानों के लिये बीज और पानी मुफ्त दिये जाने की व्यवस्था करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे उनकी हिम्मत बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। जब किसानों की फसल तैयार हो जाये तो आप उनसे जितना बीज आपने दिया हो उसका ड्योढ़ा उनसे काइन्ड में वसूल कर लें, इससे बीज का बफर स्टाक भी हो जायेगा और किसान को भी सहूलियत होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप किसान को पानी और बीज मुफ्त देने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के पश्चात् १०० बार की उठक बैठक के बाद आज मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के प्रस्तुत अनुदान पर और उसके सैद्धांतिक विषयों पर इधर से और उधर से चर्चा हुई है, और आगे भी कहा जायेगा, मगर मैं उत्तराखंड के विषय में कुछ निवेदन करूंगा क्योंकि वहां की आज एक विशेष परिस्थिति है और केन्द्रीय सरकार ने उसके लिये एक विशेष दायित्व भी अपने ऊपर ले रखा है और उसने करीब २८ करोड़ रुपया भी उसके लिये स्वीकार किया है। पहले इस अनुदान के सम्बन्ध में उत्तराखंड के विकास के लिये, उत्तराखंड नियोजन समिति के नाम से एक नियोजन समिति भी गठित हुई और कुछ प्रस्ताव पास हुये। (कई आवाजें––माइक पर बोलिये) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस नियोजन समिति में उत्तराखंड के विकास व हित के लिये कई प्रस्ताव भी पास हुये थे, किन्तु अभी तक उनमें से कोई भी कार्यान्वित नहीं हुआ। कुछ तो ऐसे प्रस्ताव थे कि जिन पर समय लगेगा, मगर कुछ ऐसे भी थे जिन पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जा सकती थी।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं और वे मेरी मांग को माननीय मुख्य मंत्री जी तक पहुंचाने की कृपा करें और वह यह कि उत्तराखंड में आज तक कोई जिला परिषद् नहीं बनी है। मैं इस बात को आज तक नहीं समझ पाया कि सन् ६० के बाद कई बार निवेदन करने के पश्चात् आज तक भी वह क्यों नहीं बन पायी। वहां पर जिला परिषद् का होना बहुत आवश्यक है। मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि जब नागालैंड में विधान सभा कायम हो गयी और वहां प्रजातांत्रिक तरीके से काम होना प्रारम्भ हो गया तो उत्तराखंड में, जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के उपासक हैं और भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, वहां सरकार क्यों नहीं जिला परिषद् कायम करती है। वहां स्वायत्त शासन की परम्परा ही समाप्त हो चुकी है और अ० जि० परिषदीय अध्यापकों का वेतन, ६ महीने हो गये रुका पड़ा है। और विभागों को सीमान्त भत्ता मिलता है लेकिन अ० जि० परिषद् के अध्यापकों को नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि सीमान्त में शीघ्रातिशीघ्र जिला परिषद् का निर्माण हो और सरकार वहां के प्राइवेट व परिषदीय अपर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों का प्रान्तीयकरण करे। उन्हें भी सीमान्त भत्ता दे, वहां के अध्यापकों में वेतन विषमता से जो असन्तोष है वह तभी दूर हो सकता है।

उत्तराखंड की विशेष परिस्थिति में वहां का औद्योगिक सर्वेक्षण किया जाय और वहां की परिस्थिति के मुताबिक इंडस्ट्रियल सर्वेक्षण होकर प्लानिंग हो। वहां की गरीबी को दूर करने के लिये वहां इंडस्ट्रियल टैक्नीकल स्कूल्स और औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र कायम किये जावें जिससे वहां के लड़के और लड़कियां औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करके कुछ काम करने योग्य हो सकें और अपनी गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में समर्थ हो सकें। आज भी उत्तराखंड के पढ़े-लिखे लोग छोटी-छोटी नौकरियां के लिये बाहर जाते हैं। सीमान्त में जो काम हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा वेतनों में खर्च हो जाता है और वहां के विकास और नियोजन के कामों में कुछ ही हिस्सा खर्च होता है। २८ करोड़ रुपया सेंट्रल सरकार ने मंजूर किया लेकिन आज तक भी वहां कोई उद्योग-धंधा कायम नहीं हो सका। चमोली में कोई फैक्टरी नहीं है। कोई

[श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी]

कारखाना नहीं है। तमाम कच्चा माल, लकड़ी, वगैरह स्टार पेपर मिल में चला जाता है। टर्पेन्टाइन बरेली में आ जाता है। कम से कम वहां एक कागज की और एक टर्पेन्टाइन की फैक्टरी तो अच्छी तरह से कायम हो सकती हैं। ऊन, लकड़ी, रिंगाल व पापड़ी आदि का उद्योग चल सकता है। कुछ समय हुआ, माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी वहां गये थे। वहां के लोगों ने और हमने मांग की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि चमोली जिले के लिये अधिक मात्रा में बिजली देंगे चूंकि उस पर ही उद्योगीकरण निर्भर है। यद्यपि कुछ बिजली दे दी गई है लेकिन काफी मात्रा में नहीं दी गई है। बद्रीनाथ में ८,१० और १२ रुपये मन तक लकड़ी बिकती है। आप इतनी मात्रा में बिजली दीजिये जिससे वहां इतनी महंगाई न रहे।

हमारी बहुत दिनों से मांग है कि चमोली जिले में कर्णप्रयाग में साइंस का डिग्री कालेज होना चाहिये। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस मांग की पूर्ति करने की सरकार कृपा करे।

श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो नियोजन पर हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है उसके लिये हम आपके आभारी हैं।

श्रीमन् मौजूदा योजनायें देशहीन, दिशाहीन हैं और ऐसे व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई हैं जिन्हें देहात के बसने वालों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। जो योजनायें चल रही हैं वे खपत की इमारत पर रूस और अमेरिका की नकल हैं और हिन्दुस्तान की पैदावार के आधार का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। खेती की बात ज्यादा कही जाती है। १३ वर्ष बीत चुके हैं। खेती की पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया लेकिन परिस्थिति आज यह है कि देश मुख्यतः उत्तर प्रदेश अकाल के गाल में आगया है। आज अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। यह कहा जायगा कि पाले और शीत लहरी ने ये दुर्दिन दिखाये हैं किन्तु ऐसी बात नहीं है। जब दूसरी पंच वर्षीय योजना खत्म हो रही थी और फसल अच्छी हुई, तब सरकार ने कहा कि उसकी योजना सफल हो रही है। उस समय सरकार ने यह नहीं कहा कि दैवी कारणों से योजना सफल हो रही है। आज जब अकाल की स्थिति है तो सरकार सारा दोष प्रकृति के ऊपर मढ़ देती हैं। असल में यह नहीं है। दोष है योजना बनाने वालों का। दोष की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही हैं।

श्रीमन्, मौजूदा योजना का लक्ष्य है खर्चा करना। सदन जो धनराशि खर्च करने के लिये स्वीकार करता है वह खर्च की जाती है और उस तरह से की जाती है कि जब वित्तीय वर्ष का अन्तिम समय होता है तब येन केन प्रकारेण पैसा खर्च किया जाता है। और उसका नतीजा यह होता है कि फजूलखर्ची होती है। असल में योजना का लक्ष्य होना चाहिये उपलब्धि। जो पैसा हम खर्च करते हैं उससे हमें क्या उपलब्धि होती है। योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य है मनुष्य। योजना मनुष्य के लिये बनाई जानी चाहिये और ऐसे मनुष्यों के लिये बनाई जानी चाहिये जो पिछड़े हैं। आज देश की क्या स्थिति है, इसे अगर सोचा जाय तो मालूम होगा कि पूरे देश में गरीबी बड़ी विकराल हालत में है। गरीबी बहुत व्याप्त है। २७ करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनकी रोजाना की औसत आय ३ आने है। १६।। करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनकी एक रुपया है। ५० लाख ऐसे हैं जिनकी एक दिन की औसत आमदनी ३३ रुपये हैं। वर्तमान योजना इस असमानता को, इस गरीबी को दूर करने की तरफ नहीं जाती है। जब तक हम रोग को नहीं पहचानेंगे तब तक उसका निदान ढूंढ़ा नहीं जा सकता है। इसलिये अगर योजना को कामयाब बनाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि ऐसे लोगों की आय सीमित की जाय जिनकी आय बहुत ज्यादा है और जो भरपेट भोजन भी नहीं पा रहे है उनकी आमदनी बढ़ाने को ओर ध्यान देना चाहिये।

सरकार खेती के बारे में बहुत बातें करती है। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है लेकिन आज क्या स्थिति हो रही है, बजाय पैदावार बढ़ने के और घट रही है, दाम बराबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक बढ़े हैं कि आज गेहूं एक रुपये का सेर सवा सेर बिक रहा है। इसको

रोकने की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है और यह सब पैदावार के न बढ़ने का ही कारण है। अतः पैदावार क्यों नहीं बढ़ी, सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये। जरूरत इस बात की है कि गरीबों को, जिनको मदद की जरूरत है उनको सहायता दी जाय। खेती के विषय में सूबे में और हिन्दुस्तान में आमूल परिवर्तन होने चाहिये। किसान की परिभाषा बदली जाय और किसान उसको माना जाय तो खेत पर खेती करता है। जमीन ऐसे लोगों को बांटी जाय जो लोग खेती करते हैं, भूमिहीन हैं और खेती की मजदूरी करते हैं। इसके अलावा गरीबों को प्रोत्साहन देने के लिये यह जरूरत है कि साढ़े छै एकड़ तक की जो अलाभकर जोते हैं, उनका लगान माफ कर दिया जाय। इतना करने पर प्रदेश की पैदावार बढ़ेगी और वह आगे बढ़ सकेंगे और तब अकाल की स्थिति दूर होगी।

जो मौजूदा योजना चल रही है उसका खर्चा ज्यादा है और लाभ उससे कम है। उदाहरण के लिये परिवहन विभाग को ले लीजिये। यह विभाग पूंजी लगाता जाता है, सड़कें लेता जाता है, रोडवेज की बसें बढ़ाता जाता है लेकिन इसकी आमदनी घटती जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले के नियोजन विभाग के भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। नियोजन विभाग के उच्च अधिकारी का तबादला हमारे यहां से दो बार हुआ लेकिन बाद में रोक दिया गया। इससे मालूम होता है कि शासन में कितना भ्रष्टाचार है। नियोजन विभाग में अफसरशाही बढ़ती जा रही है। हम उत्तर प्रदेश का उत्थान करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन यह नौकरशाही उसको दबाना चाहती है, उसको कुचलना चाहती है।

*श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस विवाद में हिस्सा लेने के लिये समय प्रदान किया। जो विषय इस समय हमारे सामने मौजूद है और जिसके ऊपर बहस चल रही है, उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं। नियोजन और विकास का हमारे देश और प्रदेश में बड़ा महत्व है और वह महत्व इसलिये भी है कि हमार देश व प्रदेश आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिये हमारे देश और प्रदेश के लिये औरा कोई दूसरा चारा ही नहीं है अलावा नियोजन के, जिससे कि हम अपने प्रदेश की आर्थिक तरक्की में नया मोड़ ला सकें।

मान्यवर, विकास और योजना का आधार खेती पर होना चाहिये क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग ८० प्रतिशत जनता और इससे भी ज्यादा आबादी हमारे प्रदेश की खेती पर मुनहसर रहती है। इसीलिये जो भी योजना हमारे देश और प्रदेश में है उसकी आधारशिला खेती ही है। हमने यह देखा कि पहली योजना दूसरी योजना और तीसरी योजना के इन वर्षों में हम अपनी खेती की पैदावार में जिस हद तक उन्नति करना चाहते थे, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे उसे नहीं प्राप्त कर सके। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जैसा कि कल माननीय मंत्री जी ने बतलाया प्राकृतिक प्रकोप है। यह सही है कि प्रकृति कुछ सालों से हमारा साथ नहीं दे रही है, समय से बारिश नहीं होती है जिसके कारण भी हमारे यहां खेती की पैदावार पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं, केवल प्राकृतिक प्रकोप ही इसका एकमात्र कारण नहीं है जिसकी वजह से हमारे यहां खेती की पैदा वार नहीं बढ़ी है। इस सम्बन्ध में दो तीन उदाहरण मैं आपके सामने रखूं।

सबसे पहला खास कारण यह है कि जो लोन सिस्टम है, काश्तकारों को जो लोन दिया जाता है उसका जो प्रोसीजर है वह इतना डिफेक्टिव है कि लोन लेने में काश्तकार को काफी समय लग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्रसिंह]

जाता है और यहां तक कि जिस चीज के लिये लोन लिया जाता है उस चीज के लिये वह उसका प्रयोग नहीं कर पाता है । होता क्या है ? काश्तकार उस लोन को मिसयूटिलाइज करता है । जैसे मान लीजिये कि उसने एग्रीकल्चर सीड के लिये लोन लिया लेकिन समय पर न मिलने के कारण वह उसे दूसरे काम जैसे शादी व्याह में खर्च करता है । यह भी एक वजह से है जिसके कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारे प्रदेश में इस बीच में नहीं बढ़ा है ।

इसके अलावा जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि जो छोटी सिंचाई की योजनायें हैं उन पर हम उतना जोर नहीं दे रहे हैं जितना कि आज से पहले देना चाहिये था । यह अच्छा है कि इस वर्ष के बजट में इसके लिये काफी रुपया रखा गया है । मेरे कहने का मंशा यह है कि इस ओर कोई विशेष सक्रिय कदम उठाया जाना चाहिये और आज मैं यह निश्चित मत रखता हूं कि जो डैम्स हमारे देश और प्रदेश में बनाये जा रहे हैं उनसे तब तक कोई रिटर्न नहीं आने वाला है जब तक कि नहरें, नालियों व गूलों की व्यवस्था न कर ली जाय । खाली बड़े डैम बना देने से और बड़ी-बड़ी योजनायें तैयार कर देने से उनसे कोई लाभ न होने के कारण हमारे यहां कृषि का प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकेगा । इसलिये छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को ज्यादा महत्व देना आवश्यक है । कहीं पर किसी डैम को बनाने की योजना हो, उसके लिये पहले जो छोटी-छोटी नालियां हैं, नहरें हैं, उनका बन जाना नितान्त आवश्यक है । इस सम्बन्ध में अपने जिले की एक बात मैं बतलाना चाहता हूं । हमारे यहां गोला नदी पर एक डैम प्रपोज्ड है लेकिन मैं नहीं कह सकता कि अभी वह योजना इस सरकार के सामने आयी है या नहीं लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां डैम जल्दी से जल्दी बन जाय और इस समय जो नहरें हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाय ताकि जो भावरी का इलाका है वहां की पानी की समस्या का समाधान हो सके ।

खाद के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इन रसायनिक खादों के सम्बन्ध में कृषकों को पूर्ण जानकारी न होने के कारण वह उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और इसका भी कृषि उत्पादन पर बुरा असर हो रहा है । इवैलुएशन कमेटी के दौरे में मैं गया था तो वहां मैंने एक स्थान पर देखा कि गेहूं के खेत में कोई ऐसी खाद इस तरह से डाली गयी थी जिससे गेहूं के पौधे जलकर भस्म हो गये । जबतक किसानों को उसका सही प्रयोग करना नहीं मालूम होगा तबतक उसका कुप्रभाव खेती की पैदावार पर पड़ेगा ।

मैं माननीय शिवराज सिंह जी की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० और वी० एल० डब्ल्यू० को प्रगाढ़ ट्रेनिंग दी जाय और कृषि स्नातकों को उस स्थान पर रखा जाय ताकि कृषि का उत्पादन बढ़ सके । जो बड़ी योजनायें हमारे सामने आती है और रात दिन बनती हैं उन के लक्ष्य की पूर्ति न होने का खास कारण यह है कि जो योजनायें प्रदेश या केन्द्र की सरकार बनाती है वे ऊपर से बनकर नीचे आती हैं, जिन के लिये वह बनती हैं या जिस स्थान के लिये वह बनती हैं या तो वह कार्यान्वित नहीं होतीं या वह वहां की स्थिति के अनुकूल नहीं होतीं । इसलिये जो योजनायें बनाई जायं, उन में वे जहां के लिये बनाई जायं, वहां की स्थिति का और हालात का विशेष ध्यान रखा जाय और देखा जाय कि वे किस चीज के लिये और किस स्थान के लिये, किन परिस्थितियों के लिये बनाई जा रही हैं आया वह वहां कामयाब होंगी या नहीं । खास तौर से जो योजनायें पर्वतीय क्षेत्र के लिये बनाई जायं उन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय और देखा जाय कि अमुक चीज वहां की परिस्थिति में सफल हो सकेगी या नहीं । यह जरूरी नहीं है कि वहां भी प्लेन्स की तरह सभी योजनायें वैसे ही सफल हो सकेंगी जैसे कि कोआपरेटिव लोन की अदायगी की बात है और दूसरी चीजें हैं । हमारे यहां फसल ६ मास में तैयार होती है और अगर वहां के लिये अदायगी ३ मास के बाद रखी गई तो कोई नहीं अदा कर सकेगा और इस स्कीम से कोई लाभ वहां के लोगों को न होगा ।

पीने के पानी के प्रबन्ध के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने बहुत अच्छी योजना कार्यान्वित की है और आशा है कि जो हमारा लक्ष्य है वह तृतीय योजना में अपने सेचुरेशन प्वाइन्ट पर पहुंच जायगा । यह सराहनीय काम हुआ है । पहाड़ की एक

विशेष परिस्थिति है, हमारे यहां और उत्तराखंड की स्थिति में कोई अन्तर नहीं है। मैं चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र की प्लानिंग के लिये एक अलग से प्लानिंग बोर्ड बनाया जाय जो वहां की विशेष परिस्थितियों के मुताबिक वहां के लिये योजना तैयार करे और उसको कार्यान्वित कराये और हो सके तो वहां के लिये एक अलग से छोटी मिनिस्ट्री कायम कर दी जाय। हमारे सभा सचिव हैं जो वहां का ज्ञान रखते हैं, हिल अफेयर्स के लिये एक अलग मिनिस्ट्री कायम कर दी जाय और ऐसे आदमियों को उसमें रखा जाय। उनकी जानकारी से वहां की डे-टु-डे लाइफ में कामयाबी मिल सकेगी।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो डुप्लीकेट वर्किंग हो रही है, कृषि विभाग अलग काम करता है, नियोजन विभाग अलग करता है, कोआपरेटिव अलग करता है इससे काम ज्यादा बढ़ जाता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। इसलिये कृषि के काम को कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम से मिला दिया जाय ताकि एक सुनियोजित ढंग से काम चल सके और स्कीम्स ठीक से चल सकें। अन्त में मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करता हूं। इस अनुदान पर आज बहस का दूसरा दिन है। सभी तरफ के माननीय सदस्यों ने कहा है तथा सरकारी आंकड़ों से भी सिद्ध होता है कि हमारी प्लानिंग किसी भी निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी। हमारा प्रदेश खेतिहर है लेकिन अन्न भी हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है। यह काम भी कि अन्न अपनी जरूरत के लिये पैदा कर सकें नहीं पूरा कर पाये हैं। इससे ज्यादा प्रमाण असफल योजना का क्या हो सकता है ?

उद्योगों के बारे में तो उल्लेख ही क्या करूं ? बेकार है और अगर यह कहा जाय कि उस दिशा में हम सबसे पीछे हैं तो गलत न होगा। इन विकास खंडों पर जो पानी की तरह रुपया बहाया जा रहा है उनके द्वारा सड़क पर जाते हुए केवल ३,४ काम ही दिखाई पड़ते हैं। पहला यह कि साइन बोर्ड लगा मिलेगा कि राष्ट्रीय प्रसार ब्लाक, फलाना फलाना और नीचे लिखा होगा धन्यवाद। फिर आगे लिखा होगा धन्यवाद और स्वागतम। दूसरा कार्य है साधन सहकारी समिति के बोर्ड दिखाई देंगे। तीसरे जो ब्लाक बन गये हैं उनकी इमारत दिखाई पड़ेगी और चौथा काम है महिला मंगल योजना का जिसमें १,२ चोटी किये हुए कुछ महिलायें दिखाई पड़ेंगी। अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो कागज पर योजना दूसरी है और काम दूसरे हो रहे ह। २६ जनवरी या १४ नवम्बर को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाते हैं, और वह भी किस प्रकार के होते हैं यह मैं क्या कहूं ? इसके अलावा कुछ काम इन ब्लाकों का नहीं है।

प्लानिंग के विषय में सरकार का दुर्लक्ष्य है, अभी चर्चा की गई कि हमारे यहां जितना श्रम है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ? इसलिये कि सारा का सारा काम अव्यावहारिक है, जनता का सहयोग प्राप्त नहीं है, जन भावनाओं से कोई सामन्जस्य नहीं है और उनकी राय नहीं ली जाती। मेरा पहला सुझाव है कि जब तक देश के अन्दर प्लानिंग का काम राष्ट्रीय योजना के रूप में नहीं आयेगा तब तक केवल पार्टी विशेष या सरकारी अफसरों द्वारा जो रिपोर्ट मंगा कर भेज देते हैं उससे काम नहीं होने वाला है। इस रिपोर्ट में जिला परिषदों और विकास खंडों के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है। मेरा सुझाव है कि एक राष्ट्रीय कमेटी अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिये, इसके अतिरिक्त प्रदेश और जिले में जो विशेषज्ञ हैं उनकी राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी होनी चाहिये। ऐसा करके जब तक जनता का सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तब तक योजना सफल नहीं होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपालसिंह]

हमारे माननीय मंत्री जी ने यह सुझाव रखा कि विकास के लिये २ प्रकार के विकास संबंधी कार्य करने जा रहे हैं । एक तो यह कि हम कुछ रुपया सरकारी विभाग को देकर काम करावेंगे और उतना ही पैसे का अनुदान जनता में बांट कर देखेंगे कि इससे विकास अधिक होता है और इसका प्रयोग अच्छा होता है या जो अनुदान विभाग को दिया जाता है उससे अच्छा काम होगा । मैं समझता हूं कि अगर सरकार दूसरे तरह का प्रयोग करे तो उन्हें अवश्य सफलता मिल सकती है । आज हर ग्राम में कहीं ग्राम सेवक है । कहने में वैसे तो सेवक है लेकिन, श्रीमन्, आप अगर पता लगावें तो मालूम होगा कि हरिजनों के अनुदान व अन्य प्रकार के अनुदानों को ये लोग जिस ढंग से उस पैसे को लेने की कोशिश करते हैं; सरकार के यहां से भी जी० ओ० होते हैं और उसके आधार पर सारे का सारा रुपया गांव सभाओं को दे दिया जाता है । वहां पर हरिजनों से दस्तखत करा लिए जाते हैं पर हरिजनों को एक पैसा भी नहीं मिलता है । इस रुपये को ग्राम सेवक, ग्राम प्रधान जी वगैरह खा जाते हैं ।

ऋण के बारे में कहा जाता ह कि जितना रुपया मिलेगा उसमें ५० रुपये हमारे और ५० तुम्हारे और कहा जाता है कि इसमें तुम्हारा तो एक पैसा भी नहीं लगा है और यह मुफ्त में मिल रहा है । कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि किस काम के लिए कितना अनुदान आया है । इसलिये यह बहुत जरूरी है कि इन अनुदानों के संबंध में प्रचार करने की कोशिश की जाय कि इतना अनुदान आया है । इस प्रकार से यह भी देखने में आया है कि खड़ंजे के लिये रुपया पास हुआ, खंडजा बना नहीं और दो साल बाद कह दिया गया कि खंडजा टूट गया । इसी प्रकार से गांवों में बहुत से कुयें पहले से बने होते हैं। उनके लिये भी ऋण ले लिया जाता है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे दो मिनट और बोलने दीजिये । पंचायत राज में, मेरा यह भी सुझाव है कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन की पद्धति रखी गयी है इसको खत्म किया जाय । और इलेक्शन सिंगिल ट्रांसफरेबल से किया जाना चाहिये ।

श्रीमन्, सरकारी कर्मचारियों के संबंध में निवेदन करना है कि जो रुपया जिला परिषद् प्लानिंग डिपार्टमेंट का होता ह वह यह देखने में आता है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही खर्च होता है । जिला फतेहपुर की तो बड़ी विचित्र बात है । जब अंग्रेजी जमाना था तो पूर्वी जिलों में गिना जाता था और अब वह पश्चिमी जिलों में गिना जाता है । तो इसकी तो हमेशा से उपेक्षा रही है । अभी-अभी एक नहर निकाली गयी । नहर तो खोद दी गयी लेकिन पानी ७१ में आयेगा । वहां पर बिजली नहीं पहुंची । कानपुर से गयी है लेकिन बीच का पट्टा पड़ा हुआ है । पानी नहर खोद कर ७१ के बाद आने वाला है । तो जब तक विशेष योजनाओं के जरिये इस जिले की तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक यह और पिछड़ता जायगा । इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री विजयशंकर (जिला इटावा)--

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नियोजन मंत्री ने विकास के कार्यों का जिस प्रकार से विवरण दिया है वह बड़ा संतोषजक है । जिस देश में गरीबी हो, बगैर योजना के वह अपने कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकता । जो मुल्क हमसे पहले आजाद हुए उन्होंने अपनी योजनायें बनाईं और उनके जरिये ही अपनी गरीबी और बेकारी को दूर किया । मेरा निवेदन यह है कि विकास के काम में इतनी बड़ी फौज लगाई गयी लेकिन उसका दिल व दिमाग नहीं बदला । जब तक दिल व दिमाग नहीं बदलेगा, तब तक योजना सफल नहीं हो सकेगी; कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा । योजनायें बनती गयीं एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी परन्तु दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि योजनायें उस जगह नहीं पहुंचीं जहां उनको पहुंचना चाहिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चा । आज मानव मानव को खींच रहा है । रिक्शे वालों की क्या दुर्गति है ? रिक्शे वालों पर योजनाओं का क्या असर पड़ा है ? हजारों घर देहात में योजनाओं से रहित हैं । देहातों में ब्लाकों का गठन हुआ । ब्लाकों से धन का बटवारा किया गया । लेकिन वह बटवारा ईमानदारों के हाथ में न हो कर बेईमानों के हाथ में था और फलस्वरूप जिनको ब्लाकों के जरिये सहायता मिलनी चाहिये थी उनको सहायता नहीं मिली । बीच में घाघ लोग बैठे हैं जो उस रकम को हड़प लेते हैं । हमने सीमेंट वितरण को देखा, बीज के वितरण को देखा और भी अनुदानों के वितरण को देखा । उन्हीं लोगों को यह सब मिलता है जो चंट किस्म के हैं, घाघ हैं । गरीबों तक इस योजना का असर नहीं पहुंच पाता है । विकास मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस चीज पर जरा कड़ाई से निगाह रखें और ऐसी योजना किस काम की जिसमें अमीर अधिक अमीर हो जाय और गरीब अधिक गरीब हो जाय ?

आज खाद्य की स्थिति भी भयावनी स्थिति पर पहुंची गयी है । ऐसा डर लगता है कि खाद्य की गंभीर स्थिति के कारण कहीं जनसमुदाय में असंतोष पैदा न हो जाय । आज लूटमार की घटनायें हमारे दिल को चोट पहुंचाती हैं और ऐसा भय उत्पन्न हो गया है कि कहीं खाद्य की स्थिति भी असंतोषजनक न हो जाय । मैं आज की हलात से नहीं डर रहा हूं । मैं डर रहा हूं शीत और पाले से फसल नष्ट हो चुकी है और कृषि का आबपाशी से कोई सम्बन्ध नहीं है । इटावा शहर में जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं वहां आज दो हफ्ते से कोई पानी नहीं पहुंचा । मटर और गेहूं की फसल बरबाद हो चुकी है । जब खेती की समस्या जटिल हो, सारा देश खाद्य के लिये चिल्ला रहा हो तब कोई आबपाशी और कृषि का तालमेल ही न हो, यह बड़ी चिन्तनीय बात है । दुख की बात है कि कृषि विभाग एक मंत्री के हाथ में है और खाद्य की समस्या दूसरे के हाथ में है और उनका आपस में कोई तारतम्य नहीं जुड़ पाता है ।

इटावा जिले में आपके विकास की बड़ी शोहरत है लेकिन जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं वह विकास से बहुत दूर है और उस क्षेत्र की बड़ी बुरी हालत है । वहां पैदावार दिन पर दिन गिरती जा रही है और ब्लाकों की हालत हम कहें क्या ? वहां ए० डी० ओ० है, बी० डी० ओ० है, सेक्रेटरी हैं, ग्राम सेविका हैं । ब्लाक आज आमोद-प्रमोद के साधन बन गये हैं । उनको टहलने के लिये जीपें मिली हुई हैं और सुबह शाम वे तफरीह करते हैं । हमारा ऐसा विश्वास है कि जिस काम के लिये वे मुकर्रर किये गये हैं शायद उसमें उनको २५ फीसदी भी जानकारी नहीं है । अगर ट्रेन्ड आदमी नहीं भेजे गये, और हम तो ट्रेन्ड की भी बात नहीं कहते, हम तो एक बात कहते हैं कि इन पर अगर कड़ी निगरानी सरकार ने न रखी तो चाहे कितनी ही योजनायें बन जायं, कितने ही जोर से कार्यक्रम चलाया जाय, सफलता नहीं मिलेगी । आज योजनाओं का मुंह ऊपर को कर दिया गया है और टैक्सों का मुंह नीचे कर दिया गया है । आज शहरों में तो हमें योजना दिखलायी देती है देहातों में कोई योजना नहीं दिखलायी देती । हम दस योजनायें बनायें, लाखों गांव ऐसे बाकी रह गये जहां बिजली, पानी और यातायात के साधन हम नहीं पहुंचा सकेंगे । तब उन देहातों को इन योजनाओं का क्या लाभ होगा, यही हम अपने विकास मंत्री से पूछना चाहते हैं । मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं । हम उनके साथ हैं और उनके साथ वोट करेंगे लेकिन हमने एक वायदा किया था और उसके अनुसार इन कुर्सियों पर आये थे । उसको हमें पूरा करना है और साहस के साथ पूरा करना है । परन्तु चाहे इस तरफ के बैठने वाले हों चाहे उस तरफ के बैठने वाले हों, अब लम्बे चौड़े भाषण का वक्त नहीं रह गया है, न जोर से बोलने का वक्त रह गया है ।

आज वक्त आ गया है जब हम एक कतार में खड़े हो कर इस भयावनी हालत का सामना करें । अगर हमने ऐसा नहीं किया तो चाहे कांग्रेस सरकार हो या कोई और सरकार हो, हम बड़ी मुसीबत में फंस जायंगे और फिर शायद जल्दी हम उसका निवारण न कर सकें । यह दल जिसके नेतृत्व में आजादी आयी जिस दल ने अंग्रेजों को यहां से निकाला वह दल अगर

[श्री विजयशंकर]

योजना बनाने में और आर्थिक और खाद्य समस्या को हल नहीं कर पाता तो फिर किसी दूसरे से हम उम्मीद ही क्या करें क्योंकि ये दूसरे सारे दल तो लकवा मारे हैं ? इसलिये आशा और विश्वास तो हमें इसी दल पर है कि यही दल देश की सारी समस्याओं का हल कर सकेगा। इसलिये हमारा फिर विकास मंत्री से निवेदन है कि ब्लाकों पर कड़ी से कड़ी निगाह रखी जाय।

*श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रजीत यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि की उन्नति अगर हो जाय तो हमारी ज्यादातर तकलीफें दूर हो सकती हैं। कृषि विकास सिंचाई साधन और खाद समस्या के हल पर निर्भर है। सिंचाई के साधन हमारे जिला देवरिया में बहुत कम हैं और खास कर के उत्तरी देवरिया में तो बहुत ही अभाव है। एक आध टयूववैल जब ये सिंचाई मंत्री थे तो हमारे यहां इन्होंने लगवाये हैं। पिपरातिवारी गांव जो हाटा ब्लाक में हैं वहां टयूववैल इतनी नीचे जगह पर गाड़ा गया है कि वह केवल १००-१५० गज जमीन ही सींचता है। वहां के लोग कह रहे हैं कि या तो इसे उखाड़ दिया जाय वरना किसी ऊंची जगह पर लगाया जाय जिससे एक गांव में तो सिंचाई हो सके। सिंचाई की यह दशा है। मिनिस्टर साहबान अपने इलाके में सारी चीजें करवा देते हैं लेकिन अपोजीशन के मेम्बर या उधर के मेम्बर अगर किसी बातके लिये कहते हैं तो वह सीधी ब्लाक स्तर पर इंक्वायरी के लिये जाती है। किसी मेम्बर की बात को सही मानने के लिये ये मिनिस्टर लोग तैयार नहीं है। जब तक उनका कलेक्टर न कह दे तब तक वह हमारी कोई बात मानने के लिये तैयार नहीं होते। जब हमारी बातों पर गौर नहीं किया जायगा तो हम लोगों की क्या हैसियत रह जायगी ? मेरी समझ में यह बात आती है कि जितने मिनिस्टर हैं ये सब झींगुर की तरह से हैं जो थैली में बैठा-बैठा टर्र-टर्र किया करता है। जब ये मेम्बरों की बात नहीं मानते और अधिकारियों की बात मानते हैं तो इसके माने यह हैं कि ये अधिकारियों के वशीभूत हैं। इस तरह से डेमोक्रेसी किस तरह से चलेगी ?

मैनें एक सुझाव दिया था और लिख कर भेज दिया था। हाटा से गौरी बाजार होती हुई देवरिया को सड़क जाती है। हम चाहते हैं कि वहां पर बस स्टेशन हो जाय। लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया जाता है। जब हमारे मंत्री जो सिंचाई मंत्री थे तो मैंने उनसे एक पुल के लिये कहा था। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। सिंचाई योजना की यह दुर्गति है। नारायणी कैनाल से ऐसी नहर आई ह कि जिस समय पानी की जरूरत होगी तो पानी नहीं मिलेगा और इस समय ३-४ गांव पानी में डूब हुए हैं। मैंने मंत्री जी से कहा कि हुलिया ग्राम के लोगों की मांग है कि वहां पर एक पुल बनवा दिया जाय। लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया जाता है। हमारे यहां इतनी बड़ी बड़ी योजनायें है लेकिन उनकी दुर्गति हो रही है। सड़कों को ले लीजिये, टयूबवेल को ले लीजिये और किसी भी चीज को ले लीजिये, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। काफी गड़बड़ी है और जो पुल निर्माण होते हैं, योजनाओं क अन्तर्गत सड़कें जो बनती हैं उन सब में गड़बड़ी होती है। एक सड़क बनी है ग्रांडट्रंक रोड शेरशाह सूरी के जमाने की जो इतनी लम्बी है और अभी हाल में एक सड़क बनी है, दस बारह मील लम्बी है, कुशीनगर से गोरखपुर को जाती है। उस सड़क की हालत हमेशा खराब रहती है। एक और योजना चल रही है हवाई अड्डा बन रहा है। सीमेन्ट आज उस तरह से नहीं मिलेगा। न सप्लाई आफिसर के पास है और न ब्लाक में है। लेकिन १५ रुपये बोरी सीमेन्ट रात में उस हवाई अड्डे से चला जाता है। यह है प्लानिंग आपकी। मैं तो आपसे कहता हूं कि ईमानदार बनाने की कोई योजना आप चलाइए। खुद ईमानदार बनिये और दूसरों को बनाइए। और नहीं तो आप तो डूब ही जायंगे। बहुत बड़ी पार्टी आप कहते हैं कि आपकी है;

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने आजादी ली, लेकिन हम लोग भी उस आजादी की लड़ाई में हिस्सा बंटाये है, इसका मतलब यह नहीं है कि उस कुर्सी पर बैठ कर भ्रष्टाचार का सृजन आप कर दीजिये; एम० एल० ए० कोई बात कहता है कि उस पर हंसिय । हंस लीजिए । एक दिन आप भी रोयेंगे और हम भी रोयेंगे । जब आप मर जायंगे तो आपके साथ-साथ डमोक्रेसी मरेगी, डिक्टेटरशिप आयेगी या और चीज आयगी, बादशाहत आयेगी ।

आपकी जितनी योजनायें चल रही हैं सब असफल हुई हैं, एक भी योजना पूरी नहीं हो पायी है । सड़क योजना , नहर योजना, सिंचाई योजना, कृषि योजना, कोई भी ले लीजिए, किसी में उन्नति नहीं हो रही है। बल्कि उलटे उन पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और आमदनी कुछ भी नहीं हो रही है। अधिकारियों के महल भले ही बने हैं । मिनिस्टरों के बंगलों की सजावट भले ही हो जाय । बड़े-बड़े अधिकारियों की तनख्वाह आप बढ़ा दीजिए । बड़ी लम्बी फौज विकास के नाम पर बना दीजिए । लेकिन वह फौज करती क्या है ? ग्राम सेवक, ए० डी० ओ० वगैरह क्या करते हैं ? मौज की जिन्दगी बिताते हैं। देहातों में जाते नहीं हैं । गावों की योजनाओं , उनके निर्माण पर ध्यान नहीं है । ब्लाक अधिकारी ब्लाकों पर बैठकर मौज करेंगे, कमेटी करेंगे और जितना रुपया गया है कृषि के विकास के लिये सारा रुपया सम्पन्न लोगों को दिया गया है और कोई निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। उन रुपयों के बारे में मैंने पूछा था कि कितना रुपया गया । लिखकर आ गया । लेकिन क्या काम हो रहा है, यह कुछ नहीं । रुपया गायब है । आप वसूली करते रहें दो साल, चार साल, दस साल तक । रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करते रहें । तो मैं तो यह समझता हूं कि जितनी यह गड़बड़ योजनायें आप लोग बना डालते है विकास के नाम पर, उनसे विकास नहीं विनाश हो रहा है । विकास नहीं विनाश की सीढ़ी पर आप चल रहे हैं । जब तक आप अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, अपनी पालिसी उनको समझायेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा । हर जगह लूट मची हुई है। जो जहां ह वहीं लूट रहा ह सभापति से लेकर और आपको क्या कहूं, सभी लोग कह रहे हैं । आंकड़े इकट्ठा करके आप लोग बता देत ह कि इतना विकास हुआ, इतनी आमदनी हुई, लेकिन कहीं कुछ नहीं है । आपकी योजनायें सब कागज पर हैं । कागज पर ही आमदनी हुई है, कागज पर ही विकास हो गया है, खेती की तरक्की हो गई है, सब कुछ हो गया है कागज पर । लेकिन गांव में जाइये तो आपकी योजनाओं से किन का कितना लाभ हुआ है जिससे कि आप टैक्स लेते हैं, जिसकी छाती पर अंगूठा दबाकर आप टैक्स वसूल करते हैं, उसके लिये क्या हुआ है ? आपने क्या दिया है किसान को ?

आज आप कहते हैं कि कामराज योजना है, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आपने नारा दिया है । केवल भुलावे का यह नारा है और समाजवाद का यह आपका बजट है, पूरा पढ़ डालिये, उसमें समाजवाद की कहीं एक कड़ी भी आपको नहीं मिलेगी । मेरी आपसे प्रार्थना है कि ईमानदारी के साथ एम० एल० ए० लोग जो सुझाव दें उस पर कम से कम गौर तो कीजिये । जहां जहां आवश्यकता है, जनता की जो मांगें हैं उन पर आप गौर तो कीजिये । छोटी-छोटी योजनायें अगर सफल हो जायंगी तो बड़ी योजनायें भी सफल हो सकती हैं और किसान आप पर प्रसन्न भी हो सकता है । अगर आप इस ढंग से काम नहीं करेंगे तो नतीजा यह होगा कि यह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आने को कौन कहे, मुल्क जहन्नुम में चला जायगा और आप और हम दोनों मरेंगे, साफ बात है ।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । आज माननीय विकास मंत्री द्वारा जो अनुदान प्रस्तावित है मैं उसका समर्थन करने के लिये और जो विरोधी दल द्वारा कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सिद्धान्त के विषय पर काफी बातें हो चुकी हैं । मैं ज्यादा उस पर समय न देकर सीमित समय में

[श्री रामप्यारे]

अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दो पंचवर्षीय योजनायें बीतीं और तीसरी पंचवर्षीय योजना का यह तीसरा वर्ष चल रहा है लेकिन मैं अपने क्षेत्र दुद्धी (मिर्जापुर) जहां पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करने जा रही है, वहां की समस्याओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । सरकार वहां पर रिहन्ड डैम, अल्मुनियम फैक्टरी और ओबरा डैम के निर्माण के लिये तथा सीमेन्ट फैक्टरी के लगाने में करोड़ों रुपया व्यय कर रही है । यह खुशी की बात है और इसके लिये हम सरकार के आभारी हैं तथा वहां की जनता आभारी हैं ।

एक तरफ तो ये बड़े-बड़े काम हो रहे हैं और दूसरी ओर वहां की जनता की इतनी खराब हालत है कि आज १५, १६ साल आजादी के बाद भी वही हालत में रह रहे हैं। आज भी वहां की जनता को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है । विकास का काम तो दूर रहा, वहां आदिवासी जनता को २ और ३ मील से नदी नालों से पानी लाकर पीना पड़ता है । वहां पर रिहन्द बांध के कारण लगभग ४५ हजार जनता निर्वासित हुई । पहले उनके पीने के लिये ९ हजार से भी अधिक कुयें थे लेकिन उनके उदवासित होने के बाद पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है और उनके लिये १०० कुयें भी नहीं बन सके हैं । आज ही मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र मिला है जो उन्होंने उदवासित लोगों के सम्बन्ध में लिखा है । उसमें बताया है कि अभी केवल ८० कुयें ही वहां पर बन पाये हैं । पहले उस उदवासित जनता के घरों में एक-एक कुआं हुआ करता था लेकिन आज वे गरीब २, ३ मील दूर से लाकर पानी पीते हैं । कहीं २ सरकार ने उनको १०, १५ परिवारों के समूह में बसा दिया है लेकिन वहां पर पानी पीने की सुविधा नहीं है ।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और विशेषकर विकास मंत्री महोदय का कि जो वहां पर निर्वासित जनता के ४०, ५० पुनर्वास क्षेत्र बनाये गये हैं उनमें उन लोगों के लिये एक अलग ब्लाक निर्माण किया जाय ताकि उनके विकास के लिये विशेष कार्य हो सकें और जिससे वे अपनी उन्नति कर सकें। पूरे प्रदेश में ट्राइबल कम्युनिटी की समस्या है । हम यह देखते हैं कि जब हिन्दुस्तान स्वतंत्र हुआ तो आदिवासियों के लिये संविधान (cons titution) में यह घोषणा की गई कि उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिये योजनायें बनाई जायंगी और उनको आर्थिक सहायता दी जायगी और इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में ट्राइबल बोड की स्थापना की गई । मैं आपसे बतलाऊं कि अभी मैं मैसूर एक सेमिनार के सिलसिले में गया था । वहां पर लगभग १।। लाख आदिवासी लोगों की संख्या होगी लेकिन वहां की सरकार ने २ ट्राइबल ब्लाक और २ ट्राइल एडहोक ब्लाक उनके विकास के लिये खोले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में २,३ लाख आदिवासी लोग रहते हैं किन्तु उनके हित की चिन्ता सरकार को नहीं है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक ट्राइबल बोर्ड की स्थापना नहीं की है। आज आदिवासियों की कंडीशन ऐसी है जिसमें उनके लिये विशेष प्रकार की कोई योजना बनाकर ही उनकी उन्नति कर सकते हैं। देहरादून, टेहरी गढ़वाल और पहाड़ी इलाकों में जहां पर ये आदिवासी रहते हैं उनको मिलाकर अगर देखा जाय तो लगभग ४, ५ लाख आदिवासी यहां पर रहते हैं । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह यहां के आदिवासियों की समस्या को हल करने के लिये प्रयत्न करें, वह तभी सम्भव है जब ट्राइबल ब्लाक खोलें ।

यह खुशी की बात है कि प्रदेशीय सरकार ने शिड्यूल्ड ट्राइब में १८ जातियों को स्वीकृत किया है लेकिन केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । मैं मुख्य मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा कि प्रदेश में उनके विकास के लिये केन्द्र से उनको अनुसूचित आदिम जाति घोषित करावें और जिस प्रकार उनके विकास के लिये अन्य प्रदेशों में योजनायें बनाई जा रही हैं, उनके लिये जमीन दी जा रही है, उसी प्रकार अपने प्रदेश में भी जहां पर आदिवासी जनता रहती हैं

उनको दी जाय । विशेष दुख की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर जमीन आदिवासी लोगों के कब्जे में है आज वन विकास के लिये उनसे वह जमीन सरकार द्वारा छीनी जा रही है । जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हर स्टेट को आदेश है कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को १० या १५ एकड़, स्टेट में जैसी जमीन हो, दी जाय । लेकिन हमारे यहां वह छीनी जा रही है ।

इसके अलावा मैं कुछ बात जगोरी परगने की बाबत कहना चाहता हूं । वहां दोहरा शासन चल रहा है । जमींदारी एबालिशन (उन्मूलन) वहां नहीं हुआ । राजा साहब के कर्मचारी जाते हैं और आज भी लगान वसूल कर ले जाते हैं । सड़कें जो बन रही थीं उनको हाई कोर्ट ने रोक दिया है; इससे वहां की जनता में बड़ा असंतोष है । आप सीमेंट फैक्टरी, अल्मूनियम फैक्ट्री आदि वहां भूमि एक्वायर करके बना रहे हैं, लेकिन सड़क बनाने के लिये हाईकोर्ट की रुकावट आ गयी । उस क्षेत्र का विकास अधिक तेजी से होना चाहिये । सरकार को चाहिये कि भूमि एक्वायर करके चोपन-कोटा-कोन बिठम गंज रोड का निर्माण तत्काल करे । वहां जीविका का साधन कृषि है, उसके लिये सिंचाई के अधिक साधन होने चाहियें । हमारे दुद्धी क्षेत्र के बकनी ब्लाक में तो कोई सिंचाई का साधन है ही नहीं । दुद्धी तहसील में १६५ एकड़ की सिंचाई की सुविधा पिछले १५ सालों में मिल पायी है । इसलिये मैं विकास मंत्री जी का ध्यान दिलाना इस ओर चाहता हूं । क्षेत्र में ६० प्रतिशत से भी अधिक आदिवासी हैं और उनका विकास तभी हो सकता है जब मंत्री जी उनको सिंचाई के साधन दें । छोटे मोटे साधन उनको उपलब्ध होने चाहियें । सरकार की ओर से तर्क दिया जाता है कि जो साधन दिये जाते हैं वहां उनसे कोई रिटर्न नहीं मिलता । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप उस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो आपको निश्चय ही कुछ अधिक धन वहां लगाना पड़ेगा । आप वहां रिहन्द डैम, अल्मूनियम फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, थरमल स्टेशन आदि बना रहे हैं और इनसे प्रदेश को समृद्धिशाली बनाने जा रहे हैं तो वहां के रहने वालों का भी जीवन स्तर आपको उठाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो यहां से अनुदान दिये जाते हैं उनका सदुपयोग वहां नहीं हो पा रहा है । ऋण की शर्तें इतनी कठोर हैं कि वहां की जनता उससे लाभ नहीं उठा पाती और क्योंकि जनता निर्धन है शर्तों को पूरा नहीं कर पाती । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कम से कम उस क्षेत्र के लिये ऋण की शर्तें कुछ ढीली की जायं ताकि लोग उससे लाभ उठा सकें और उस अनुदान के रुपये का प्रयोग कर सकें ।

इसके अलावा दो वर्ष पहले एक एग्रो-इंडस्ट्रियल स्कीम वहां चली थी । मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर ध्यान दे । पेय जल की समस्या तो वहां बड़ी विषम है; इस ओर पुनः मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं । सरकार को एक निश्चित समय के अंदर सब जगहों में पेय जल का प्रबंध कर देना चाहिये ताकि जनता समझ सके कि हमारा इस सरकार में कुछ भला होने वाला है । अगर हम इंसान को पीने का पानी न दे सकें तो विकास की क्या बात उनसे की जा सकती है ? मैं विकास मंत्री जी से आशा करता हूं कि वे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे । आज से ८ वर्ष पूर्व १० लाख रुपया पेय जल के कुयें निर्माण हेतु वहां के लिये स्वीकृत हुआ था, लेकिन ब्लाक अधिकारियों और जिले के अधिकारियों की कृपा से वह रुपया अभी तक खर्च नहीं हो पाया और पड़ा हुआ है । मैं सरकार का एक ओर आभारी हूं कि वहां के लिये उसने बड़ी बड़ी योजनायें बनायी हैं और दूसरी ओर मुझे दुख है कि आदिवासियों के विकास के लिये उस क्षेत्र की जनता के विकास के लिये कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि माननीय विकास मंत्री जी उस क्षेत्र की विशेष परिस्थिति को देखते हुये कोई ठोस कदम उठायेंगे जिससे क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो सके ।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया बोलने के लिये . . .।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें टाइम क्यों लगाया करते हैं ? सीधी बात शुरू किया करिये ।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, यह जो कटौती-प्रस्ताव रखा गया है हमारे चन्द्रजीत यादव जी द्वारा इसका मुझे समर्थन करना है । पहल मंत्री जी का भाषण मैं कल सुन रहा था, उन्होंने काफी सरसब्ज बाग दिखलाये । अंग्रेज भी और अंग्रेज के खुशामदी भी ऐसी बात बताया करते थे । वही नमूना इस सरकार का ज्यों का त्यों है । श्रीमन्, आप को भी पता है, इटावा जिले के हैं और गांव की हालत आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि क्या हालत है । हम तो जरा भी विरोध न करें इस सरकार का, मगर कुछ हो भी तो । हमें क्या कोई ख्वाहिश है विरोध करने की या हम शौकीन हैं विरोध करने के ? हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन वहां खाक-धूल होता ही नहीं। विकास खंड बने हुये हैं । मुझ से पहलें वक्ता बोल गये हैं कि वहां सिर्फ साइन बोर्डों का प्रदर्शन अच्छा होता है । सब जगह यही हालत है । अंग्रेज को भी मात कर दिया कागजी घोड़े दौड़ाने में आपने, इतने दौड़ाये हैं । कथनी कथनी में सारा पैसा खजाने का, सारी ताकत मिनिस्टरों की उद्घाटन में ही लगती है और मिनिस्टरों के विलास में सब पैसा उड़ गया । मिनिस्टर जाते हैं, अब्वल तो महीने में दो-चार दिन ही कर्मचारियों को मिलते हैं काम करने के लिये, नहीं तो मिनिस्टरों क स्वागत में ही लगे रहते हैं । जब वह आते हैं तो सारा विभाग उसी काम में उनके स्वागत क काम में लग जाता है । एक डी० पी० ओ० से लेकर पंचायत सेक्रेटरी तक सब फौज आ जाती है, सब काम चौपट हो जाता है ।

मैं एक ही बुनियादी बात बताना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी इसको विशेष नोटिस में रखें । जिस सरकार में, जिस स्वराज्य में, औरतों के लिये गांव में अदब से टट्टी तक न बन उसमें हम क्या नियोजन बना सकते हैं ? ५–५, ६–६ हजार की आबादी के गांव में अदब से हमारी मां-बहिन टट्टी तक न फिर सकें, बेचारियों के लिये स्नान-घर भी न बनें तो क्या नियोजन हुआ ? माननीया मुख्य मंत्री जी और नियोजन मंत्री जी दोनों सुन लें कि जहां स्त्रियों के ४९ प्रतिशत मत है, अब वह और जागरूक हो भी गयी हैं । उन्हें यह भी घमंड है, जब से हमारी मुख्य मंत्री बनी हैं तब से वह कहने लगी हैं कि अब तो हमारी सरकार है और हमारी मुख्य मंत्री है । मैंने तो उनको आश्वासन भी दिया कि मैं अब जाते ही इसकी व्यवस्था करवाऊंगा और सरकार को सुझाव दूंगा । इसलिये आप गावों में टट्टी और स्नानगृह दो चीजें कम से कम अवश्य बनवा दें ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इन दो सालों में यह पहला दिन है जबकि आपके द्वारा मुझे बोलने का अवसर मिला है । मैं, माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कुछ इधर के बैठने वाले तथा कुछ उधर के बैठने वाले साथियों ने इस बजट की बड़ी आलोचना की । मुझे तो उनकी आलोचना को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ । एक तरफ तो वे लोग कहते हैं कि मुल्क में समाजवादी सरकार कायम करेंगे, समाजवाद लायेंगे, दूसरी ओर वे योजनाओं की आलोचना भी करते हैं । योजनाओं की प्रगति उनको तब देखने को मिलेगी जब वे सन् ४७ में जो हिन्दुस्तान था उसके नक्शे को और जो आज सन् ६४ में है उसको अपने सामने रखें । ऐसा करने पर उन्हें मालूम होगा कि हिन्दुस्तान इस योजना में कितना अग्रसर हुआ है । सन् ४६ में यह बजट १२ करोड़ का था और आज २३५ करोड़ का है । यह और भी बढ़ता चला जायेगा । माननीय चरण सिंह जी आज यहां उपस्थित नहीं हैं । एक दिन उन्होंने कहा था कि देश में अकाल है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में अकाल है । पाले से सारी फसल नष्ट हो गयी है । इस प्रदेश में ८० प्रतिशत किसान आज शोषित हैं । उनके लिये यदि हम उनकी तरक्की चाहते हैं तो आपको सवा ६ एकड़ की खेती वाला प्रस्ताव लाना पड़ेगा और उसके लिये कानून बनाना पड़ेगा । तभी इस

प्रदश में विकास हो पायेगा । आज खेतिहर मजदूरों के पास न जमीन है, न कपड़ा है, न खाना है । इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

हरिजनों के सबंध में कहा जाता है कि यह सरकार बहुत कुछ कर रही है । आज उनके लिये पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है । वे लोग तालाब का पानी पीते हैं । साफ पानी तक उनको पीने के लिये नहीं मिलता । यह सरकार बताये कि हरिजनों को कितना रुपया उद्योगीकरण के लिये दिया गया है जनरल बजट से ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यदि थोड़ी धीमी आवाज में बोलें तो कुछ समझ में आये ।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य जरा धीरे बोलें, जिससे सुनाई पड़े ।

श्री गंगाप्रसाद––

आज सरकार विकास के कामों के संबंध में भी उदासीन है । हरिजनों की हालत ठीक नहीं है । सर्विसेज में, प्लानिंग में, अभी तक १८ प्रतिशत का कोटा नहीं पूरा हो पाया है । उसको पूरा किया जाय । चपरासी की जगहों पर भी दूसरी जाति के लोगों को भरती किया जाता है । हरिजन अनुदान लाखों रुपया पड़ा हुआ है लेकिन उसको खर्च नहीं किया जाता है । गांवों के प्रधान लोग भी पार्टी बन्दी में पड़े हुये हैं इसलिये कोई काम नहीं हो पाता है । आप इसकी जांच कराने के लिये एक कमेटी नियुक्त कीजिये । जिस बी० डी० ओ० के यहां काम नहीं हुये उसको मुअत्तल किया जाना चाहिये और उस बी० डी० ओ० को रखा जाय जिसने सारे रुपये को खर्च कर लिया हो । इसी प्रकार गांव की सड़कों के संबंध में भी लाखों रुपया पड़ा हुआ है लेकिन ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है । गांव सभा द्वारा आधा रुपया देने की शर्तों को हटाया जाय और गांव सभा से आधा रुपया श्रम के रूप में लिया जाय और इस प्रकार से कानून में संशोधन कर दिया जाय । हमारे जिले में मैन पावर स्कीम के मातहत तीन सड़कें गोंडा कवहरी से कटवा नाला तक, बालपुर से परसपुर तक और कर्नलगंज से महाराजगंज तक मंजूर हो चुकी हैं लेकिन उनकी मंजूरी अभी यहां से नहीं गयी है । वह जल्दी जानी चाहिये ।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, योजना के अनुदान पर क्या कहा जाय, यह समझ में नहीं आता । धन इन योजनाओं पर व्यय किया गया है लेकिन अगर हम यह देखें कि उनके द्वारा हम किस स्थान पर पहुंचे हैं, तो ऐसा लगता है कि सारा धन अपव्यय ही हो गया । श्रीमन्, इन योजनाओं से दो चीजें ही बढ़ने वाली थीं एक तो राष्ट्रीय आय और दूसरी प्रतिव्यक्ति आय मगर आंकड़े हमें बतलाते हैं कि न तो हमारी राष्ट्रीय आय ही उतनी बढ़ी है जितनी कि बढ़नी चाहिये थी और न प्रति व्यक्ति आय ही उतनी बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिये थी । मैं संयुक्त राष्ट्रीय सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि किन-किन देशों ने पिछले तीन वर्षों में कितनी तरक्की की । लंका जो हमसे बिलकुल सटा हुआ है और कदाचित हमारे सूबे का आधा ही होगा, उसने, अगर १९५३ के साल को १०० मान लिया जाय तो, १९५६ में १०३, १९५७ में ११० और १९५८ में ११८ तरक्की की, और तैवान जो उससे भी छोटा है वहां १०८, १३० और १३८ रही जबकि भारत में १०२, १०७ और ११४ रही । इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं मगर वे भी कुछ ऐसे ही होंगे, यानी उसका प्रतिशत जो होगा वह इससे अधिक नहीं होगा जबकि जापान ने उसी समय में १०४, १३३ और १३८ की तरक्की की । आखिर इतना छोटा मुल्क जो जापान है उसने क्यों इतनी तरक्की की ? इसके माने यह होते है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

हमारी योजना कहीं न कहीं गलत है जिसकी वजह से हम जितना उसका फल लेना चाहते हैं उतना फल हमें नहीं मिल पा रहा है ।

श्रीमन्, यदि आप देखें तो पहले जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी वह घटी है । आपके आंकड़े के अनुसार ही मैं यह निवेदन कर रहा हूं, कोई अपनी तरफ से नहीं निवेदन कर रहा हूं । पहले हमारी प्रति व्यक्ति आय जो करीब २५५ के थी वह लगभग २४९ के हो गयी । इस तरह से वह घटी ही है । हमारी राष्ट्रीय आय तो बढ़ी है मगर वह इतनी नहीं बढ़ी है जितना कि उसे बढ़ना चाहिये था । एक चीज और है जिससे सिद्ध होता है कि हमारी योजना असफल हुई है । हमारे देश की मुद्रास्फीति बढ़ी है यानी हम दिवालियेपन की तरफ बढ़े हैं । अगर हम इसके आंकड़े देखें तो सन् ५४ में १९ अरब २० करोड़ ६३ लाख की मुद्रास्फीति थी और वह सन् ६२ में बढ़ कर ३१ अरब ४० करोड़ ९० लाख की हो गयी । मुद्रास्फीति बढ़ने के माने यह हैं कि हम खोखले होते जा रहे हैं । हमारी मुद्रा केवल रुपये में आ रही है । उस रुपये के लिये न हमारे पास सोना है, न कोई सामान है । इसके माने यह है कि जो हमारी योजना है वह बिलकुल अधर में लटकी हुई है, उसे कोई ठोस स्थान नहीं मिल रहा है ।

उसी प्रकार से यदि उत्पादन बढ़ता तो महंगाई न आती । यह तय है कि महंगाई आने के माने यह हैं कि उत्पादन में कमी है । जब चीजें कम पैदा होंगी उनके दाम बढ़ेंगे, जब चीजें ज्यादा पैदा होंगी तो उनके दाम कम होंगे । श्रीमन्, अभी मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम सन् ३९ के मूल्य को १०० मान लें तो सन् ५७ में ४४८ महंगाई हुई और सन् ६२ फरवरी में आकर वह ५१३ हो गयी । बराबर बीच में बढ़ती रही—४६८, ४७६, ४८६ और फिर ५१३ । यह चीज भी इस बात को सिद्ध करती है कि हमारी योजना असफल रही है । हम जितना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे उतना नहीं बढ़ा पाये ।

इसी प्रकार एक चीज और सिद्ध करती है कि जो हमारी योजना है वह अधर में लटकी हुई है और वह है हमारे यहां बेकारों की तादाद । हमारे यहां बेकारों की तादाद बराबर बढ़ती जा रही है । सन् ५० में हमारे यहां जो शहरी बेकार ३,३०,७४७ थे वे सन् ६१ में १८,३२,७०३ हो गये । इस बेकारी के बढ़ने के अर्थ हैं कि यह सरकार योजनाओं के द्वारा काम नहीं दे पा रही है और लोग बेकार होते जा रहे हैं, बेकारी बढ़ती चली जा रही है ।

केवल अपढ़ आदमी ही बेकार हैं जो कि काम नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है । बल्कि पढ़े लिखे लोगों की बेकारी भी मैं आपको काम दिलाऊ दफ्तर के आंकड़ों से निवेदन कर दूं । सन् ६० में ३,९९,८८० हाई स्कूल पास बेकार थे । इन्टर पास ७,७६५ बेकार थे, बी० ए० पास ४,५८४ बेकार थे । यह संख्या तो केवल उनकी है जो काम दिलाऊ दफ्तर में आवेदन-पत्र देते हैं और वैसे अगर देखा जाय तो बेकारों की एक फौज खड़ी हो गई है और मुझे क्षमा किया जाय अगर मैं यह कहूं कि इन्हीं बेकार लोगों की बेकारी का नाजायज लाभ हमारे लाल झंडे वाले भाई उठा रहे हैं और वह इस लाभ को इस हद तक उठाना चाहते हैं कि वह किसी दिन भी इस सरकार को लाल झंडी दिखा सकते हैं जो कि कदाचित् इस देश के लिये बहुत खतरनाक होगा ।

हमें एक पुस्तक 'तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा' मिली थी, उस के तृतीय अध्याय के पैरा २९ में लिखा है कि हम तीसरी योजना पूरी करने के बाद किस स्थान पर पहुंचेंगे । तीसरी योजना के अन्त में इस में लिखा है कि हम उस स्थान पर पहुंचेंगे कि साढ़े ७ छटांक अन्न और डेढ़ छटांक दाल फी आदमी दे सकेंगे प्रति दिन । साल में साढ़े १७ गज सूती कपड़ा दे सकेंगे और उस वक्त खर्च कितना होगा, वह होगा २०,३१० करोड़ रुपया । इतना खर्च करने के बाद १७.५ गज कपड़ा फी आदमी दे पायेंगे । यह यू० पी० का है । कितनी सही योजना है यह इसी से मालूम पड़ जाता है । आगे वह कहते हैं कि हम तीसरी योजना के अन्त तक अस्पतालों और डाक्टरों की संख्या कितनी कर देंगे । डाक्टरों की संख्या १ लाख तीन हजार हो जायगी और अस्पतालों की संख्या १४,६०० हो जायगी । उस में भी बेकारी बढ़ेगी और डाक्टर लोग दवा की दूकानें खोलकर मरीजों और मरने वालों की संख्या बढ़ायेंगे । इंगलैण्ड में १ हजार

व्यक्तियों पर एक डाक्टर पड़ता है जबकि हमारे यहां औसत लगाया जाय तो लाखों पर एक डाक्टर आयेगा । इतना खर्च करने के बाद तीसरी योजना के अन्त में यह नक्शा होगा ।

खेती के लिये बड़ा जोर दिया जा रहा है कि हमारी योजना गांवों में जाकर खेतों में लगेगी और उपज बढ़ेगी, उसका भी प्रमाण देना चाहता हूं । उसी तृतीय योजना की रूप रेखा पुस्तक के पैरा ३० में है, यह भारतवर्ष का पूरा आंकड़ा है, १३ करोड़ एकड़ कुल खेती लायक जमीन भारतवर्ष की लिखी है और २७५ लाख मन नाइट्रोजन खाद उन खेतों के लिये तृतीय योजना के अन्त तक उपलब्ध करा दी जायेगी । फी एकड़ १२ छटांक पड़ी । समझ में नहीं आता इससे कितनी उपज सरकार बढ़ा लेगी । इसी प्रकार से १, २ बात हो तो कही जाय, हजारों जगह ऐसी मिलेंगी जहां काम जो हुआ है वह बिलकुल गलत हुआ है ।

आडिट रिपोर्ट में से भी कुछ चीजें नोट की थीं मगर समय कम होने की वजह से सब की चर्चा नहीं करूंगा । सबसे गलत बात योजना में यह हुई है कि जिस स्थान पर जिस चीज को होना चाहिये था वहां न हो कर दूसरी जगह पर है। मानता हूं नहरें सिंचाई के लिये उपयोगी वस्तु हैं। मगर हमारे पूर्वी जिलों में जहां छोटी-छोटी होल्डिंग्स थीं उनकी जमीनें उन नहरों के नीचे आ गईं। जो उनसे कुछ बड़े काश्तकार थे उनकी आधे से ज्यादा जमीन चली गई जिससे उपज घट गई । हमारे यहां कोई ऐसी जमीन नहीं थी जो उपजाऊ न रही हो । बिजली नहर कमान्ड एरिया में जाती नहीं, ट्यूबवैल एरिया में जाती है । इस नहरी एरिया में तीन नुकसान हुये हैं । एक तो जमीन निकल गई, दूसरे पानी नहर का, जिस समय, फसल खड़ी रहती है, कट गया अधिकारी ढूंढ़े नहीं मिलते, डी० एम० को तार देना पड़ता है पता नहीं लगता कहां है, वह पानी निकल कर फसल को नुकसान करता है बिजली न होने की वजह से उद्योग उस क्षेत्र में नहीं लग सकते । तो पूर्वी एरिया में जहां नहरें गयी हैं यदि उनको बिजली दे दी जाय तो अच्छा रहे वरना ट्यूबवैल में झंझट यह है, शायद माननीय मंत्री के यहां न हो, अपने यहां की बात कह सकता हूं कि कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जिनका दिमाग खुला हुआ है, मगर अधिकतर ऐसे हैं जो इतने संकुचित दायरे में हो जाते हैं कि उससे ज्यादा संकुचित हो ही नहीं सकते नहीं तो और सकोड़ देते । पहले जिले में सोचेंगे, फिर अपनी जात में सोचेंगे और फिर अपने रिश्तेदारों की सोचेंगे और उनमें भी कौन करीबी है यह सोचेंगे। ट्यूबवैल जहां कहीं भी लगता है वह उनकी सिफारिश पर लगता है । नतीजा यह होता है कि आवश्यकता की जगह पर नहीं लग पाता है । इसलिये मंत्री जी से कहूंगा कि इस चीज पर अवश्य ध्यान दें कि नहरी कमान्ड के अन्दर भी बिजली जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करें, नहीं तो जितने गांव हैं उनकी क्या दशा होगी, इसको बाद में देखा जा सकता है। वहां हमारे ऊदल जी का झंडा एकदम आसमान में फहरायेगा क्योंकि ऐसी ही जगह यह पहुंचते हैं । यह तो बस वहीं देखते हैं कि जहां कमजोरी है, किस जगह असन्तोष है। जहां थोड़ा-सा भी असन्तोष हुआ वहां बस पहुंच गये और उस असन्तोष को उभाड़ा। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि देश का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा इन्हें तो यह दिखाई देता है कि किस तरह से राममूर्ति जी को हटावें और इनको हटाकर अगर राममूर्ति जी के गोल में ही इनके कोई कामरेड मिल जावें तो उन्हें बैठा दें। तो इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री जी कम से कम देश के लिये, प्रदेश के लिये और जनता के लिये सोचें और जनता को इनके हाथों में पहुंचाने की कृपा न करें।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, दुनिया में कुछ देशों ने अपने पिछड़ेपन को उखाड़ फेंकने के लिये और उन्नति करने के वास्ते कुछ लक्ष्य निर्धारित किये और उसी के साथ-साथ उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये एक अवधि निर्धारित की कि सीमित साधनों में वे कितने समय में उस निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। इसी को उन्होंने योजना का नाम दिया। उन देशों ने आश्चर्यजनक सफलतायें भी प्राप्त कीं। उनसे प्रेरित हो कर हमने अपने देश में भी योजनायें बनायीं। दो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

योजनायें हमारी पूरी हो चुकीं और अब तीसरी योजना का तीसरा साल भी हम पूरा करने जा रहे हैं। हमारे माननीय मन्त्री जी ने कल हमें यह बतलाया कि उन्होंने २४४ करोड़ रुपये खर्च करने की योजना की है किन्तु रुपये खर्च करने से ही कोई योजना सफल नहीं कही जा सकती क्योंकि हमने पिछली २ योजनाओं पर काफी धन खर्च किया था लेकिन हम अपने टार्गेट को पूरा नहीं कर सके। चाहते हम यह थे कि वे हमारे सामने यह बतलाते कि जो ५ साल का लक्ष्य हमने कायम किया है उसमें कितना लक्ष्य हमारा पूरा हो चुका और कितना और शेष है और अगर नहीं पूरा हुआ तो उनमें कौन-कौन से बाटिलनेक्स आये जिनके कारण वे पूरे नहीं हो सके।

यह बात कही जा चुकी है कि कृषि उत्पादन में, गन्ना उद्योग में हम भारतवर्ष के मुकाबिले में बहुत पीछे रह चुके हैं। यहां तक कि हम आबादी के अन्दर भी भारतवर्ष के मुकाबले में कम रहे। आय भी कम हुई। बेकारी जरूर भारतवर्ष के मुकाबले हमारे यहां बढ़ी और श्रीपाल सिंह जी ने अभी बतलाया था कि बेकारों की संख्या पहली योजना के समय जो ६ लाख थी वह दूसरी योजना के अन्त में १८ लाख पहुंच गई और तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारा अन्दाजा है कि शहरी बेकारी ४०–४५ लाख के करीब पहुंच जायगी। तो हमें बतलाना चाहिये था कि हम इनमें से क्या कमी कर सके हैं और कहां तक हमने लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। कृषि का हमारा ५५ लाख टन था। तीन वर्षों में हमने कितना लक्ष्य पूरा किया? हमारा शुगरकेन का ६५० मन फी एकड़ था, ५१ में वह ४६५ मन फी एकड़ था लेकिन वह घटकर ४०० मन फी एकड़ से भी कम रह गया। हम जानना चाहते थे कि वह हमारा लक्ष्य ६५० मन प्रति एकड़ का कैसे पूरा होगा। उन्होंने हमको कोई बात नहीं बतलाई। शिक्षा के स्तर में भी कमी है, मेडिकल में भी हम भारत के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। ऐसी दशा में यह जानने की इच्छा थी। लेकिन कहा जाता है कि जो हम लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये उसमें ४ या ५ बातें आती हैं जिनके कारण वह नहीं हो पाया। एक तो हमारे पास रामैटीरियल की कमी है, दूसरे टेकनिकल पर्सनल हमारे पास उचित संख्या में नहीं हैं। तीसरे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है और इसके अतिरिक्त दैवी प्रकोप का भी एक बहाना बतलाया जाता है।

जहां तक कि रामैटीरियल का सम्बन्ध है, वह भारत भर के लिये उसी तरह से लागू होता है जैसे हमारे प्रदेश के लिये। अगर दूसरे प्रदेशों में कमी है तो हमारे यहां भी कमी है। जब दूसरे देश प्रगति कर सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि रामैटीरियल की कमी हमारे ऊपर ही क्यों लागू होती है। दैवी प्रकोप भी हर प्रदेश के अन्दर आते ही रहते हैं और हमेशा आते रहेंगे। जो मनुष्य प्रकृति के प्रकोप पर काबू पा लेते हैं वे बहादुर होते हैं। जो प्रकृति के प्रकोप से घबरा जाते हैं और अपने भाग्य पर निर्भर रहते हैं वे कमजोर, बुजदिल और नपुंसक होते हैं। दैवी प्रकोप से हमारे रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिये।

टैक्नीकल पर्सोनल की कमी की बात कही गयी। हमारे यहां बहुत से इंजीनियरिंग कालिजेज हैं और मैं समझता हूं कि हमारे यहां टेक्निकल पर्सोनल की कमी नहीं होनी चाहिये। असल बात यह है कि हमारे यहां के टेक्निकल परसौनल दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं और हम उनको यहां पर संभाल नहीं पाते हैं। तो यह भी कमी हमारी बनायी हुयी कमी है।

दूसरी कमी फारेन एक्सचेंज की बतायी गयी है। यह भी जैसे और प्रदेशों में है वैसी ही हमारे प्रदेश में है। तो फिर समझ में नहीं आता कि वे प्रदेश क्यों तरक्की कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी प्लानिंग पर हमारी आस्था कम है। हमें चाहिये कि हम अपनी सारी शक्तियों को केन्द्रित करके अपने लक्ष्य की ओर रखें लेकिन हमारे यहां न तो एडमिनिस्ट्रेशन है और न परसोनल है।

दूसरी बात आपने रुपये की बतायी। मैंने आडिट रिपोर्ट में पढ़ा कि पंचवर्षीय योजनाओं में जो कुछ भी रुपया हमारे पास था वह बचा, उस रुपये को हम खर्च नहीं कर पाये और रुपया

डेवलपमेंट के जो कार्य (वर्क्स) थे उन से बचा। एडमिनिस्ट्रेशन में तो बचने का सवाल ही नहीं आता। १९६१–६२ में भी बचा और यह रुपया सिंचाई में बचा, एग्रीकल्चर में बचा, लेबर में बचा, डेवलपमेंट्स के कामों में बचा, इंडस्ट्रीज में बचा। इसलिये रुपये की कमी को कहना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि २० लाख रुपया हमारे लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्कालरशिप में रखा। चूंकि उस स्कालरशिप को समय से नहीं दे सके सेन्टर ने घटा कर ७ लाख कर दिया। उसे भी हम खर्च न कर सके तो फिर ७ साल से ३ लाख कर दिया। तो इसलिये रुपये की कमी नहीं है। अगर कमी है तो केवल लक्ष्य की कमी है। मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि लक्ष्य की पूर्ति के लिये कोई कारण है। कमी इस बात की है कि हमारे यहां जो लक्ष्य बनाये जाते हैं उसी के अनुसार अनुदान मांगते समय उनके एस्टीमेट नहीं बनाये जाते हैं, न एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल ली जाती है, न नियमों का ही पालन किया जाता है। तो उनकी पूर्ति भी उसी प्रकार से होती है। हमें आज अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान देना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के २ सालों के जो हमारे लक्ष्य अधूरे रहे हैं उनको भी पूरा करना है। मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि बावजूद हमारी असफलताओं के आज भी जनता की आस्था कांग्रेस में ही है। लेकिन हमें सोचना होगा कि अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल होगी तो उसका क्या नतीजा होगा। वी कैननाट बिफूल दि पीपुल फार आल टाइम टु कम।

एक बात मुझे और कहना है और वह यह है कि अगर प्रजातांत्रिक प्रणाली में कोई त्रुटि है जिसकी वजह से हमारी योजनायें सफल नहीं हुईं तो हम पार्लियामेंटरी तरीके में एक प्रकार का धक्का लगायेंगे।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि पार्लियामेंटरी सिस्टम के जो आज तरीके हैं उन्हें भी हमें अपनाना चाहिये। किसी मिनिस्टर की अगर स्कीम फेल होती है और जनता की आकांक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो उसे स्वयं उस जगह से हट जाना चाहिये और दूसरों को मौका देना चाहिये। हमें अपना लक्ष्य पूरा करने के लिये अपने दृष्टिकोण को केन्द्रित करना होगा और अगले दो साल के अन्दर अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा।

मैं यह किताब देख रहा था। उससे पता चला कि जहां भारत में ६२ परसेंट खर्च हुआ है रुपया वहां उत्तर प्रदेश ने ४८ परसेंट खर्च किया है लेकिन कहा यह गया कि भारत के मुकाबले में ज्यादा खर्च किया है। तो यह कहना गलत है और हम भारत के मुकाबले में ज्यादा रुपया भी खर्च नहीं कर पाये। इसलिये आप इस ओर ध्यान दें और आप जल्दी से जल्दी इन लक्ष्यों को पूरा करें। जो आपने प्लानिंग की है उसे आप पूरा करें। वैसे हर एक प्रदेश बगैर प्लानिंग के भी अपनी जनता के लिये कुछ न कुछ करता ही है जैसे ४६ से ५१ तक हमने कुछ न कुछ किया ही और तब प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग के मानी हैं कि निर्धारित अवधि के अन्दर हम अपने लक्ष्यों को पूरा करें और यहीं प्लानिंग कहलाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह प्लानिंग नहीं कहला सकती है। इसलिये अगर प्लानिंग को समझना है तो हमें उसमें आस्था रखनी होगी और उस पर हमें अपनी शक्ति को केन्द्रित करके रिजल्ट्स देखने होंगे और आइन्दा यह बात मालूम हो जाना चाहिये कि किस तरह से हमने अपने लक्ष्यों को पूरा किया है।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने दोनों तरफ से इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया है और इसके ऊपर अपनी राय दी है। मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये कुछ आंकड़े और कुछ तथ्य जो आज इस सूबे की वस्तुस्थिति है नियोजन की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री चन्द्रजीत यादव]

और विकास की, वह पेश किये थे। वे आंकड़े और तथ्य या तो सरकार की रिपोर्ट से थे, या भारत सरकार की रिपोर्ट्स से थे या इस सरकार के कुछ विशेषज्ञों की बनी हुई कमेटियों की रिपोर्ट्स से थे और उनके द्वारा जो आज वस्तुस्थिति इस सूबे की है वह सदन के सामने रखी। मैं चाहता यह हूं कि जो चिन्ता और अफसोस सूबे की पिछड़ी हुई हालत को देखते हुये देश के अन्दर है हमारे नियोजन मन्त्री उसको ध्यान में रख कर उत्तर दें जब जवाब देने खड़े हों और अदालत के एक वकील की तरह मैंने जो कुछ चीजें पेश कीं उनका जवाब देना जरूरी है इसलिये कुछ तर्क दें, ऐसा न करेंगे तो उचित होगा। आज हमारे सूबे की आर्थिक स्थिति बदतर है और यह पूरे देश के लिये एक चिन्ता की बात है। उसका मुख्य कारण यह है कि इस सरकार ने पिछली दो योजनाओं से नसीहत नहीं ली और जो तजुर्बे थे उनको मानने से इन्कार किया और जो सलाहकार थे इन योजनाओं के लिये उनकी बात मानने से इन्कार कर दिया।

तीसरी योजना के ड्राफ्ट में एक सेंटेंस रिमार्केबिल है :

"In the interest of the millions of people living in this State the present trends need to be arrested or reversed. Well thought out and bold plan is not inescapable."

मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारी पिछड़ी हुई हालत है, दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हम पिछड़े जा रहे हैं, हमारी आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, फी कस आमदनी नहीं बढ़ रही है, राज्य की इनकम नहीं बढ़ रही है, कृषि के हमारे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो कहीं न कहीं गलती अवश्य है और वह गम्भीर गलती है। काफी रुपया खर्च करने के बाद भी जो नतीजा हासिल होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। योजनाओं की सफलता इन टर्म्स आफ मनी नहीं, इन टर्म्स आफ फिजिकल एचीवमेंट देखना चाहिये। आपने ९० से ९५ प्रतिशत रुपया खर्च किया लेकिन एचीवमेंट क्या किया, यह देखने की बात है। उसे हासिल करने में फेल रहे, इस पर हमको गौर करना चाहिये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सूबे के अन्दर जो साधन हैं उनको हम इस्तेमाल पूरी तौर से नहीं कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने उदाहरण के लिये कहा था कि जो इर्रीगेशन पोटेन्शल है वह पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आज हालत क्या है? इस सरकार की बनायी हुई रिपोर्ट है। इसके अन्दर कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि लगभग १६६ लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं हो रही है और आप कहते हैं कि पैदावार नहीं बढ़ रही है। जो साधन आज मौजूद हैं उनका इस्तेमाल न करना मैं समझता हूं, सब से बड़ी कमजोरी है और आज सरकार को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये कि जो साधन आज मौजूद हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। मैंने बतलाया था कि मौजूदा मशीनरी के जरिये हम प्लान टार्गेट्स को हासिल नहीं कर सकते। इसके अन्दर एक मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। आपकी मौजूदा मशीनरी का ब्यूरोक्रेटिक तौर तरीका है। वह रेड टेपिज्म के अन्दर बिल्कुल फंसी हुई है। आपको बोल्डनेस दिखानी चाहिये। आप जोनल प्लानिंग कमेटीज को खर्चे का अधिकार दीजिये। अगर वह खर्चा ठीक से नहीं होता है तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

अभी माननीय शिवराज सिंह जी कह रहे थे कि केबिनेट की सब-कमेटी बनती है मगर उसके आदेश का पालन नहीं किया जाता है, सरकारी अफसरान उसको नजर अन्दाज करते हैं। इससे गम्भीर बात और क्या हो सकती है? और क्या आपने उन लोगों को भी देखने की कोशिश की कि वे कौन लोग हैं जो बैठे हुये इसके अन्दर एक ब्लाकेड पैदा करते हैं? आज इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर परिवर्तन करने की सब से बड़ी जरूरत है। और प्लानिंग का पूरा डिपार्टमेंट प्लान माइंडेड खुद नहीं है। एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अन्दर कैसे प्लानिंग को बढ़ाना चाहिये, कैसे जनता का सहयोग हासिल करना चाहिये, कैसे जनता के मशविरे से प्लान को आगे बढ़ाना चाहिये,

यह करने में वह असफल हुआ है। उसका एक बिलकुल ब्यूरोक्रेटिक आउटलुक है वही पुराना तरीका, चाहे जनता उसके अन्दर सहयोग करे या न करे, जनता की क्या नीड्स हैं, उसकी क्या रिक्वायर्मेंट्स हैं इसको आप बिलकुल नेग्लेक्ट करते हैं। नतीजा यह होता है कि आपको जो सहयोग जनता से मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। इसके ऊपर गम्भीरता से आपको विचार करना चाहिये। जैसा मैंने कहा था, मिड टर्म एप्रेजल आफ दि थर्ड प्लान होना चाहिये। आप बतलाइये कि पिछले तीन वर्षों में आपने क्या किया है।

दूसरी बात, जो ग्रान्ट्स दी जाती हैं, उनके देने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन होना चाहिये। जो ग्रान्ट्स दी जाती हैं उनका प्रापर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। एक नया क्लास पैदा हो गया है। जमींदारी विनाश के बाद आज कौन फायदा उठा रहा है? जो बड़े किसान हैं। फर्टिलाइजर, ट्यूबवैल्स का पानी, ग्रान्ट्स, सब कुछ वही लेते हैं। सरकारी मशिनरे का भी वही फायदा उठाते हैं और ये हमारे हरिजन भाई जो सब से बैकवर्ड सेक्शन आफ दि सोसायटी हैं, जिनकी संख्या १८ प्रतिशत है उनकी हालत आज भी वैसी ही खराब है जैसी कि पहले थी। एक क्लास ही फायदा उठाता है और जो डिजर्विंग क्लास है वह फायदा नहीं उठाता। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हमको मजबूती से तवज्जह देनी चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि साधन कम हैं, जैक आफ आल बट मास्टर आफ नन की पालिसी आप छोड़िये। थोड़े से रुपये में सारा काम, सोशल वेलफेयर का भी, महिला मंगल का भी, पोल्ट्री फार्म का भी। उद्योग के लिये मन्त्री जी ने कहा कि हम चिनहट में एक उद्योग कायम कर रहे हैं। साढ़े ७ करोड़ की जनता और चिनहट में मिट्टी के बर्तन का उद्योग। बलजीत सिंह जी जो आपके ऐडवाइजर थे उन्होंने कहा था कि अगर ९ अरब रुपये की योजना होगी तो देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में हम प्लानिंग कर सकेंगे। इतने साधन हमारे पास नहीं हैं। साधन मोबिलाइज करने के लिये आपको टैक्सेशन का खयाल छोड़ना पड़ेगा। चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण आज का नारा नहीं है, वक्त का तकाजा है। आप अरबों रुपये के साधन मुट्ठी भर आदमियों के हाथ में छोड़ करके जनता के ऊपर कितना भार डालेंगे? आपको साधन इकट्ठा करना है। केन्द्रीय सरकार की भी एक सीमा है। उससे ज्यादा वह नहीं दे सकती है। हमारे दोस्त माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी लंका वगैरा की मिसाल पेश कर रहे थे। वह ऐसे देश हैं जो नात कैपीटेलिस्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसी दशा पर हम लोगों को चलना होगा। लेकिन हमारे यहां होता यह है कि जो प्रिविलेज क्लास के लोग हैं उनके हित में ही योजनायें चलती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जिनको मदद की जरूरत है वह फायदा नहीं उठा पाते हैं। आपको अपनी नीतियों में मोड़ देना होगा जिससे सही माने में सूबे का विकास लाया जा सके।

श्रीमन्, हमारे यहां सोशलिस्ट प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ कहा गया। इस समय इतना समय नहीं है कि मैं इसका जवाब दूं। लेकिन नियोजन सामाजिक व्यवस्था की देन है। आपको उन देशों के तजुर्बे से लाभ उठाना होगा। एग्रीकल्चर में हम फेल हो गये। हमारे मन्त्री जो समाजवाद के बिलकुल विरुद्ध हैं और उसके बारे में सीखना, पढ़ना सब छोड़ दिया है। रूस के बारे में कहने लगे कि वहां पर मिनीमम वेतन ६९ रुपये है। वे शायद ७-८ साल पहले की बात कर रहे थे। आज एक रूबल सवा पांच रुपये के बराबर होता है। इस प्रकार से हमारे रुपये में वहां का मिनीमम वेतन के ३५० रुपये से ज्यादा होता है और वहां सारी पढ़ाई मुफ्त है और मेडीकल फेसीलिटीज भी मुफ्त है। हाउस पर पांच परसेंट देना पड़ता है। सारी फैसिलिटीज हासिल है। इतनी फैसिलिटीज दुनियां के और किसी मुल्क में हासिल नहीं है। उद्योग के अन्दर अमेरिका के मुकाबिले साढ़े तीन गुनी प्रगति तेज है। उस व्यवस्था की अच्छाइयों पर आपकी निगाह जानी चाहिये और सारी चीजों पर एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिये। भिलाई कारखाना देता है एक सोशलिस्ट मुल्क और बोकारों का कारखाना देता है एक कैपिटलिस्ट मुल्क जिसमें कि वह आपकी सावरेनटी के साथ सौदेबाजी करना चाहता है। वायस आफ

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अमेरिका पर जो आपके साथ सौदेबाजी करना चाहता है, काश्मीर के मामले में जो आपके साथ सौदेबाजी करना चाहता है, उसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिये ।

अपने यहां जो ईंडी सोशलिस्ट्स हैं, जो घोर प्रतिक्रियावादी हैं वह सोशलिस्ट व्यवस्था को खत्म करने चाहते हैं । मैं अपने कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं और मैं मानता हूं कि आपके अन्दर अच्छे नेशनलिस्ट विचारधारा के लोग काफी हैं लेकिन एक कन्फ्यूजन और इल्यूजन के अन्दर पड़े हुये हैं । वह कन्फ्यूजन और इल्यूजन खत्म होना चाहिये और सोशलिस्ट विचार-धारा स्पष्ट तरीके से दिमाग के अन्दर आनी चाहिये और यह मैं नहीं कहता कि देश की हालत ऐसी है कि बिलकुल सोशलिस्ट प्लानिंग आप आज करें, लेकिन एक नान-कैपिटलिस्ट आपकी प्लानिंग इस देश के अन्दर शुरू होनी चाहिये और उत्तर प्रदेश जिसको बहुत आप कहते हैं कि इसने बहुत लीड लिया है, सबको रास्ता दिखाया है, उसने आज वक्त को पहचानते हुये इसके अन्दर भी आपको एक लीड लेनी चाहिये, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है ।

श्री राममूर्ति--

उपाध्यक्ष जी, कल से आज तक नियोजन और सामुदायिक विकास पर बहस हुई और हमारी तरफ और उधर बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया । आलोचनायें भी हुई, समालोचनायें भी हुई, सुझाव भी दिये गये । कुछ लोगों ने सराहना भी की । सभी बातें हुई और यह अच्छी बात है, श्रीमन्, इसलिये कि साल भर में एक मौका मिलता है जिससे विभाग की सारी बातों पर एक अच्छी रोशनी पड़ जाय, एक तरह का दिग्दर्शन हो जाय हमारे कामों का, हमारे अफसरों के कामों का, सरकार की नीतियों का, सारी चीजों को देखने का एक मौका मिल जाता है । बहुता सी कड़वी बातें भी कही जाती हैं । परन्तु मैं उनको इसलिये अच्छा मानता हूं कि कोई आदमी अपने दिल की बात कहता है तो उसके माने हैं कि उसने ऐसा महसूस किया है, और मैं इसलिये भी अपने आपको संतोष किया करता हूं कि कोई हमारी कमी है और हमारे काम करने के ढंग में कमी है, तभी कोई खिलाफ बात कहता है क्योंकि आखिर जो लोग यहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है और यह भी सही बात है कि ज्यादातर लोग यहां पर वह हैं कि जिन्होंने समाज की सेवा की है । तो उनके दिल में इस बात का दर्द भी पैदा होता है जब वह चीजों को देखते हैं कि चीजें ठीक नहीं बनी हैं । जो विचार प्रकट हुए उनके लिये मैं सभी भाइयों का बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं । यह तो मुमकिन नहीं होगा कि जितने भाई बोले उनकी एक-एक बात का जवाब हो जाय । हर भाई की जो मैंने जरूरी बात समझी उसको नोट भी कर लिया और जो हमारे विभाग के अफसर यहां बैठते हैं ऐसे मौके पर वह भी इन सभी चीजों को लिखते हैं । इत्तिफाक से हमारे विभाग में ऊपर के चार, पांच अफसर ऐसे हैं जिन्होंने १४-१५ साल से इसी विभाग का काम किया है । डी० पी० ओ० भी रहे हैं और जब से प्रादुर्भाव हुआ है अपने प्रदेश में योजनाओं का और खास तौर से कम्युनिटी डेवलपमेंट का, तब से बराबर उनका इससे बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और एक तरीके से बड़ा हाथ रहा है उनका इन चीजों को बनाने में । लिटरेचर भी बहुत लिखा है उन लोगों ने । मैं जानता नहीं, हमारे बहुत से साथियों ने पढ़ा है या नहीं, लेकिन वह किताबें हैं और उनको पढ़ा जाय तो उनसे कुछ न कुछ लाभ ही होगा ।

हमारे दोस्त नरसिंह नारायण जी ने और भी बहुत से साथियों ने इस बात का जिक्र किया कि प्लान जो हमारे देश और प्रदेश में बनता है यह सब ऊपर से थोप दिया जाता है, और चूंकि ऊपर से थोप दिया जाता है इसलिये लोगों को उसमें दिलचस्पी नहीं होती और सरकार को अच्छा सहयोग नहीं मिलता । परन्तु ऐसी बात नहीं है । दूसरा प्लान जब चल रहा था उस वक्त इस बात को सरकार ने नोटिस लो और १८ मई, १९६० को एक हमारा अर्द्ध शासकीय जी० ओ० निकला । वह जी० ओ० बहुत लम्बा है लेकिन उसके अन्दर इस बात पर जोर दिया गया कि प्लान को ड्राफ्टिंग गांव सभा से शुरू करनी चाहिये । उसमें गाइडलाइन्स हैं वह सब बतलाये

कि गांव सभा में क्या हो, कृषि उत्पादन, सहकारी समितियों का विकास, घरेलू उद्योग धन्धे, प्रारम्भिक शिक्षा, गांव में पेयजल की व्यवस्था, इस तरह के बहुत से आइटम हैं जिनका उसमें चर्चा किया गया है। शहरी प्लान अलग है। अगर आप जानकारी करें, मैं समझता हूं, आपको जानकारी होगी कि हर जिले में एक छोटी-सी पुस्तिका छपी है जो हर गांव सभा के अन्दर बांटी गई ताकि विलेज लेविल वर्कर या पंचायत के सेक्रेटरी हैं या जो भी हमारे काम करने वाले हैं उनको मालूमात हों।

इसके अलावा जो जन-सेवी हैं या जो हमारे विलेज लीडर हैं चाहे अच्छे या बुरे उनके जरिये से इस बात का पूरा प्रयत्न किया गया और गांव-गांव से रिपोर्ट लेकर फिर क्षेत्रीय समिति के स्तर पर प्लान लाया गया और वहां उनको डिस्कस किया गया और फिर जिला परिषद् में लाया गया और फिर सारी चीजों का समन्वय करके एक प्लान स्टेट लेविल के लिये भेजा गया। एक किताब छपी और हर एक चीज उस किताब में छपी कि कितना इर्रीगेशन होना, सड़क कितनी बनाई जायगी, स्वायल कंजर्वेशन में क्या किया जायगा, फारेस्ट लेंगे तो वे कितने भूमि पर, तालीम के लिये स्कूल कितने खोले जायंगे। सारी चीजें डिटेल में उस किताब के अन्दर दी गई हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर वह किताब न छपी हो। उस किताब को पढ़ने से ही माननीय सदस्यों को इस बात का कुछ अन्दाजा हो सकता है कि कहां तक उस किताब के अनुसार उनके जिले में प्लान चला है। उसको आप पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर आपका यह खयाल हो कि यहां पर बोटलनेक है, कमी है, शार्ट फाल है, तो उसकी देखा जा सकता है। यों तो हम अपनी तरफ से जानने की कोशिश करते हैं किन्तु आप भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप उनको देखें और जिन चीजों में कमी नजर आये, आप असेम्बली के मेम्बर हैं, जो हमारे प्रदेश की सब से बड़ी चुनी हुई संस्था है, आप ब्लाक लेविल पर भी मेम्बर हैं, जिला परिषद् के भी मेम्बर हैं, आप सब जगह पर मेम्बर हैं और आपके जरिये से सब काम हो रहा है, आपको कमी मालूम हो तो उसको देखा जा सकता है। जब आपको मालूम होगा तो आप जान सकेंगे कि क्या-क्या काम हर जिले के सुपुर्द किया गया है। इससे अन्दाजा हो सकता है कि कहां तक लोगों का प्लान से वास्ता है और कहां तक उनके ऊपर थोपा गया है।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। प्लान के बहुत से पहलू हैं। हमारे यहां गंडक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसको आप क्या समझते हैं? हमारा किसाऊ डाम बन रहा है तो क्या उसके लिये हम गांव-गांव से पूछें कि इसको बनायें या नहीं? अलग-अलग हर चीज का स्तर है। कुछ प्लान है जो सारे देश के स्तर पर बनाया जाता है। हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के लेविल पर तय किया जाता है कि हम यह किस स्टेट को दें। उनके लिये स्टेट कोशिश करते हैं और मैं यह नहीं कहता कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में पक्षपात नहीं होता। क्योंकि ह्यूमन नेचर सब जगह एक-सा है, मनुष्य में कमजोरियां हर जगह हैं चाहे वह यह देश हो या कोई और, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं। अपना कार्य कराने की हम कोशिश करते हैं, भले ही कामयाबी मिले या न मिले। तो वह प्लान अलग-अलग बनते हैं। स्टेट लेविल पर हम अपने तरीके से सोचते हैं कि हम अपना काम किस तरह से करें और यह देखते हैं कि कितना कर पाते। इसी तरह से सीढ़ी के बाद सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं और फिर वह काम पूरा होता है। तो कोई मेम्बर अपने दिमाग में यह बात न रखे कि जो हमारी सब से नीचे की इकाई है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। हर एक से हमारा वास्ता है। हां, यह बात जरूर है कि लोग कोआपरेशन उतना ही करेंगे जितनी कि उनके पास बुद्धि है, जितनी उनको दिलचस्पी होगी। आज पंचायत राज गांव-गांव में फैल गया है और कितनी ही बातें गांव के स्तर की होती हैं, लेकिन उनके लिये रिपोर्ट आती हैं कि गांव सभा की मीटिंग हुई, कुल ५, ६ सदस्य उपस्थित थे।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह असेम्बली ४३१ मेम्बरों की है। कितने आदमी यहां हाजिर रहते हैं? घंटी पर घंटी बजानी पड़ती है कोरम के लिये। जिम्मेदारी तो सबकी बराबर है। यह ठीक है कि कोरम रखने की जिम्मेदारी हमारी है लेकिन बैठाना

[श्री राममूर्ति]

तो सब को ही चाहिये। तो इतनी बड़ी जमात में जब हम अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं करते तो गांव सभा के लेविल पर यह उम्मीद कर लेना कि सारे लोग आ कर बैठ जायेंगे और अपना काम ठीक से करेंगे और हर चीज का सिंहावलोकन करेंगे, देखभाल करेंगे, जरूरत के मुताबिक चीजों को सामने रखेंगे, यह कहने के लिये तो आसान है, लेकिन इसका होना उतना आसान नहीं है।

फिर एक बात और देखिये। हमारे मुल्क के अन्दर सोसाइटी का एक स्तर तो ऐसा है कि जिसके सोचने-विचारने में, जिसकी इंटेलीजेन्स में अमरीका, यूरोप, आस्ट्रेलिया, रूस आदि के लोगों से कोई भिन्नता नहीं है। वे बुद्धि में किसी से कम नहीं हैं। उतनी ही लियाकत हमारे इन लोगों में है। और दूसरा स्तर जो है वह इतना पीछे है, उसके अन्दर इतना गैप है उस स्तर से कि वह जानते ही नहीं कि दुनिया में और देश में क्या हो रहा है। कभी बिजली की बत्ती तक जिन्होंने देखी नहीं। मुझे यह बात कहने में अफसोस है। कोई खुशी नहीं होती ऐसी बात कहने में लेकिन हालत यही है। अभी मैं डेढ़ साल का अरसा हुआ इंटीरियर में एक गांव में गया था। मैंने वहां स्कूल के लड़कों से पूछा कि भाई तुम में से कितनों ने बरेली देखी है। उनमें से १७, १८ लड़के खड़े हो गये कि जिन्होंने बरेली नहीं देखा था। फिर मैंने अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिये पूछा कि तुम में से कितनों ने नवाबगंज देखा है। तहसील का मामला था। वह वहां से ८, ९ मील रहा होगा। उसके लिये भी ८, १० लड़के खड़े हो गये। तो यह हालत है। दो-चार मील के दायरे में शादी व्याह हो गये। लड़के बच्चे हो गये। खेती घर पर होती रही, बाद में रामनाम हो गया और बस काम खत्म। सारी जिन्दगी उनकी इसी तरह खत्म हो जाती है। तो इतना बड़ा अन्तर हमारे समाज के दो हिस्सों में है। दिक्कत क्या है? दिक्कत जो मुझे हो रही है कि एक स्तर तो सोचता है चीजों को अप-टु-डेट जैसी आज दुनिया चल रही है उस हिसाब से, वह रोज रेडियो सुनता है, अखबार पढ़ता है, हर चीज को अपनी निगाह से देखता है, समझता है और दूसरा स्तर बिलकुल पीछे है। दोनों में समन्वय कैसे हो ?

हमारे भाई चन्द्रजीत जी नौजवान हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। पढ़े लिखे हैं और इसलिये चाहते यह हैं कि हर चीज उस स्तर से हो जिस स्तर से रूस में होती हैं या चीन में होती हैं। यह भूल जाते हैं कि हमारा हिसाब-किताब गांधी जी का बनाया हुआ है। मैं भलाई और बुराई की बात कहता नहीं। वह हर जगह, हर एक में होती है। रूस ने जो उन्नति की है वह भी बैठे-बैठे नहीं कर ली है। कम्युनिस्ट पार्टी ने लाखों आदमियों को मार दिया और उन्होंने अपनी फिलासफी में इसको बुरा भी नहीं माना। फासिस्ट पार्टी आयी जर्मनी में और इटली में, तो वहां गद्दी पर बैठाने वाले साथियों को ही नेता महोदयों ने मरवा दिया। उनके दिमाग में यह बात बुरी नहीं थी। आज भी वहां कोई आदमी उनका विरोध कर दे तो दुनिया से गायब हो जाय। एक लीडर बदला जाता है तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन उसके साथ १०, २० हजार आदमी चले जाते हैं। मैं एक रोज देहरादून में था और वहां रूस के कुछ लड़के आये हुए थे। बेरिया का किस्सा हो गया। वह लगाये हुए थे बेजेज और जब न्यूज सुनी तो उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें, सब घबरा गये। उनका लीडर आया और इशारे से बुला कर ले गया। यह हालत है। लेकिन हम क्या करें जो कि महादेव जी की बारात लिये बैठे हैं ? अगर आज मैं अपने चपरासी को डांट दूं तो कल सवेरे जलूस निकल जायगा। तो अफसर की बात छोड़िये, वह तो बड़ी कांशस क्लास है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

गोली तो आप भी चलवा देते हैं।

श्री राममूर्ति--

हमारे राधेश्याम भी तेज हैं। गोली हम ही नहीं चलवा देते हैं, गोली तो जो-जो बैठे हैं गद्दी पर, जो-जो बैठ चुके हैं, सब जगह चलवा देते हैं। कोई मिनिस्टर नहीं कहता कि गोली चलवा दो।

श्री राधेश्याम शर्मा––

जब गोली चलवा देते हैं तो सोशलिस्ट पार्टी ने मर्यादा भी कायम की है कि इस्तीफा भी दिलवा देते हैं।

श्री राममूर्ति––

यह हमारे सोशलिस्ट भाई क्या शोर मचाते हैं? पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। इतने बड़े पेड़ की एक जरा-सी शाख की तरह हो, अपनी हैसियत को तो समझो। मैं कोई बेइज्जती के लिये नहीं कह रहा हूं। पेड़ तो कांग्रेस का है जिसमें से शाखाएं निकलीं। एक आप भी निकल गये कहीं से। एक छोटा चिरौंटा बैठ गया भरा के पत्ते के ऊपर, वह हिलने लगा तो वह समझने लगा कि मेरी बड़ी ताकत है। मैं कम्युनिस्टों की बात को मानता हूं क्योंकि उनकी वर्ल्ड आर्गेनाइजेशन है, एक फिलासिफी है, लेकिन तुम क्यों राधेश्याम ऐसी बातें करते हो? मेरी बात को माफ करें, आप साहबान।

मैं यह कह रहा था कि जब कांस्टीटुएन्ट असेम्बली बैठी उपाध्यक्ष जी, खैर, मैं थोड़ी सी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, जब कांस्टीट्युएन्ट असेम्बली बैठी तो उसमें बहुत पार्टियों के लोग बैठे थे, बड़े-बड़े एक्सपर्ट, जिनका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं था। कांस्टीट्युशन बना, हिन्दुस्तान के लोगों ने उसे माना। उसके अन्दर एक चार्टर आफ राइट लिखा है, सबके हकूक महफूज हैं। जरा-सी बात कहीं होती है तो फौरन रिट आ जाता है। एक ट्रांस्फर के मामले में एक पटवारी ही रिट ले आया हाई कोर्ट से। सख्ती करो, अफसर को दबाओ, लेकिन उतना ही तो दबाया जायगा जितनी गुंजायश होगी, जितना कि कानून आज्ञा देगा। आज आपकी ही पार्टी का एक आदमी मेरे पास आया, मैं नाम नहीं लेता। उन्होंने एक तकलीफ पेश की। एक लड़की है, उसके साथ बी० डी० ओ० की ज्यादती की बात थी। दूसरे रोज मैंने अपने डिपार्टमेंट के ४–५ जो अच्छे अफसर हैं उन में से एक को भेजा। वह गये, उन्होंने पता लगाया और रिपोर्ट दी कि शिकायत उतनी ठीक नहीं है। वह भाई भी लौट कर नहीं आये। कल एक साथी ने पता दिया कि कुछ कहीं गड़बड़ हो रही है, मैंने तुरन्त जीप से एक अफसर भिजवाया कि कागज पहले सीज कर लो। मैं इत्मिनान दिलाता हूं कि दो-चार महीने के अन्दर लगभग सौ बी० डी० ओ० को हटा दिया जायगा जो इस किस्म की बेहूदा बात करते हैं। लेकिन एक दायरे के अन्दर काम किया जा सकता है। मेरी इतनी ताकत नहीं है। आज आप देखिये कि पंचायती राज्य जो आपने बनाया है उसमें, जिन लोगों के हाथों में आपने काम सौंपा है उसमें कितने ही ऐसे हैं जो अंगूठा टेक हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। एक भाई कहने लगे कि आप यह कानून बना दो कि जो भी ब्लाक प्रमुखों के लिये उम्मेदवार होंगे वे पढ़े लिखे होंगे। मैंने कहा कि जब पार्लियामेंट के मेम्बर तक अंगूठा टेक होते हैं, जो इतनी बड़ी संस्था है, तो फिर इस छोटी-सी जमाअत के लिये कैसे कानून बनाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसी जमात से भी काम लेना पड़ेगा। आपको मालूम है पहले क्या दशा हमारे समाज की थी। औरतें घरों से निकलती नहीं थीं। हमारी मां और दादी ने कभी घूंघट से बाहर मुंह नहीं निकाला था, और उसके बाद गांधी जी ने उसके लिये एक आन्दोलन चलाया। आज क्या स्थिति है? (मुख्य मन्त्री की सीट की ओर इशारा करके––हंसी) आज वह हमारे प्रदेश की मुख्य मन्त्री हैं, हमारी लीडर हैं। इसलिये समय लगेगा, हमको उन लोगों को हाथों में काम देना पड़ेगा, यद्यपि वे लोग अनभिज्ञ हैं, शुरू में काम खराब करेंगे, पैसा बरबाद करेंगे, मगर बाद को जरूर कुछ सीखेंगे। बच्चा शुरू-शुरू में जब चलता है तो गिरता भी है। जब गिरता है, चोट खाता है, तभी वह चलना सीखता है एक दिन वह नौजवान बनता है। अब अगर उसके मां-बाप यह सोचने लगें कि अगर वह गिरेगा तो लंगड़ा हो जायगा। चोट लग जायेगी, और इस डर के कारण उसे चलने न दें, तो क्या असर होगा? इसलिये ऐसे लोगों के सुपुर्द हमें काम करना है। बरबादी किस चीज की होगी? यही तो कि थोड़ी-सी बरबादी होगी, किन्तु कुछ सीखेंगे तो। हमारा आपका फर्ज यह है कि हम उनके ऊपर निगाह रखें, एक विजिलेन्स रखें, हम सब विजिलेन्स कमीशन

[श्री राममूर्ति]

की तरह से उन पर निगाह रखें, और जो बात उनकी नोटिस में आये, कहीं खामी दिखाई दे, उसे नोटिस में लायें। मैं आपको वर्ड आफ आनर देता हूं कि जब भी कोई भाई मुझ से शिकायत करेगा, कोई चीज मेरी नोटिस में लायेगा, मैं उसी वक्त कोशिश करूंगा कि उस गलती को रोका जाय, उस ओर ध्यान दिया जाय। मैं आपकी स्पीच से फायदा उठाना चाहता हूं और जो आफिसर्स यहां बैठे हैं वे भी ईमानदारी से इस बात की कोशिश करते हैं और यह उनकी ख्वाहिश है कि हमारा पंचायती ढांचा तरक्की करे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस बात की भी कोशिश करूंगा कि चीजें काश्तकारों के घरों में पहुंचाई जायं, यह नहीं कि हर चीज को लेने के लिये काश्तकार को ही आना पड़े। मैं इस प्रकार के आदेश दूंगा कि चीजों को उनके घरों पर पहुंचाया जाय ताकि वे लोग समझें कि यह सरकारी लोग उनके लिये कुछ करते हैं। लेकिन इस सबके बावजूद आज जिस प्रकार का हमारा समाज है, उसमें यह जरूर होगा कि जो लोग कमजोर हैं, भूखे हैं, उनके मुकाबले में जो लोग ताकतवर हैं वे कुछ अधिक फायदा उठाते रहेंगे। आज हमारे प्रदेश में १ करोड़ ६० लाख के करीब हरिजन भाई हैं जिनके पास न जमीन है, न वे पढ़े लिखे है, न उनकी मानसिक अवस्था ही अच्छी है, और हर तरह से पिछड़े हुए हैं। उनकी हालत अच्छी करना हमारा सब का फर्ज है। समाज के इस कलंक को हमें धोना है।

एक और बात का ध्यान रखना चाहिये। इतने भाई बोले और करीब-करीब हर-एक ने, कुछ को छोड़कर, तबर्रा पढ़ डाला। प्लानिंग में करप्शन बहुत है। अगर आपका कोई काम करता है और आप उसकी सारी बातों को कहें कि वे बुरी हैं, तो उसका दिल टूट जायगा। घर में आपकी घर वाली दाल, रोटी, तरकारी सब चीजें बनाती है और अगर आप उसकी सभी चीजों को खराब बता देंगे तो सोचिये कि उसका दिल कितना टूटेगा, उसका दिल कितना बैठ जायगा। हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्लानिंग में करोड़ों रुपया खर्च हो गया और कोई लाभ नहीं हुआ। मैं कमजोर नजर का हूं लेकिन आप तो तेज नजर के हैं। आप देखें तो कि ये इतनी सड़कें और नहरें, ट्यूबवेल बने, यूनिवर्सिटी और कालेज बने, मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज बने, तो ये सारी चीजें क्या आपको खराब नजर आ रही हैं? कुछ तो रहम हम गरीबों के ऊपर खाइये, वरना इन बेचारे गरीब काम करने वालों का क्या हाल होगा। आप बुराइयां बतलायें। हमारे साथ के बैठने वाले तो सब तारीफ ही करते रहते हैं। आपकी बात का नोटिस लिया जाता है। पुराने एक शेर का हिस्सा है कि बात जो मुंह से निकलती है, असर रखती है। ऐसी बात नहीं है कि आपने कह दिया और हम सुन कर चल दिये। हम आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं।

अब मैं जरा-सा जो मेरे भाई चन्द्रजीत जी ने कहा उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कह दिया कि साहेब, उत्तर प्रदेश की आमदनी पर कैपिटा नहीं बढ़ती है या किसी बात में भी हम टार्गेट एचीव नहीं कर पा रहे हैं। आप यह भी तो देखें कि प्लान में उत्तर प्रदेश कितना लगाता है। सन् ६२ का आप देखें। इसी किताब के पेज ८ पर दिया है जो आपको बंटी है तीसरे प्लान की। १६६ करोड़ रुपया हमने पहले प्लान में और २२८ करोड़ रुपया दूसरे प्लान में खर्च किया। कुल ३९४ करोड़ रुपया खर्च किया। यह हमारा तमाम हिन्दुस्तान के कंटेक्स्ट में ५७ फीसदी आया। पंजाब में १७५ फीसदी से ज्यादा, जम्मू कश्मीर में १११ फीसदी से ज्यादा, उड़ीसा में १०७, बम्बई में १०६, मैसूर १००, वेस्ट बंगाल में १००, राजस्थान में ९३, आंध्र में ८४, मध्य प्रदेश में ८३, केरल में ७९, मद्रास में ७८, आसाम में ७७, बिहार में ६३ और हमारा ५७, सबसे कम हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। थर्ड प्लान को भी आप देखें। आंध्र में ३०५, आसाम में १२०, बिहार में ३३७, गुजरात में २३५, जम्मू-काश्मीर में ७५, केरल में १७०, मध्य प्रदेश में ३००, मद्रास में २९०, महाराष्ट्र में ३९०, मैसूर में २५०, उड़ीसा में १६०, पंजाब में २३१, राजस्थान में २३६, वेस्ट बंगाल में २९३, उत्तर प्रदेश में ५०१ करोड़ है। हमारा पर-कैपिटा आउटले ६८ रुपये हैं। इसके बरखिलाफ देखें कि हमारे मुकाबले में कोई भी स्टेट हमसे परसेंटेज में

कम नहीं है। अब आप आबादी को ले लीजिए। हमारे यहां हर जगह से दुगुनी और चौगुनी है। सारी दुनिया की २ प्रतिशत जमीन हमारे हिन्दुस्तान में है और आबादी १४ प्रतिशत है। हमसे कहा जाता है कि सूबे में जमीन का बंटवारा कर दिया जाय। हमारे यहां १०-१५ लाख एकड़ ही ऐसी जमीन होगी जो ४० एकड़ की सीमा से सब बड़े काश्तकारों पर होगी। अगर वह सब मिल जाय तो कितने लोगों में उसको बांटा जा सकता है, जरा इसको सोच लिया जाय। इस तरह के सस्ते नारे ठीक नहीं।

अब सेंटर से जो हमको एसिस्टेन्स मिलती है उसको देख लीजिए। आंध्र में ५५ से ज्यादा, आसाम में ७३ से ज्यादा, बिहार में ४६, गुजरात में ५४, केरल में ६६, मध्य प्रदेश में ६४, मद्रास में ५६, मैसूर में ५३, उड़ीसा में ७५, पंजाब में ६६, राजस्थान में ७७, वेस्ट बंगाल में ४० और हमारे यहां ४७ है। कितनी रकम मैचिंग ग्रांट से ही मिलती है। अब हमारे पास रुपया है ही नहीं तो कैसे और मिले। हमारी आमदनी खाली रूरल एरिया से होती है, कोई बड़ी भारी इंडस्ट्रीज तो है नहीं। एसिस्टेंस मिलती है टैक्सेज की बिना पर, लेकिन इन्डस्ट्रीज हमारे यहां बहुत कम हैं। बाम्बे, मद्रास और बंगाल, जिनमें पोर्ट टाउन्स थे वहां पर पहले से ही इंडस्ट्रीज हैं। टैक्सेज पर कैपिटा काफी है, इसलिये उनको रुपया अधिक मिल जाता है। एग्रीकल्चर पर टैक्स हम और ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। फिर रुपया हमें कैसे मिले ?

जरा देखिए नियोजन की फिलासिफी है क्या ? वह यह है कि एक मर्तबा कस कर रुपया लगा दिया जाय और जब रिटर्न आने लगे तो उसी रुपये को फिर लगा दिया जाय तो आमदनी बढ़ती जायगी। पुराने जमाने में जो लोग तिजारत करते थे वे १०० रुपया अगर आमदनी होती थी तो उसमें से १०-२० रुपया खर्च करते थे बाकी फिर व्यापार में लगा देते थे। और उनका व्यापार बढ़ता जाता था। अब हमारी आमदनी बढ़ी १.२ तो आबादी बढ़ गयी १.७। अगर नियोजन न हुआ होता तो सब के सब पेट पकड़ कर मर गये होते। यह तो प्लानिंग की महिमा है कि निर्वाह होता जा रहा है। मैं शिवराज सिंह जी से सहमत हूं कि एग्रीकल्चर के मामले में हमारी स्टेट बुरी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहां उतनी इंडस्ट्रीज नहीं लग पायीं जितनी लगनी चाहिये थीं। वैसे पिछले कुछ वर्षों में इंडस्ट्री के मामले में भी हम कुछ आगे बढ़े हैं लेकिन कुछ कम बढ़े हैं जिसकी वजह से हम तेजी से आगे नहीं बढ़ पाये। एग्रीकल्चर में नेचुरल वेगरीज तो है ही, मगर हमारा एफर्ट भी कुछ कम रहा है। कल कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि जबरदस्ती खाद दी जाती है। मैंने कोआपरेटिव के रजिस्ट्रार से पैंफलेट मंगाकर देखा। खाली इतना सर्कुलर निकाला गया है कि गन्ने के अलावा खरीफ की फसलों में हर काश्तकार को १० रु० प्रति एकड़ के हिसाब से खाद डालना चाहिये। गन्ने में २४ रु० प्रति एकड़, रबी के सिंचित क्षेत्र में १५ रु० और असिंचित क्षेत्र में साढ़े ७ रुपये की खाद देते हैं जिसके लिये कहा जाता है कि हम जबरदस्ती खाद देते हैं। अगर इतना खाद डालने की आदत हम नहीं डलवायेंगे तो कोई आदमी क्या खाद डालना सीख सकेगा और क्या उसकी इस ओर दिलचस्पी पैदा होगी ? हम तो उसे मिनिमम खाद देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद भी शोर मचाया जाता है कि हम जबरदस्ती फर्टिलाइजर बांटते हैं और उसे लोग लेना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो खाद एक जगह से उठाते हैं और उसके एक फर्लांग बाद ही जाकर उसे बेंच डालते हैं और उसका बेजा फायदा उठाते हैं। खेती की पैदावार तो खाद के जरिये ही बढ़ती है और उसके लिये अगर इतना भी नहीं किया जायगा तो क्या किया जायगा। जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय है कि इस खाद को थोड़ा-सा भी मिला दिया जाय और उसे एक, दो पानी भी मिल जाय तो प्रति एकड़ २०-२५ प्रतिशत पैदावार बढ़ सकती है।

एक बात माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने कही और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इसकी चर्चा की कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा। उनका कहना है कि सिंचाई किसी के पास, कोआपरेटिव सोसाइटीज विभाग किसी के पास, कम्युनिटी डेवलपमेंट किसी

[श्री राममूर्ति]

क पास, एग्रीकल्चर किसी के पास, फिर कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े । आपका मतलब क्या है ? क्या आप चाहते हैं कि सारे डिपाट्मेन्ट्स एक मिनिस्टर साहब के हाथ में रख दिये जायं ? ऐसी स्थिति में तो उस बेचारे की हालत क्लर्क से भी बदतर हो जायगी । अगर उसके पास चार-पांच डिपार्टमेन्ट्स हो जायेंगे फिर तो वह गरीब दिन-रात बैठ कर दस्तखत ही करता रह जायेगा । गवर्नमेंट की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है । जो भी स्कीम बनायी जाती है वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में डिस्कस की जाती है , बातचीत की जाती है, वहां सारे आफिसर्स बैठते हैं और बैठकर बातचीत करते हैं तब कोई स्कीम निकलती है । आज भी एग्रीकल्चर के लिये एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े । उसकी प्रेसीडेंट माननीया मुख्य मंत्री हैं । उस कमेटी के सारे डिपार्टमेन्ट्स के सेक्रेटरीज आते हैं, उनका इंटेग्रेशन नहीं है, उनका कोआर्डिनेशन है । डेमोक्रेसी में कोआर्डिनेशन से ही काम चलता है । एक आदमी उस काम को कहां तक कर सकता है ? जो भी पालिसी तय होती है वह सब की राय से होती है और उसकी जिम्मेदारी सब की होती है । इसलिये इस तरह की बात कहना मुनासिब नहीं है । चीफ मिनिस्टर जो गवर्नमेंट के हेड हैं, उनके साथ हम सभी बैठ कर गवर्नमेंट की पालिसी निर्धारित करते हैं और उसके बाद उसी पर आफिसरों को चलने के लिये कहते हैं । हमारी ख्वाहिश थी कि दो-तीन और बातों के संबंध में थोड़ा-थोड़ा जिक्र करता लेकिन समय कम है ...

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप कहें तो मैं कुछ समय और बढ़ा दूं । मैं १५ मिनट का समय बढ़ा रहा हूं ।

श्री राममूर्ति--

इर्रीगेशन के संबंध में बहुत-सी बातें कही गयीं । जब इर्रीगेशन का बजट पेश होगा उसी समय उस पर वजाहत से बातें हो सकेंगी, लेकिन आज सूबे में इर्रीगेशन कम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है । सन् ४७ में ६७ लाख ५४ हजार एकड़ को हमने पानी दिया और मार्च, ६३ तक ११७ लाख ५५ हजार एकड़ के लिये पानी का इंतजाम हुआ । अब टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो पहले जहां ३४ करोड़ था अब १४४ करोड़ हो गया है । पहले पर एकड़ कास्ट जहां ५० रुपये था अब पर एकड़ कास्ट १२५ रुपया है । इसके मानें यह हैं कि जिस तरह से कीमतें बढ़ती हैं उसके साथ ही कास्ट भी ४-५ गुनी बढ़ जाती है । आप देख लें इर्रिगेशन का पोटेंशियल १०० परसेंट पहली साल कहीं नहीं हो जाता है । ५-६ साल से पहले इन चीजों का इस्तेमाल ही पूरे तौर पर नहीं हो पाता । मैसोनरी वेल की बात जाने दें, उसका हो सकता है, उस में तो आप के हाथ की बात है और उस में भी अगर दस एकड़ के लिये कोई कुंआ बनाया गया है तो एक साथ दस एकड़ में उस से खेती नहीं होगी क्योंकि उस दस एकड़ में भी रोटेशन से कभी खरीफ होगी, कभी गन्ना होगा, कभी रबी होगी तो कुछ न कुछ जमीन तो खाली रहेगी ही । इसलिये हमारे यहां ही नहीं, १०० प्रतिशत यूटिलाइजेशन तो इस देश में कहीं नहीं हुआ है । आप कास्ट देखें पहले यू० पी० में २५० रुपया प्रति एकड़ थी जो अब ५०० हो गई है । आं ध्र में अब भी हमारे स्टेज पर ५०० रुपया है, महाराष्ट्र में ८०० से १,३०० हो गई, मद्रास में २,४०० हो गई और पंजाब में भी डेढ़ गुनी और दुगुनी हो रही है । वैसे हमारे यहां लोग काम करने के मामले में और स्टेट्स से अच्छा और किफायत से काम करते हैं लेकिन चूंकि कुछ ऐसा है कि घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध, अपने यहां के लोग कितने ही अच्छा काम करें, लेकिन दूसरों का ही अच्छा लगता है । मैं आशा करता हूं कि संतुलित निगाह से, एक कंपेरेटिव स्टडी करके देखा जाय तो अन्य स्टेट्स के मुकाबले में हमारे यहां इन मामलों में अच्छा काम हुआ है ।

कई भाइयों ने कहा कि आप यह कोआपरेटिव फार्मिंग का नारा बन्द कर दें । लेकिन भाई समाजवाद का, कोआपरेटिव का, और सारे नारे बन्द कर दोगे तो दुनिया में फिर रह क्या जायगा ? समाजवाद का नारा यही तो है कि आप कुछ ज्यादा समाजवादी हैं और हम कुछ कम

हैं लेकिन यह बराबर अगर लगता रहेगा तो बाल-बच्चों को कुछ सहूलियत हो जायगी। अगर यह नारे बराबर गूंजते रहेंगे तो समाजवाद आकर रहेगा और कोआपरेटिव फार्मिग भी लोग अपनायेंगे। हम तो कहते हैं कि हमारा प्रासेस इवोलूशन का है, रिवोलूशन का नहीं है। नारे को बन्द करने की जरूरत नहीं है वक्त आयेगा तो लोग उसको अपनायेंगे। डेमोक्रेसी में ऐसी बातों का रिएक्शन जरा देर में होता है, बार-बार कहने से असर होता है। आसान बात है आप नारे लगायें, उनका रिएक्शन होगा और उसके असर से काम ठीक होगा। कोआपरेटिव फार्मिग में कोई जबरदस्ती नहीं है, आप की स्वेच्छा है, एक किसान के पास २-३-४ एकड़ जमीन है, वह एक जोड़ बैल नहीं रख सकता, दूसरे के पास ६० एकड़ है वह एक जोड़ रखता है, लेकिन उतने से काम नहीं चलता, दूसरी जोड़ का पूरा काम नहीं है तो इन हालात में अगर वह सहकारिता के साथ फार्म बनाकर चले तो पूल-अप करके उन सब का लाभ हो सकता है। यह कोई नई चीज नहीं है, पहले भी छप्पर सब मिल कर उठाते थे, कोल्हू सब मिलकर लगाते थे, बेड़ी सब मिलकर चलाते थे, गन्ने का काम मिलकर करते थे तो वह भी एक कोआपरेटिव एफर्ट का तरीका था। तो कोआपरेटिव फार्मिग बुरी चीज नहीं है। वह बात अलग है कि उधर के लोग जनसंघ के हैं और दूसरी विचारधारा के हैं, वह चाहें पसन्द न करें, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। पसन्द आये तो ऐसे सहकारी फार्म बनायें या न बनायें। इसलिये नारा तो बुरा नहीं है, नारा रहना चाहिये।

हमारे देश का संविधान बना है उस में भी कोआपरेटिव कामन वेल्थ मानी गई है और उसी से जनतंत्र की तरक्की होगी। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि पढ़े-लिखे लोगों का रुझान भी अभी कोआपरेटिव की तरफ नहीं है। आज पढ़े-लिखे लोग भी हमारे कोआपरेटिव बैंक हैं, गन्ना सोसाइटी हैं, उनमें दिलचस्पी नहीं लेते। जहां ईमानदार और होशियार लोगों ने इसको अपनाया है वहां बहुत अच्छा काम चलता है और तरक्की होती है। हमारे जिले में एक जुगन नागर फार्म है। पंजाब के लोग यहां आ गये, कोआरेटिव फार्मिग का काम हुआ और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जहां छप्पर नहीं थे वहां लोगों ने शुगर की फैक्ट्री खड़ी कर लीं। वहां की-सी पैदावार साल भर के अन्दर कहीं नहीं हुई। सिर्फ दो आदमियों के कोआपरेटिव एफर्ट ने वह सारी चीजें दिखा दीं। तो कोआपरेटिव फार्मिग कोई खराब चीज नहीं है, खराबी यह है कि अच्छे लोग उस पर ध्यान नहीं देते। कोआपरेटिव लफ्ज से ही भड़कना नहीं चाहिये, कोआपरेटिव चीज अच्छी है और ज्यों-ज्यों समाज बढ़ेगा कोआपरेटिव को अपनाता चलेगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय––

कोआपरेटिव फार्मिग के लिये ही तो एक आदमी इस कौंसिल हाउस के दरवाजे पर भूखों मर रहा है। उसका अनशन तो आप आज कोआपरेटिव फार्मिग के नाम पर तुड़वा दीजिए।

श्री राममूर्ति––

हमारा मुहकमा तो सबके कामों को कोआर्डिनेट करता है, काम तो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट वाले या कृषि विभाग वाले लेते हैं। हम तो जैसे गुलबनफशा हर दवाई में डाल देने के लिये होता है वैसे ही हर डिपार्टमेंट के काम को देखकर उनमें सामंजस्य ला देते हैं।

एक बात आपकी इंफार्मेशन के लिये और बता दूं। इंडस्ट्रीज के मामले में हमारे यहां पिछले सालों में २०८ प्राइवेट यूनिट्स थीं और उनका हमने रजिस्ट्रेशन किया था। दो सालों में वह बढ़कर ४०९ हो गयीं। अब हम उनको बराबर बढ़ाते चल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इसमें १०० और बढ़ें। मैं चन्द्रजीत जी से तो यह एक्सपेक्ट नहीं करता कि वे अपनी स्पीच की रवानगी में बहुत अच्छी चीजों का भी मजाक उड़ावेंगे। मैंने कल कहा था कि चिनहट का इंस्टीट्यूट इसलिये नहीं खोला गया है कि इसके जरिये से रुपया पैदा किया जायगा। प्लांनिग

[श्री राममूर्ति]

डिपार्टमेंट तो यह चाहता है कि छोटी-छोटी चीजें ऐसी बन जावें जो हर ब्लाक पर खड़ी हों और जिनको देखकर आहिस्ता-आहिस्ता दिलचस्पी गांवों के अन्दर पहुंचे। कायमगंज के अन्दर अगर फ्रूट प्रिजर्वेशन फैक्ट्री हमने लगा दी है तो इसलिये नहीं है कि पैसा पैदा करें बल्कि इसलिये कि वहां के लोग उसके बारे में समझ लें। हमने छोटी चमड़े की इंडस्ट्रीज लगाई है ताकि अहिस्ता-आहिस्ता ब्लाक के स्तर पर वह चीज बनने लग जाय। अगर हम रूरल सेटअप में कुम्हार के लिये बिजली देते हैं तो इसलिये कि उसके काम में एफीशिएंसी आये वह कुछ अधिक कमाने लगे और यही नहीं उससे कुम्हार सम्प्रदाय की इंकम और एफीसिएंसी बढ़े। तो मैं आपसे कहता हूं कि इस नजरिये से सारी चीजों को आप देखें। आखिर खंडसारी है, कितना छोटा-सा यूनिट है। लेकिन इसमें भी ३०–४० हजार आदमियों को रोटी मिलती है। तो वे अगर १ या २ रुपया कमाते हैं तो कम से कम उनसे तो अच्छे हैं जो कुछ नहीं करते।

एग्रीकल्चर का जो हमारा काम चल रहा है। हमने उसके बारे में कुछ स्पेशल कदम भी उठाये हैं और इसलिये उठाये हैं ताकि हमारा कोआर्डीनेशन अच्छा हो जाय। मेरा तो ऐसा मुहकमा है कि जिसका कोआर्डिनेशन का काम है। अपने तो सिर्फ बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० पंचायत हैं। उपाध्यक्ष जी, मुझे अगर आप कहें तो मैं अपना भाषण फौरन ही खत्म कर सकता हूं। प्रायरिटीज जरूर जरूरत के लिहाज से फिक्स की जा रही हैं। तो जब कल मैंने फिगर दी थी तो कहा था कि वक्त की जरूरत को देखते हुए एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। इसलिये एमेनिटीज कम कर रहे हैं। डेवलमेंट सबका आहिस्ता-आहिस्ता होना चाहिये। अगर थोड़ी-सी ग्राम लक्ष्मियां उन एरियाज में काम करती हैं, जहां रिसेप्शन बहुत कम है और जहां अभी औरतों को दिक्कत है कि कहां जाकर ठहरें, कहां जाकर रहें, तो उन लोगों के बीच में पहुंचने दिया जाय। थोड़ी सिलाई सिखा देती हैं, रख रखाव सिखा देती हैं और कुछ काढ़ना-बुनना सिखा देती हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? आहिस्ता-आहिस्ता औरतों के समाज में भी प्रगति होगी और हमारा प्रयत्न यह है कि जो छोटे-छोटे अंग हों वे सब आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हों। रघुबीर सिंह जी ने कहा था कि कोआपरेटिव सोसायटी से लोन मिल रहा है। मैं कोआपरेटिव सोसायटी से भी बात करूंगा कि अगर गल्ला न लेकर पैसे से लौटफेर हो जाय तो ऐसा कर लें। मैंने नोट कर लिया है और मैं इसको देख लूंगा। और ज्यादा क्या कहूं, आप सब की मेहरबानी रहनी चाहिये इस विभाग के साथ। अभी हमारे श्री नरसिंह नारायण जी चले गये जिन्होंने कहा कि नहरें बनवा देते हैं और पानी नहीं मिलता। नहरें और नलकूप यह सारी चीजें एक दिन में नहीं बनती हैं, बनते-बनते सात-आठ साल लग जाते हैं। नहरें तो सारे भारत में बन रही हैं, जहां हम भी रहते हैं और अन्य दल वाले भी रहते हैं, मेरी आप से एक ही गुजारिश है कि आप सद्भावना के साथ हमारी कमजोरियों को नजर-अन्दाज करके और ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर के इस बात का प्रयत्न करें कि हमारा पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा समाज का सुधार करना है, वह मजबूत हो सके और उसकी जो कमजोरियां हैं उनको हम दूर करें। तभी हमारा काम आसानी से चल सकता है।

जब हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं है तो हमें क्या करना चाहिये? यू० पी० के अन्दर मैन-पावर बहुत बड़ी है। इस मैन-पावर का यूटिलाइजेशन होना चाहिये। रुपया इसलिये मांगते हैं कि उस रुपये से चीजें बनायें। फिर जितनी भी चीजें बन रही हैं उनमें प्राथमिकता पूर्वी जिलों को दी गयी है। अगर उस रुपये की जगह मैन-पावर लगायें, नाले व सड़क बनाने के लिये तो जितना रुपया प्लानिंग में लगाने के लिये हमें टैक्स के जरिये वसूल करना होता है उसकी जरूरत न पड़ेगी। जब रुपया नहीं है तो आदमी है। उसका फायदा उठाना चाहिये। हमारे पास पैसे की कमी है और हम गरीब भी हैं तो हममें यह खयाल पैदा होना चाहिये कि हमारे पास दो हाथ हैं, उनसे हम प्रदेश की उन्नति करेंगे, यह स्प्रिट प्रदेश में पैदा करनी चाहिये।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका मशकूर हूं और आपके साथ तमाम आदरणीय सदस्यों का मशकूर हूं जिन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिये और बहुत-सी बातों से मुझे अवगत कराया जिन्हें मैं नहीं जानता था। अब मैं यह उम्मीद करता हूं कि चन्द्रजीत जी का जो यह कटौती का प्रस्ताव है उसको यह सदन मुखालिफत करेगा और मेरा जो अनुदान है उसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं यादव जी के कटौती के प्रस्ताव को सदन के समक्ष पेश करता हूं। जो उसका नतीजा होगा वही बाकी के कटौती के प्रस्तावों के लिये माना जायगा।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--नियोजन एवं समन्वय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत १४,५८,२९,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

[इसके बाद सदन ५ बजकर ४४ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।]

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
५ मार्च, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३७ पर)

जिला बाराबंकी में अप्रैल, सन् १९६३ से जनवरी, १९६४ तक, थानेवार दर्ज हुई चोरी व डकैती (चोरी के आकड़ों में नकबजनी के आंकड़े शामिल है ।)

थाना	चोरी	डकैती
१--कोतवाली	२०८	३
२--सफदरगंज	१२५	९
३--रामसनेही घाट	४६	२
४--लोनीकटरा	३७	..
५--मवई	४७	४
६--कोठी	८०	१२
७--मेलसर	६४	२
८--सुबेहां	४७	१
९--रामनगर	६६	४
१०--फतेहपुर	८६	५
११--मेहम्मदपुर	३६	३
१२--कुर्सी	५८	१
१३--टिकैतनगर	३९	३
कुल योग ..	९३९	४९

जिला बाराबंकी में अप्रैल, १९६३ से जनवरी, १९६४ तक स्थानान्तरित थानेदारों के नाम

१--श्री चन्द्रजीत सिंह
२--श्री जयनरायन प्रसाद
३--श्री सहदेव प्रसाद मिश्रा
४--श्री राम महारथ राम
५--श्री अल्ला बक्स
६--श्री सुल्तान अब्बास
७--श्री पी० एन० शुक्ला
८--श्री एस० एम० शफीक
९--श्री नरपत सिंह
१०--श्री बी० एन० बाजपेई
११--श्री बी० एन० मिश्रा
१२--श्री बी० एस० तोमर
१३--श्री एस० एन० घोषाल
१४--श्री आरिफ अली
१५--श्री भुल्लन सिंह
१६--श्री हरनाम किशन सिंह ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३७ पर)

जिला बलिया में सन् १९६१ जनवरी माह से लेकर सितम्बर, १९६३ के अन्त तक पृथक-पृथक वर्षों में थानेवार डकैती व कत्ल की संख्या

थाना	वर्ष	डकैती	कत्ल
१—कोतवाली	१९६१ ..	..	५
	१९६२ ..	२	४
	१९६३ ..	२	३
२—सहतवार	१९६१ ..	१	३
	१९६२ ..	१	३
	१९६३ ..	२	३
३—बांसडीह	१९६१ ..	१	१
	१९६२ ..	२	१
	१९६३ ..	१	४
४—बैरिया	१९६१ ..	१	१
	१९६२ ..	..	१
	१९६३ ..	१	..
५—नरही	१९६१ ..	१	४
	१९६२ ..	१	..
	१९६३ ..	२	४
६—हल्दी	१९६१ ..	१	२
	१९६२ ..	..	..
	१९६३ ..	..	१
७—मनियर	१९६१ ..	१	..
	१९६२ ..	१	१
	१९६३ ..	१	..
८—रसड़ा	१९६१ ..	..	२
	१९६२ ..	१	३
	१९६३ ..	२	१
९—सिकंदरपुर	१९६१ ..	..	२
	१९६२ ..	१	३
	१९६३ ..	२	२
१०—उभांव	१९६१ ..	२	२
	१९६२ ..	..	१
	१९६३ ..	१	..

थाना	वर्ष	डकैती	कत्ल
११—गड़बार	१९६१ ..	१	..
	१९६२ ..	..	३
	१९६३ ..	१	..
१२—भीमपुरा	१९६१ ..	२	१
	१९६२ ..	२	१
	१९६३ ..	..	..
१३—नगरा	१९६१ ..	..	..
	१९६२ ..	१	३
	१९६३ ..	..	..
१४—हलधरपुर	१९६१ ..	१	..
	१९६२ ..	१	१
	१९६३ ..	१	..

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४२पर)

देवरिया जिले में निम्नलिखित कुल १४ गन्ना विकास परिषदें हैं उनमें से प्रत्येक के सामने उनके चेयरमैनों के नाम अंकित हैं

१	गन्ना बिकास परिषद् भटनी, जिला देवरिया			श्री विष्णु दयाल झुनझुनवाला
२	,,	बैतालपुर	,,	श्री कस्तूरी पति त्रिपाठी
३	,,	देवरिया	,,	श्री आर० के० साही
४	,,	गौरी बाजार	,,	श्री प्रयागध्वज सिंह
५	,,	प्रतापपुर	,,	श्री अयोध्या प्रसाद आर्य
६	,,	रामकोला (के)	,,	श्री गोपाल प्रसाद दुबे
७	,,	रामकोला (पी)	,,	श्री यस० आर० कोहली
८	,,	कप्तानगंज	,,	श्री अद्या प्रसाद पाण्डेय
९	,,	लक्ष्मीगंज	,,	श्री भगवती प्रसाद खेतान
१०	,,	छितौनी	,,	श्री राजाराम गुप्ता
११	,,	खड्डा	,,	श्री महाबीर सिंह
१२	,,	पडरौना	,,	श्री बृजबिहारी मिश्र
१३	,,	कठकुइयां	,,	श्री रामाकान्त तिवारी
१४	,,	सिवरही	,,	श्री सिंहासन राय

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४३ पर)

१-१-६१ से ४-१-६४ तक बुन्देलखण्ड में हुई हत्याएं, डकैतियों, राहजनी के मामले तथा अपहरण किये गये व्यक्तियों का विवरण-पत्र

जिला	अपराध	संख्या	चालान हुए	सजायाब हुए
बांदा ..	हत्या	१५७	११७	३६
	डकैती	५२	३५	११
	राहजनी	२७	१७	९
	अपहरण	९	७	१
	योग ..	२४५	१७६	५७
हमीरपुर ..	हत्या	२०७	१४५	४३
	डकैती	९८	६०	१३
	राहजनी	१२५	४९	१२
	अपहरण	१९	९	२
	योग ..	४४९	२६२	७०
जालौन ..	हत्या	९१	६५	३०
	डकैती	९९	५४	२३
	राहजनी	६९	२४	१२
	अपहरण	८	३	१
	योग ..	२६७	१४६	६६

जिला	अपराध			संख्या	चालान हुए	सजायाब हुए
झांसी	हत्या	..	..	१०३	६५	१७
	डकैती		..	२१४	१०६	२६
	राहजनी	..	..	२४०	१०५	४६
	अपहरण	..	..	२१	१५	३
	योग		..	५७८	२६४	६२

सत्यमेव जयते

नत्थी

(देखिए ता० प्रश्न ४६

जिला फैजाबाद में १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ तक घटित डकैती,

क्रम० सं०	थाना	डकैती				कत्ल				राहजनी			
		रिपोर्ट हुई	चालान	छूट गए	न्यायालय में	रिपोर्ट हुई	चालान	छूट गए	न्यायालय में	रिपोर्ट हुई	चालान	छूट गए	न्यायालय में
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	कोतवाली	१	१	..	१	४	२	१	१	१	१	..	..
२	अयोध्या	..	..	..	..	१	१	१	..	३	३	१	..
३	कैन्ट	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
४	पुराकलन्दर	१	१	१	..	१	..	..	..	१	१	१	..
५	रोनाही	४	४	१	..	३	२	२	..	..	..	..	..
६	इनायतनगर	१	..	..	..	..	..	..	..	१	१	..	..
७	बीकापुर	४	३	..	१	५	५	३	१	..	..	..	..
८	हैदरगंज	..	..	..	..	३	३	१	..	..	..	..	..
९	महराजगंज	१	१	..	१	२	१	..	..	२	..	..	..
१०	गोसाईगंज	१	१	१	..	..	..	..	..	..	..	..	..
११	अकबरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	१	..	..	..
१२	टांडा	३	२	..	२	१	१	१	..	५	३	१	२
१३	बसखारी	..	..	..	..	२	२	१	..	१	१	१	..
१४	जहांगीरगंज	४	४	१	१	५	४	१	१	१	१	..	१
१५	जलालपुर	१	१	..	..	१	..	..	..	..	..	..	..
	योग ..	२१	१८	४	६	२८	२१	११	३	१६	११	४	१

"ङ"
का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४३ पर)

कत्ल, राहजनी, बलवे, नकब (सेंध), चोरी के मामलों का थानेवार विवरण

बलवा				नकबजनी (सेंध)				चोरी			
रिपोर्ट हुए	चालान	छूट गए	न्यायालय में	रिपोर्ट हुए	चालान	छूट गए	न्यायालय में	रिपोर्ट हुए	चालान	छूट गए	न्यायालय में
१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
४	१	१	..	८६	१२	४	३	१६७	४९	१०	८
५	३	..	३	६४	१०	५	..	१०३	३६	७	१
१	१	१	..	१	..	..	..	१८	८	१	..
८	५	२	३	३०	३	१	१	३७	६	१	४
१७	११	३	७	४७	१०	३	५	४४	३	१	..
६	१	..	..	४९	२	..	..	३०	४	..	१
६	६	२	४	३९	४	१	२	३६	३	१	२
६	५	३	..	२३	१	..	..	२५	७	१	१
५	३	..	३	२३	५	१	१	४१	५	३	१
८	५	..	४	२४	२	१	..	२२	७	२	२
२१	८	२	५	३८	६	२	२	५५	१३	५	४
१०	६	१	५	४६	७	१	५	४०	९	३	४
१५	७	२	४	२४	८	२	४	१९	६	२	३
९	४	२	..	८४	९	..	८	२९	४	३	..
२०	८	१	५	३१	३	१	..	३४	८	२	४
१४१	७४	२०	४३	६०९	८२	२२	३१	७००	१६८	४२	३५

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४४ पर)

३१ जनवरी, १९६४ तक जरवल रोड चीनी मिल पर गन्ने के मूल्य, सरकार के टैक्स व गन्ना समितियों के कमीशन की बकाया रकम का विवरण

चीनी मिल का नाम	गन्ने के मूल्य की बकाया रकम (लाख रुपयों में)	कमीशन की बकाया रकम (लाख रुपयों में)	सैस पर्चेज टैक्स की बकाया रकम (लाख रुपयों में)
जरवल रोड चीनी मिल	१६.६६	५.८६	२०.८९

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४८ पर)

क–अपरिचालन कर्मचारी वर्ग	विस्तार से पूर्व, कर्मचारी वर्ग	विस्तार के लिये अतिरिक्त कर्मचारी	योग
नान आपरेशनल स्टाफ			
१––निरीक्षक तथा लिपिक कर्मचारिवर्ग ..	१७१	४०	२११
२––अन्य कर्मचारिवर्ग ..	३३	–	३३
३––मेहतर, चौकीदार, चपरासी तथा अर्दली	२२२	११	२३३
	४२६	५१	४७७
ख–परिचालन कर्मचारिवर्ग			
आपरेशनल स्टाफ			
१––चार्ज मैन, आपरेटर तथा मैकेनिक सहित निरीक्षक	६४	४३	१०७
२––अन्य प्राविधिक कर्मचारिवर्ग ..	२७०	१२४	३९४
३––अनुचर सहायक मजदूर तथा अप्राविधिक कर्मचारिवर्ग	४०५	३७९	७८४
	७३९	५४६	१,२८५
कुल नियमित संख्या ..	१,१६५	५९७	१,७६२

नत्थी 'ज'

(देखिए तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५१ पर)

आजमगढ़ जिले के जहानागंज, रानीपुर और परदहा ब्लाकों में १९६१ से जुलाई, १९६३ तक हरिजन बस्ती एवं पानी पीने के कूप-निर्माण हेतु दी गयी धनराशि, उसमें से व्यय, गांव जहां बस्ती अथवा कुवों का निर्माण हुआ, शेष धन तथा उसके व्यय न हो सकने के कारणों की सूची

विकास क्षेत्र का नाम	१९६१ से जुलाई १९६३ तक दी गई धनराशि	व्यय की गई धनराशि	गांव का नाम जहां बस्ती गृह का निर्माण हुआ	अवशेष धनराशि	व्यय न होने का कारण
१	२	३	४	५	६
हरिजन बस्ती का निर्माण					
जहानागंज ..	..	..	..	..	..
रानीपुर ..	६,७५०.००	३,७५०.००	१—घिनहापुर ..	३,०००.००	कार्य व्यक्तियों को स्वीकृत किये जा चुके हैं पर अभी कार्य पूरे नहीं हुए हैं ।
			२—अली नगर ..		
			३—गोकलपुरा ..		
			४—चित्रविसाव		
			५—लोहाटीकर ..		
परदहा ..	७,५००.००	..	..	७,५००.००	गृह निर्माण हेतु १० प्रार्थियों को उनके प्रार्थना-पत्र क्षेत्र समिति की स्वीकृति के पश्चात्

उत्तर प्रदेश विधान सभा

				संबंधित ग्राम सभाओं को रुपया दिया जा चुका है तथा प्रार्थी कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं। उक्त धनराशि निम्न ग्रामों के प्रार्थियों को स्वीकृत की गई है:— १—हकीकतपुर, २—मीटी, ३—अनौराराय, ४—बरारसिधां, ५—राघोपट्टी, ६—कहिनोर, ७—वजीपुर, ८—नसीरुपुर।		
पेय कूप का निर्माण						
जहानागंज	..	१,५००.००	१,७५०.००	१—रामपुर	२५०.००	अंतिम भुगतान अभी कार्यपूर्ति
		५००.००		२—निजामुद्दीनपुर		की सूचना न मिलने के कारण
		———		३—किशनपुर		नहीं किया गया है।
		२,०००.००		४—विरदइया		
रानीपुर	..	१,५००.००	२,५००.००	१—सचई	५००.००	एक व्यक्ति को कार्य स्वीकृत हो
		१,५००.००		२—सिरशा		चुका है, काम पूरा होने की
		———		३—खरहट		आख्या अभी नहीं मिली है।
		३,०००.००		४—पलिया		
				५—फतहपुर		
परदहा	..	१,०००.००	२,०००.००	१—रस्तीपुर	५००.००	एक कूप लगभग पूर्ण हो चुका है।
		१,५००.००		२—हकीकतपुर		उसी के संबंध में अभी अनुदान
		———		३—वरारसिंघा		का भुगतान शेष है।
		२,५००.००		४—नसीरुपुर		